

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 जनवरी, 1990

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 17 जनवरी, 1990

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)24
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –	
ग्लूकोज बोतल भरने के प्लांट पहोवा में हुई दुर्घटना	(3)26

सम्बन्धी	
वक्तव्य—	
श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी,	(3)26
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(3)28
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3)31
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)32
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)32
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान	(3)78
बिल—	
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमेंट एण्ड वैलिडेशन) बिल, 1990	(3)78
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव —	
वर्ष 1989—90 के लिये हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वर्ष 1988—89 के लिए संशोधित अनुमान सम्बन्धी।	(3)80

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 17 जनवरी, 1990

विधान सभा की बैक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर- 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहैबान, अब सवाल होंगे।

Surplus and Custodian Land

***1006. Shri Rattan Lal Kataria :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total area of surplus and custodian land distributed by the Government under the Land Reform Scheme amongst downtrodden and landless farmers of the society during the period from March, 1989 to-date?

Revenue Minister (Rao Ram Narain) : 556 acres of surplus land has been allotted under the Land Reforms - Scheme amongst 160 downtrodden and landless farmers of the society during the period from March, 1989 to-date, (upto 30th November 1989). Out of this, 196 acres of surplus land has been allotted to 50 Scheduled Castes families.

No custodian/evacuee land is given to the downtrodden and landless farmers under the Land Reforms Scheme. However, Government in Rehabilitation Department decided on 1-10-1964 that all the available surplus rural evacuee lands should be sold in restricted auction to

Scheduled Castes.

The break up of such lands sold by auction to the Scheduled Castes from March, 1989 to-date -is as under :—

Cultivated land (Standard acres)	Banjar land (Ordy. acres)	Ghair mumkin Land (Ordy. acres)	No. of Sche - duled Castes families bene- fitted
129	25	150	78

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में इस लोकप्रिय सरकार ने डेढ़ साल पहले जो सरप्लस जमीन बांटी थी, उन केसों को डील करने के लिए नायब तहसीलदार ऐगरेरियन के पद सृजन किए गए थे क्योंकि ऐसे मामले सामने आए थे कि कुछ सामन्तों ने अपने कुत्ते और बिल्लियों के नाम भी जमीन कर रखी थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, आप स्पैसिफिक सवाल ही पूछें, डिटेल न दें।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर सर, मैं सवाल ही पूछने लगा हूँ। डेढ़ साल पहले सरकार ने सरप्लस जमीन के केसों सम्बन्धी मामलों को डील करने के लिए नायब तहसीलदार्ज ऐगरेरियन की पोस्टें बनाई थी। ये पोस्टें विशेषकर सरप्लस जमीनों के केसों को रिव्यू करके, सरप्लस जमीन को गरीबों में

बांटने के लिये थीं। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि पिछले डेढ़ साल में नायब तहसीलदार एगरेरियन ने ऐसे कितने केस निकाले हैं?

राव राम नारायण कटारिया: साहब, कोई स्पैसिफिक केस हो तो बताएं वैसे नायब तहसीलदार एगरेरियन जिस जौब पर लगाए गए हैं वे वहां लगे हुए हैं और अपने जिले में काम कर रहे हैं।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो भूमि सरकार अलौट करती है यदि उसमें 2-3 एकड़ जमीन में आने-जाने का रास्ता नहीं है तो क्या खेत में जाने के लिये सरकार कोई रास्ता देने बारे विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष: भागी राम जी, मेन सवाल तो रैवैन्यू डिपार्टमेंट के बारे में है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि हरियाणा में और कितनी सरप्लस लैंड है जो अभी बांटी जानी है और जो रजिस्ट्रियां हुई हैं वह खरीदने वालों के नाम से हुई हैं या किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से हुई हैं?

राव राम नारायण: यदि कोई बेनामी अलाटमेंट का स्पैसिफिक केस इनके नोटिस में है तो ये हमारे नोटिस में लाए ताकि हम त्रैक्शन ले सकें। वैसे सीलिंग ऐक्ट के अण्डर 1,21,303

एकड़ लैण्ड सरप्लस डिक्लेयर हो चुकी है और इसमें से 7855 एकड़ लैण्ड अण्डर आर्डर्ज ऑफ दि कोर्टस स्टे में है। 1,13,448 एकड़ सरप्लस लैण्ड अलॉटमेंट के लिये अवेलेबल है। इसमें से 1,12,884 एकड़ जमीन 37,915 ऐलिजिबल पर्सन्ज को अलॉट हुई है। इनमें 17,609 ऐलिजिबल पर्सन्ज शडचूल्ड कास्टस से ताल्लुक रखते हैं।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि क्या सरप्लस भूमि लेने से पहले भू-स्वामी से पूछा जाता है कि आप कौन सी जमीन देना चाहते हो। भू-स्वामी अपने 20-25 किल्लो के खेत के बीच में जमीन दे देता है। जब वह जमीन अलौट कर दी जाती है तो अलौटी को उस जमीन पर जाने के लिये रास्ता नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस जमीन में जबने केलिये रास्ते का कोई प्रावधान कर ने है?

Mr. Speaker : Please do not go to this extent and take your seat.

श्री सीता राम सिंगला: क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि सरप्लस कस्टोडियन और शामलात भूमि पर लोगों ने रैवेन्यू और पुलिस अधिकारियों से मिल कर नाजायज कब्जे किये हुए है। अगर यह बात उनके नोटिस में है तो इस बारे में क्या प्रबन्ध कर रहे हैं?

राव राम नारायण: ऐसी चीज मेरे नोटिस में नहीं। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में है तो वे कम्पलेन्ट भिजवाये, उस बारे में इन्वैस्टीगेशन करवायी जायेगी।

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि पिछले वर्ष 78 फैमिलीज को यह बैनिफिट दिया गया है। मैं आपके द्वारा मण्डी महोदय से जानना चाहूंगा कि यह बैनिफिट कागजों पर ही दिया है या ऐस्वुअली पोजैशन भी दिला दिया है?

श्री अध्यक्ष: बैनिफिट का मतलब ही कब्जा देना होता है। कागजों पर कम्मा देने से बैनिफिट नहीं होता है।

श्री उदय भान: क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में है कि ग्राम राजपुर खादर में हरिजनों को 18 एकड़ कस्टोडियन की भूमि अलौट की राई थी लेकिन बाद में वह पाकिस्तान के किसी विस्थापित को अलौट कर दी और अब उस जमीन पर झगड़ा चल रहा है?

Mr. Speaker : How can this particular question be answered off hand ?

श्री मुनी लाल: क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि किसी जिले में अब भी सरप्लस शामलात या कस्टोडियन की जमीन पड़ी हुई है, अगर पड़ी है तो क्या उस जमीन को हरिजनों को देंगे या फार्म हाउसिज बनाने वालों को ही देंगे?

Mr. Speaker : That is not the question.

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जितनी जमीन पर आज तक —कब्जा दिया गया है, क्या उस पर मुजारे काबिज हैं या जमीन मालिक का ही कब्जा है?

राव राम नारायण: मुजारे ही काबिज हैं लेकिन अगर कोई स्पैसिफिक केस आपके नोटिस में है तो बतायें।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो बंजर भूमि औक्शन करने की सूचि दी गई है वह जमीन कहां कहां दी गई है?

राय राम नारायण: टोटल हरियाणा में जो भूमि अलौट की गई है, वह इसमें दी गई है। आप स्पैसिफिक क्वैश्चन कर लें कि किस जिले में कितनी बंजर भूमि औक्शन की गई है, वह भी बता देंगे।

श्री हरनाम सिंह: क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि कस्टोडियन की कितनी भूमि कौन कौन से गांव में बाकी है और जहां पर यह जमीन बाकी है, क्या सरकार उस जमीन को बगैर बोली के हरिजनों में तकसीम करेगी?

श्री अध्यक्ष: यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने गांवों में कितनी कितनी भूमि बाकी है। यह क्वैश्चन इतना इलैबोरेटिड है, जिसके बारे में औफ हैंड बताना बड़ा मुश्किल है।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह बहुत ही अहम क्वैश्चन है। इस बारे में बहुत ही शिकायतें मिलती हैं कि कब्जा नहीं दिया गया या रास्ते नहीं दिये गये। क्या सरकार के नोटिस में आया है कि उन्हें रास्ते नहीं दिये गये या कब्जा दे कर फिर बाद में जमीन मालिक ने जमीन छीन ली हो। अगर ऐसी शिकायतें आपके नोटिस में आयी हैं तो इस बारे में क्या प्रबन्ध किया गया है?

राव राम नारायण: ऐसे ग्रीवैसिज जहा पर भी हैं, उन्हें हमारे नोटिस में लायें, हम उनको जरूर रिड्रैस करेंगे।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी नजूल भूमि जो अभी कमजोर तथा पीड़ित वर्ग के लोगों में बांटी जानी है, उसके कितने केसिज हैं जो अभी पेंडिंग हैं और डिसाईड नहीं किये गये हैं?

Mr. Speaker : This is not relevant.

श्री राम बलास शर्मा: अध्यक्ष जी, क्या मन्त्री महोदय को इस बात की कोई जानकारी है कि यह जो कस्टोडियन या सरप्लस लैंड, है, इसका वितरण कुछ फोक नामों से' हुं आ है और कुछ बड़े लोगो को यह जमीन अलौट हुई है?

राव राम नारायण: इस वक्त तो मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है लेकिन जो इस कस्म के केसिज होते हैं, उनकी बाकायदा इन्वैस्टीगेशन और तफतीश हम करते रहते हैं।

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय भूतपूर्व सी० एम० के हल्के में बे डु वा गांव में साठ पांच हजार एकड़ जमीन 1962 में सरप्लस डिक्लेयर हुई थी और वह जमीन छोटे और पीडित वर्ग के लोगों को वितरित की गयी थी। उस गांव में मुजारों को वहां से हटाने और उनसे यह जमीन, छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या यह बात मन्त्री जी के नोटिस में है?

राव राम नारायण: सर, इसके लये सैपरेट नोटिस चाहिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अभी मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि अब कस्टोडियन की भूमि बांटी नहीं जाती बल्कि सन् 1964 के नर्णय के अनुसार सीमित नीलामी द्वारा बेची जाती है। 1964 में कांग्रेस की सरकार थी। अब जनता दल की सरकार है। उसने भूमि सुधार करने का क्रांतिकारी संकल्प भी किया है। क्या हरियाणा सरकार इस बात पर वचार करेगी क ए से दी लत वर्ग के लोग, जो सीमित नीलामी में भी जमीन खरीद नहीं सकते, उनको यह जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाये? क्या सरकार कोई ऐसा कार्यक्रम उस जमीन को बांटने का बनायेगी?

राव राम नारायण: सर, यह तो पौलिसी मैटर है। सरकार जब इस बारे में कोई नया फैसला लेगी तब देखेंगे। लेकिन अभी तक तो 1964 का डिस्मिशन ही अमल में आ रहा है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, ही रजनों को 1967 और 1968 में कुछ जमीन अलॉट की गयी थी। उन्होंने उसकी एक-एक, दो दो और तीन-तीन किस्में भी दे दी थीं। लेकिन जो जमीन उन ही रजनों को अलॉट की गयी थी, वह यमुना नदी में बह गयी। अब फर दोबारा से वह जमीन नकल आयी है। क्या वह जमीन उन्हीं लोगों को दी जायेगी जो लोगोंने उसकी दो दो या तीन-तीन किस्में दी हुई हैं?

राव राम नारायण: अगर वह जमीन दरिया से रिकवर हो गयी है और उनके नाम पहले अलॉटिड है तो उन्हीं को देंगे।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो शामलात देह की जमीन म्यूनिसिपल कमेटी के अन्दर है, जिसका लैडलैस लोगों के नाम इन्तकाल भी हो चुका है और उस पर उनका कब्जा भी है क्या सरकार उनको वह जमीन देने पर विचार करेगी?

Rao Ram Narain : For this separate notice is required.

तारांकित प्रश्न सं० 1009

यह प्रश्न इस समय पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री हीरा नन्द आर्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

Recuirement in Haryana Armed Police/Police Department

Shri Parma Nand : Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether any recruitment of constables in Police Department and Haryana Armed Police was made during the month of August/September 1989 in the State; and

(b) if so, the names and addresses of the constables so recruited in district Jind ?

गृहमन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) हां, जी।

(ख) जिला जीन्द में वर्ष 1989 के मास अगस्त/सितम्बर में कुल 134 सिपाही भर्ती किए गए। उनके नाम व पते सम्बन्धी सूचना दिए जाने में जितना समय व परिश्रम लगेगा वह उसकी तुलना में होने वाले सम्भावित लाभ से बहुत अधिक होगा।

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, मैंने अपना जो मूल प्रश्न दिया था, उसमें यह पूछा था कि जींद जिले में जो कांस्टेबलज की भर्ती की गयी चूंकि यह डिस्ट्रिक्ट भर्ती थी, इसमें जो बच्चे भर्ती किये गये, वह किस स्कूल से, किस हाई स्कूल से कितने

और किस हायर सैकड्री स्कूल से कितने लिये गये हैं। आपको पता ही है कि वह मैट्रिक पास होने चाहियें। यह इन्होंने नहीं बताया?

प्रो० सम्पत सिंह: इसमें हाई स्कूल से लेने के बारे में तो कहीं नहीं पूछ रखा है।

श्री परमानन्द: जो प्रश्न मैंने भेजा था, उसमें बाकयदा यह लिखा हुआ होगा।

Mr. Speaker : Prof. Sahib. your question must have been modified. That is why it is not there. Only the modified question had been sent to the, Government.

श्री परमानन्द: मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो 13 सं पुलिस कर्मी भर्ती हुए हैं, इनमें राजस्थान से कितने हैं और हिसार और सिरसा जले से कितने हैं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इसमें सारे के सारे जींद जिले के हैं।

चौधरी महैन्द्र प्रताप सिंह: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि टोटल भर्ती हरियाणा से कितनी की गई थी और जो जिलेवाइज भर्ती की गई उसमें उसी जिले के बच्चे लिए गए या बाहर के बच्चे या लडके भी लिये गए?

Mr. Speaker : It is not possible for the Minister to give reply to this question as the main question relates to

only Jind district.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इसके अलावा अर्ज यह है कि ये बच्चे नहीं हैं ये 18 साल से लेकर 27 साल तक के नौजवान हैं।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल अगस्त में जींद तथा दूसरे जिलों में भर्ती की गई थी। जिन लोगों की भर्ती की गई वे लोग भर्ती वाले दिन 27 साल के थे लेकिन मैडीकल टैस्ट के दिन वे 28 साल के हो गए। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे नौजवानों को पांच साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक पांच साल का रिलैक्सेशन देने का सवाल है उसकी घोषणा अब की गई है। पुलिस में भर्ती की ऐज पहले भी 18 साल से 27 साल तक ही थी जबकि और डिपार्टमेंट्स में यह लिमिट तीस साल तक की थी। मौजूदा घोषणा के बारे में देखना पड़ेगा कि पुलिस में भर्ती के लिये यह बढ़ाई जा सकती है या नहीं लेकिन पहले वाले केसिज में हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जींद में जो भर्ती की गई उसमें जनरल कैटेगरी के कितने नौजवान लिए गए और शड्यूल्ड कास्ट्स के कितने लिये गए?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, कुल 136 सिपाही भर्ती किए गए थे। इनमें से बीस ड्राइवर्ज थे जिनके लिए लाइसेंस वगैरह की टैक्नीकल क्वालिफिकेशन होडी है और 116 दूसरे लोग हैं। इन 116 में 77 जनरल कैटेगरी के ई, 24 एस० सी० के हैं, 13 बी० सी० के हैं और 2 ऐक्स सर्विसमैन हैं। स्पीकर साहब, एस० सी० और बी०सी० काकोटा पूरा कर लिया गया है बल्कि एक परसैन्ट फालतू ही है।

श्री परमानन्द: क्या मन्त्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि जो बीस ड्राइवर्ज भर्ती किए गए उनमें से रोस्टर के हिसाब से जो एक एस० सी० और एक बी० सी० की पोस्ट बनती हैं वे खाली क्यों नहीं छोड़ी गईं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जो पुलिस में ड्राइवर्ज हैं उनको भी हम सिपाही ही पुकारते हैं। सिपाही की भर्ती के लिये लाइसेंस की कंडीशन नहीं थी इसलिये शड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के लड़के दूसरी तरफ लेकर उनका कोटा पूरा किया गया है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल अगस्त और सितम्बर में पुलिस की भर्ती की गई। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्टवाइज भर्ती की जाती है उस भर्ती में उसी जिले के लड़के लिए जाते हैं या दूसरे जिलों के लड़के भी लिए जाते हैं? और यह कैसे असरटेन किया

जाता है कि कोई लड़का उसी जिले का है या दूसरे जिले का है? क्या मैट्रिक के सर्टिफिकेट से असरटेन किया जाता है या मैडीकल सर्टिफिकेट से असरटेन किया जाता है? पिछली दफा भर्ती के समय ऐसे बोगस केसिज नोटिस में आए जिनमें लड़कों ने अपना ऐड्रेस जुलाना का दिया हुआ था जबकि वे दिल्ली के रहने वाले थे।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब भर्ती होती है तो लोग अपना ऐड्रेस देते हैं। मैट्रिक के सर्टिफिकेट से कुछ पता नहीं लगता कि कौन कहां का रहने वाला है। जींद का लड़का रोहतक से भी मैट्रिक पास कर सकता है और मैट्रिक प्राइवेट भी की जा सकती है। जब भर्ती हो जाती है तो उसके बाद बाकायदा पुलिस वैरिफिकेशन होती है। जो कैंडीडेट ने अपना ऐड्रेस दिया होता है वहां के थाने का आदमी जाकर वैरिफिकेशन करता है और वैरिफिकेशन के बाद नम्बर दिया जाता है।

श्री रतन साल कटारिया: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर उनके नोटिस में बोगस केसिज लाए जाएं तो क्या कार्यवाही की जाएगी?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, कोई अनियमितता चाहें किसी किस्म की हो अगर सरकार के नोटिस में लाई जाती है तो सरकार उसमें ऐक्शन लेती है। पिछले दिनों पांच सर्टिफिकेट्स बोंगस पकड़े गए। वे सर्टिफिकेट्स बोर्ड से वैरिफाई करवाए गए

थे। अब हम हर सर्टिफिकेट को बोर्ड को भेज रहे हैं कि वह वैरिफाई करे कि वह सर्टिफिकेट उसी बोर्ड का है। कहीं वह सर्टिफिकेट बोगस तो नहीं है। जो सर्टिफिकेट बोगस पाए गए उनके खिलाफ केस रजिस्टर हैं और किसी किस्म की कोई रियायत उनके साथ नहीं की गई है।

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर ने कहा है कि शड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज का रिक्रूटमेंट का कोटा पूरा हो गया है। मगर हकीकत में ऐसी बात नहीं है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बैकलौग के अगेन्सट कितनी रिक्रूटमेंट होनी चाहिये थी और कितनी हुई है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, टोटल बैक लौग का तो हम कह नहीं सकते लेकिन जब से मौजूदा सरकार आई है उसके बाद बाकायदा उनका कोटा पूरा किया गया है।

श्री दुर्शा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले साल लड़कियों की कितनी भर्ती की गई थी और 'उनमें' जिला जीन्द की लड़कियां कितनी थीं?

श्री अध्यक्ष: अत्री साहब बैठिए। यह सवाल आगे आ रहा है।

Irrigation Rewari and Mohindergarh districts

***1018. Captain Ajay Singh Yadav :** Will the

Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to provide regular canal irrigation facilities to the farmers of Rewari and Mohindergarh districts; and

(b) if so, the details thereof

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) Yes.

(b) JLN Canal and Mohindergarh Canal systems of JLN Lift Irrigation Project.

कैप्टन अजय सिंह: यादव स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या रिवाड़ी एवं महेन्द्रगढ़ के किसानों को जे० एल० एन० कैनल का निर्धारित पानी का हिस्सा मिलेगा या नहीं? अगर नहीं मिलेगा तो इसके क्या कारण हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जे० एल० एन० का सिस्टम हरियाणा प्रान्त में डबल किया गया है। रावी व्यास का पानी अगर हमें पूरा मिलेगा तभी जे० एल० एन० कैनल को पूरा पानी उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल पूरा पानी मिलने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता क्योंकि एस० वाई० एल० कैनल कम्पलीट नहीं है। रावी व्यास का पानी आया नहीं है। जे० एल० एन० कैनल आज से सात आठ साल पहले नौन-पैरीनियल थी लेकिन अब इसका

क्रेडिट इस सरकार को जाता है कि हमने इसको एक तरह से पैरीनियल बना दिया है और अब यह सारा साल चलती है। पहले सालों में जहां इस एरिया में 3 परसेन्ट इरीगेशन होती थी वहां अब इस सरकार के आने के पश्चात हमने यह बढ़ाकर 10 परसेन्ट कर दी है। पूरा साल हम पानी चलाते हैं और 1987 से लगातार पानी चल रहा है। सारी वाटर सप्लाई स्कीम्ज जो महेंद्रगढ़ व रिवाड़ी के एरिये में बनी हैं, वे कैनल वेस्ड हैं। सब से बड़ा पुण्य का काम यह है कि जो रेगिस्तान जैसा एरिया था, उसमें हम पीने का साफ सुथरा पानी दे रहे हैं।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ एरिया में जो पम्प हाउसिज चालू नहीं हुए उनको क्या मन्त्री महोदय प्राथमिकता के आधार पर चालू करवाएंगे ताकि टेल तक पानी पहुंचाया जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, उस एरिया में इस कैनल के लिये 97 पम्प हाउसिज लगते हैं जिनमें से हमने 54 को तैयार करके ऐनरजाइज भी कर दिया है। बाकी जो पम्प हाउसिज रह रहे हैं उन पर लगभग 20-25 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। उसको हम फेस्ड प्रोग्राम में कर रहे हैं। 6 और पम्प हाउसिज हम बहुत जल्दी ही ऐनरजाइज करने वाले हैं। मुख्य मन्त्री महोदय जी का उधर का प्रोग्राम बना हुआ है। 26 तारीख से पहले पहले हम 6 और पम्प हाउसिज को वहां पर ऐनरजाइज करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि हमें जे० एल० एन० कैनल का बराबर का हिस्सा मिलेगा या नहीं। इन्होंने कहा कि हरियाणा में जे० एल० एन० का सिस्टम डबल किया गया है। मेरा पूछने का मतलब यह था कि टोटल निर्धारित पानी का जो हिस्सा है, वह हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्या मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, जे० एल० एन० कैनल का कुछ निर्धारित नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि जब तक एस० वाई० एल० का पानी हमें पूरा? नहीं मिलेगा तब तक जे० एल० एन० कैनल को भी पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो सकता फिर भी सरकार पिछले अढ़ाई सालों से उसमें पानी छोड़ रही है।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि हरियाणा के समस्त किसानों को नियमित रूप से नहरी सिंचाई के लिये सुविधा प्रदान करने के लिये क्या सरकार के पास कोई स्कीम विचाराधीन है? वे इलाके जहां पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, क्या वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा?

Mr. Speaker : This question relates to Rewari and Mohindergarh only. Please take your seat.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इसका मैं जवाब दे ही देता हूँ लेकिन मैं मैम्बर साहब से निवेदन करूंगा कि मैं इतनी

हिन्दी पढा हुआ नहीं हूँ जितनी वे पढ़े हुए हैं। ये तो संस्कृत तराइज्ड हिन्दी पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मुझे इनका क्वेश्चन कई बार रिपीट करवाना पड़ता है। स्पीकर साहब, मैम्बर साहब को यह कष्ट है कि ये फरीदाबाद के हथीन हल्के को रिप्रजैट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि फरीदाबाद जिले को पानी आगरा कैनल से मिलता है। उससे हमारे किसान बहुत दुःखी हैं। मैम्बर साहबान को पता है कि इससे पहले वाली चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने भी इसके लिए बहुत कोशिश की और मौजूदा सरकार भी एंडलैस ऐफर्ट्स कर रही है कि आगरा कैनल का कन्ट्रोल किसी तरह से हरियाणा प्रांत को मिल जाए। यह झगड़ा बहुत सालों से चला आ रहा है। चौधरी ओम प्रकाश जी के मुख्य मन्त्री बनने के पश्चात हमने यू० पी० के चीफ मिनिस्टर श्री मुलायम सिंह जी के साथ 8 तारीख की मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन अचानक उनका सेशन आ गया और वह मीटिंग मुलतवी करनी पड़ा। अब हम बहुत जल्द ही मीटिंग की डेट दोबारा फिक्स करेंगे। हम लखनऊ जाने वाले हैं। मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि फरीदाबाद जिले के लोगों को पूरा पानी मिले, यही मिले और उनकी डिस्ट्रीब्यूट्रीज और माइनर्ज की प्रौपर मेंटीनैस हो।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने रिवाड़ी और मड्रेन्द्रगढ के लिए बताया कि बाकी के पम्प हाउस चलाने के

लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता है। क्या ये बतायेंगे कि उस रुपए का प्रावधान ये कब तक कर पाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैंने बताया था कि 20—25 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैंने यह भी कहा था कि यह काम फेज्ड प्रोग्राम में होगा। जैसे—जैसे पैसा उपलब्ध होगा, हम यह काम करते पेंने।

श्री सीता राम सिंगला: स्पीकर साहब, गुड़गांव में आने वाली नहर का उदघाटन 27 तारीख को मुख्य मन्त्री जी करने वाले हैं। क्या उसमें पीने के पानी के साथ—साथ सिंचाई के लिये भी पानी की व्यवस्था की गई है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, वह सुविधा भी रखी गई. हौ

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पैसा कब तक उपलब्ध करवाया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पैसा तो हर साल उपलब्ध होता रहता है और फेज्ड प्रोग्राम में काम चलता रहता है।

श्री सरदूल सिंह: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ड्रेनेज महकमे ने जहां—जहां नई ड्रेनज निकाली हैं वहां पर कई जगह किसान की जमीन दो हिस्सों में बंट गई है। किसान को जमीन में पानी आर पार करने के लिये बहुत दिक्कत

है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे किसानों की तकलीफ कब दूर हलो?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कोई ऐसा स्पैसिफिक इस्टांस सरदार जी मेरे नोटिस में लाएंगे तो उसे फौरी तौर पर दूर किया जाएगा।

10.00 बजे।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया कि रिवाड़ी और महेंद्रगढ़ में बाकी के पम्प हाउस चलाने के लिए 20— 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और इसके साथ-साथ मन्त्री जी ने यह भी कहा है कि यह काम फेज्ड प्रोग्राम में पूरा होगा। ज्यों-ज्यों इसके लिए पैसा उपलब्ध होगा, काम करते रहेंगे। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस काम को फेल्ड प्रोग्राम में पूरा करने के लिये पैसे का प्रोविजन रखा गया है कि किस- किस साल में कितना-कितना धन उपलब्ध होगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, प्लान की मंजूरी के लिये आदरणीय मुख्य मन्त्री जी 19 तारीख को देहली जा रहें हैं और इस बारे में जो भी बात होगी यह मैं अगले आने वाले मार्च सेशन में बता दूंगा।

S.Y.L. Canal

***1010. Siri Hira Nand Arya :** Will the Minister for

Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the present stage of construction of the S.Y.L. Canal; and

(b) the time by which it is likely to be completed ?
Irrigation and Power Minister (Shr Verender Singh) : (a) The progress on various components of the work is as follows :—

(i) Earthwork= 92.42%

(ii) Lining =92.34%

(iii) Major cross-drainage works =10 completed out of 11

(iv) Medium cross-drainage =35 completed out of 41 works

(v) Bridges =56 completed out of 76.

(b) The project authorities have indicated that it would be completed by the end of 1990. The State Govt. is, however, pressing for its completion by 30-6-1990.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० नहर की खुदाई में इतने सालों से बहुत स्लो प्रगति हुई है। केन्द्र की पिछली सरकार के साथ, हरियाणा सरकार की बात हुई थी कि या तो केन्द्रीय सरकार इस नहर के निर्माण का काम किसी ऐजेंसी से सीधे तौर पर करवाए या यह काम हरियाणा सरकार के हाथ में दे दे ताकि एस० वाई० एल० नहर का पानी जल्दी से जल्दी

हरियाणा के किसानों को मिल सके। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्र में नई सरकार बनने के बाद, क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है? अगर केन्द्रीय सरकार के साथ इस नहर 'के निर्माण के बारे में कोई बातचीत हुई है तो वह क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे हाउस के मैम्बरान इस बात के लिये चिन्तित हैं कि रावी ब्यास का सरप्लस पानी हरियाणा प्रदेश के किसानों को जल्दी से जल्द मिले। अध्यक्ष महोदय मौजूदा सरकार ने और जो पहले जनता दल और भाजपा की मिली जुली सरकार चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में बनी थी, उसने अपना काम सम्भालते ही बड़ी तेजी के साथ इस नहर का निर्माण पूरा करवाने के लिये कदम उठाए। केन्द्रीय सरकार को जो लैटर लिखे गए और जितनी बार हम एस० वाई० एल० नहर पर गए, उसका पूरा विवरण मैं सदन के सामने रख देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 8- 9- 1987 को मुख्य मन्त्री हरियाणा की ओर से प्रधान मन्त्री को पहला पत्र लिखा गया। उसके बाद 21-3- 1988 को मुख्य मन्त्री हरियाणा की ओर से केन्द्रीय ग्रह मन्त्री को पत्र लिखा गया। उसके बाद फिर 26-3- 1988 को मुख्य मन्त्री हरियाणा की ओर से केन्द्रीय वाटर रिसोर्सिज मन्त्री को पत्र लिखा गया। उसके बाद 2-8- 1988 को मुख्य मन्त्री हरियाणा की ओर से केन्द्रीय वाटर रिसोर्सिज मन्त्री को फिर पत्र लिखा गया। उसके बाद 7- 12- 1988 को मुख्य

मन्त्री हरियाणा की ओर सेर प्रधान मन्त्री को फिर पत्न लिखा गया। उसके बाद 30-12-1988 को इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर हरियाणा की ओर से केन्द्रीय वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर को फिर पत्र लिखा गया। उसके बाद 17-3- 1989 को मुख्य मन्त्री हरियाणा की ओर से प्रधान मन्त्री को फिर पत्र लिखा गया। उसके बाद 28- 12- 1989 को मौजूदा मुख्य मन्त्री हरियाणा की ओर से प्रधान मन्त्री को फिर एक पल लिखा गया। उसके बाद 2- 1- 1990 को मुख्य मन्त्री हरियाणा की ओर से प्रधान मन्त्री को एक और पत्र लिखा गया जिसमें यह कहा गया था कि मुझे और इरीगेशन तथा पावर मिनिस्टर को आपसे मुलाकात करने का मौका दिया जाए। एस० वाई० एल० कैनाल के निर्माण के संबंध में अढ़ाई साल के अर्से के दौरान 9 बार पत्र लिखे गए जिनमें से 7 पत्र पहले मुख्य मन्त्री जी ने लिखे और दो पल मौजूदा मुख्य मन्त्री जी ने लिखे हैं। इसके अलावा इस नहर के निर्माण कार्य की असैसमेंट के लिये भी हम 9 ही बार मौके पर गए हैं। सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और मैं 2-9- 1987 को एस० वाई० एल० नहर के निर्माण कार्य को देखने के लिये मौके पर गए। उसके बाद मुख्य मन्त्री जी स्वयं और मैं 3- 12- 1987 को इस नहर के निर्माण कार्य को देखने के लिये मौके पर गए। उसके बाद 10-2- 1988 को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं तथा स्पीकर साहब आप भी हमारे साथ इस नहर के निर्माण कार्य को देखने के लिये मौके पर गए थे। 16- 12- 1988 को इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर फिर मौका देखने के लिये गए। इसके बाद 16- 3-

1989 को इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर और ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर मौका देखने के लिए गए। इसी प्रकार से प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन बाबू मूलचन्द जैन 24- 7-89 को मौके पर गए। 5- 9- 1979 को मैंने फिर स्वयं मौका देखा। इसके बाद 25- 12- 1989 को चीफ मिनिस्टर साहब, मैं, होम मिनिस्टर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब और स्टेट मिनिस्टर इरीगेशन एण्ड पावर श्री त्यागी फिर मौका देख कर आए थे। इसके बाद 13- 1- 1990 को यानि आज से चार दिन पहले मैं फिर मौका देख कर आया हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि नहर का काम बहुत स्लो चल रहा है। मैं और मौजूदा सरकार इस नहर के निर्माण कार्य से सैटिसफाइड नहीं हैं। अभी 3 तारीख कोही मैं सैन्टर के इरीगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से फिर मीटिंग करके आया हूँ। मुख्य मन्त्री जी भी उनसे मिले थे। इस नहर के बनाने के काम की गति तेज हो और 30-6- 1990 तक यह नहर बन, जाये ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी मिल सके इसके लिये यह सरकार जितना जोर लगा सकती है, वह लगा रही है। जब तक यह नहर पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक यह सरकार पूरी तरह से जोर लगाती रहेंगी और इस दिशा में पूरी तरह से काम करेगी। हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी दिलाने का प्रयास मौजूदा सरकार द्वारा चलता रहेंगा।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, पहले मुख्य मन्त्री जी ने, वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने और सिंचाई तथा बिजली मन्त्री जी ने

बार बार मौके पर जाकर इसे नहर के काम को देखा है, इसके लिये ये सभी बधाई के पाल हैं। इनकी बातों से लगता है कि ये अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में भी इस नहर का काम ऐसे ही हो रहा था और अब भी वैसा ही हो रहा है। इसलिये मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस नहर के काम की गति तेज हो, उसके लिए क्या हमारे मुख्य मन्त्री जी की प्रधान मन्त्री जी के साथ कोई बात हुई है और दूसरे क्या उप प्रधान मन्त्री जी ने भी प्रधान मन्त्री जी के साथ कोई बातचीत इस विषय में की है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: उप प्रधान मन्त्री जी तो हमारे अपने ही हैं। वे हमेशा ही इस विषय में जब भी कोई बात होती है अपने ऐक्सपीरियंस से बात करते ही हैं। मुख्य मन्त्री जी ने प्रधान मन्त्री जी को इस विषय में मिलने के लिये पद लिख दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधान मन्त्री जी से हमें बहुत जल्दी ही समय मिल जायेगा और तब हम अपना केस उनके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं हाउस के सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे लिखे गए पढ का जवाब उनकी तरफ से आ गया है और उन्होंने लिखा है कि बहुत जल्दी ही हमें टाईम अलौट होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने बताया है कि ये इस नहर पर 9 बार विभिन्न मौकों पर मौका देख कर आए हैं। मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहूंगी कि एस० वाई० एल० का मामला खासतौर से हमारे लिए बहुत अहमियत

रखता है क्योंकि चुनाव से पहले जनता दल और बी० जे० पी० ने यह चुनावी वायदा किया था कि हम इसको जल्दी ही बनवा देंगे। (विधन) नहर को पूरा करवाने का हमारा प्रमुख वायदा था। मैं आदरणीय सिंचाई तथा बिजली मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या ये हाउस के सभी 90 सदस्यों को एक साथ मौके पर इस नहर के निर्माण की प्रगति को दिखाने के लिए ले जाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: हम सबको बहुत जल्दी ही न्यौता देंगे और सब को जल्दी ही इकट्ठा लेकर चलेंगे।

चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह: सरपंचों और पंचों को तो नहर हमारी कांग्रेस सरकार ने ही दिखा दी थी अब तो आप उसी का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी महेंद्र प्रताप जी, आप सवाल करें।

चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस० वाई०एल० का ताल्लुक है, यह हमारी जीवन रेखा है। इसके लिये पहली सरकार और मौजूदा सरकार जल्दी से जल्दी पानी लाने के लिये अपनी पूरी कोशिशें करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में मैंने पढ़े था कि पंजाब के एरिया में गुरुद्वारा या किसी धार्मिक स्थान की जमीन पड़ती है, जिसको ऐक्वायर करने में कुछ दिक्कत है। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उन्होंने कोर्ट से कोई स्टे वगैरा ले रखा है या कोई और दिक्कत है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सारे मामले रिजौल्व हो चुके हैं और कोई मुश्किल दरपेश नहीं हैं।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री महोदय ने 1984 में पलवल, में यह घोषणा की थी कि एस० वाई० एल० नहर को केन्द्र सरकार अपने खर्चे पर बनवाएगी। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार ने इसके लिए कितनी सहायता दी है और अब केन्द्र में नई लोक प्रिय सरकार बनने के बाद क्या इस सरकार ने भी एस० वाई० एल० नहर जल्दी बनवाने के लिए सहायता का कोई आश्वासन दिया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, इस प्रोजैक्ट का जो पंजाब पोरशन है उसके लिए सारा फाइनेन्स केन्द्र सरकार कर रही है, लेकिन एक अफसोसनाक बात मैं महेंद्र प्रताप सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि वह प्रोजैक्ट 176 करोड़ रुपये का था लेकिन अब तक इस पर 500 करोड़ रुपए लागत आ चुकी है। सबसे ज्यादा एक और अफसोसनाक बात है जो मैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी को बताना चाहता हूँ। मैंने वक्तन-फवक्तन उस समय के प्रधान मन्त्री जी को अढ़ाई साल में 9 लैटर लिखे थे लेकिन इस अढ़ाई साल में प्रधान मन्त्री महोदय ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया।

आवाजे: शोम, शोम।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरा नन्द आर्य।

चौधरी महैन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मुझे एक निवेदन करना है।

Mr. Speaker : Mahender Partap Ji, this is not zero hour, this is question hour, I have already called upon Mr Arya. Now you please take your seat.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इतने पत लिखने के बावजूद भी नहर के निर्माण कार्य की प्रगति निल जैसी क्यों रही?

श्री वीरेन्द्र सिंह: निल तो नहीं आप स्लो कह सकते हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: जो स्लो प्रोग्रैस हुई है उसके क्या कारण हैं? मैंने यह सवाल पहले भी पूछा था लेकिन जवाब नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस नहर के निर्माण कार्य को केन्द्र सरकार अपनी किसी ऐजेंसी से करवाये या हरियाणा सरकार के जिम्मे सौंप दे क्या इसके लिए कोई पग उठाए गए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्लो प्रोग्रैस का तो कारण एक ही है कि जाने वाली कांग्रेस सरकार के लोगों की नीयत साफ नहीं थी। उनको डर था कि कहीं इसका क्रेडिट चौधरी देवी लाल की जनता दल और भाजपा सरकार को न मिल जाए। अगर कांग्रेस के लोगों की नीयत साफ होती तो यह काम पूरा हो चुका होता। जहां तक इस नहर के निर्माण कार्य को किसी ऐजेंसी को सौंपने का ताल्लुक

है, इससे कोई लाभ नहीं है क्योंकि अब इस कार्य को पंजाब सरकार स्वयं ही कर रही है और इस काम को जल्दी ही सरअन्जाम दिया जाएगा।

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सवालों के जवाब जो लिखित रूप में होते हैं वे हमारे पटल पर नहीं हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जरूर होंगे, क्योंकि एक सैट हर टेबल पर रखा जाता है।

श्री राम विलास शर्मा: कम से कम हमारे पटल पुर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सवालों के जवाब सभी मेजों पर रखे जाते हैं। हो सकता है किसी ने देखने के लिए उठा लिए हों। आप इधर-उधर देखिये आपको ये जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा मोस्टली सवाल 3 या 4 दिन पहले आए हैं और जवाब कइयों के कल ही आए हैं।

श्री राम विलास शर्मा: खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये बेंचें विपक्ष की रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी विपक्ष में समझते हुए हमारी मेजों पर जवाब नहीं रखवाए गए हों और हमारे नाम विपक्ष में शामिल कर लिये गये हों?

श्री वीरेन्द्र सिंह: ऐसी बात नहीं है, विपक्ष वालों को तो सारी सामग्री जरूर मिलनी चाहिए, अपनों को तो चाहें न भी मिले।

श्री अध्यक्ष: सवालों के जवाब का एकसैट हर मेज पर, चाहें वह अपोजिशन वालों का हो या ट्रेजरी बेंचिज का हो, रखा जाता है। हो सकता है कि आपके मेज से किसी ने देखने के लिये उठा लिया हो। इसके अलावा ये टेबल औफ दि हाउस पर भी रखे जाते हैं।

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० की कम्प्लीशन के लिये हम इकट्ठे संघर्ष करते रहें हैं। अब हरियाणा में और केन्द्र में एक ही विचारधारा की सरकारें हैं। हम सभी चाहते हैं कि एस० वाई० एल० नहर जल्दी से बन कर तैयार हो ताकि हरियाणा की धरती की प्यास बुझ सके। इस बारे में हमारी सरकार के पास ऐसे कौन कौन से कंकरीट सुझाव हैं जो केन्द्र की हमारी अपनी सरकार को देने जा रहें हैं और कितना पैसा मांग रहें हैं ताकि यह गट्टर जल्द से जल्द कम्प्लीट हो सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह: जहां तक धन जुटाने का सवाल है, वह केन्द्र सरकार द्वारा ही मिल रहा है। हरियाणा सरकार किसी किस्म की कमी महसूस नहीं कर रही है। इस नहर को जल्द से जल्द कम्प्लीट करने के जो प्रयास किये हैं, वे मैंने पहले भी बताये हैं। अब हम चाह रहे हैं कि 30 जून की जो डैड लाईन फिक्स की गई है उसके अन्दर ही यह नहर मुकम्मल हो जाये। इसीलिये मैं तीन तारीख को वाटर रिसोर्सिज मन्त्री जी से मिल कर आया हूं और यह तय करवा कर आया हूं कि एक कमेटी यहां आये और वह कमेटी 28- 1- 90 को मौके पर आ रही हैं। सी०

डब्ल्यू० सी० के एक मैम्बर उस कमेटी के चेयरमैन होंगे। सी० डब्ल्यू० सी० के चीफ इंजीनियर साथ आएंगे और पंजाब तथा हरियाणा के इंजीनियर भी साथ होंगे। वे देखेंगे कि इस, काम में स्लीपेज न हो, वे इस बात को टैक्नीकली तौर पर भी देखेंगे। जो रिपोर्ट आयेगी उसकी जानकारी और मुख्य मन्त्री जो प्रधान मन्त्री जी से मिल कर आयेगें उसका विवरण अगले सेशन में दे दिया जायेगा लेकिन जो सुझाव हम इस मामले में केन्द्र की सरकार को देने जा रहें हैं, उसकी जानकारी देना, इस समय स्टेट के इन्ट्रैस्ट में नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: बिजली मन्त्री जी ने एस० वाई० एल० नहर का काम पूरा हो जाने की तारीख 30 जून 1990 कही है। यह तारीख 13 दिन पहले की रखनी चाहिए थी क्योंकि 17 जून, 1990 को इस सरकार को बने हुए तीसरा साल पूरी हो जायेगा। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगी कि वे इसे यदि 13 दिन पहले कम्पलीट करवा दे और 17 जून 1990 को इसका उद्घाटन हो जाए तो ठीक रहेंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, 30 जून की जो तारीख दी है वह उसी ऐजैन्सी ने दी है, जो काम कर रही है। वक्तन-फवक्तन यही ऐजैन्सी तारीख फिक्स करती रही है। पहले भी उन्होंने ही फिक्स की है वे 30 जून या 31 दिसम्बर ही फिक्स करते रहें हैं। जहां तक 17 जून तक कम्पलीट होने का ताल्लूक है, उस बारे में तो मौजूदा सरकार का और इस सदन का हर

सदस्य यह चाहता है कि यह नहर आज ही बन कर तैयार हो जाये और हम कल ही इसका उद्घाटन कर दे। इस सरकार के तीन साल पूरे हो जाने की इन्तजार भी क्यों करें?

श्री मोहम्मद असलम खां: अध्यक्ष महोदय, ऐक्स प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि एस० वाई० एल० पर जो पैसा लगेगा, वह सैन्ट्रल सरकार देगी। क्या हरियाणा सरकार को केन्द्र सरकार ने वह पैसा दिया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: हरियाणा के पोर्शन में जो काम हुआ है, उसेका पैसा नहीं दिया है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं. कि कांग्रेस सरकार की नीयत खराब थी, इसलिए एस० वाई० एल० के बनने में देर लगी। समाचार पत्नों के माध्यम से यह भी पता चला है कि आतंकवादियों ने बहुत से श्रमिक सामूहिक रूप से मारे हैं, जिसके कारण काम बन्द हो गया। क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि हमारी लोकप्रिय सरकार श्रमिकों की रक्षा के लिए कोई पग उठायेगी ताकि वे लोग बिना किसी डर के वहां पर काम कर सकें?

श्री वीरेन्द्र सिंह: फिलहाल इस तरह का वहां कोई वातावरण नहीं है। जो घटनाये घटी हैं, वे सभी के नोटिस में हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि हमारी सरकार भी यह चाहती है और आज की केन्द्र सरकार

भी यह चाहती है कि एस० वाई० एल० नहर का पानी जल्दी से जल्दी आये। हरियाणा का जो नुकसान इस पानी के न मिलने की वजह से हो रहा है, उसके बारे में क्या मन्त्री महोदय ने केन्द्रीय सरकार से अर्ज की है, अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या इस बारे में सरकार केन्द्र सरकार पर दबाव डालेगी कि इस कम्पनसेशन के लिये हमें भाखड़ा नहर से पानी का अधिक हिस्सा मिलना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, भाखड़ा नहर की जो कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से हम पानी ले सकते हैं। अगर भाखड़ा नहर की कैपेसिटी ज्यादा अवेलेबल होती तो एस० वाई० एल० के बनाने की जरूरत ही न पड़ती।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, पंजाब में जो एस० वाई० एल० नहर का निर्माण कार्य हो रहा है, उसका सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है। क्या हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में अर्ज की है कि हमारे हरियाणा में बनी नहर का खर्चा भी वह वहन करे? अगर नहीं की है तो क्या हमारी सरकार यह सवाल उनके सामने रखेगी कि हरियाणा में जो एस० वाई० एल० का हिस्सा बन चुका है और उसमें पानी न आने की वजह से जो रख-रखाव के लिए खर्च हो रहा है, उसको भी वह वहन करें? क्या इस बारे में ये केन्द्रीय सरकार को ऐप्रोच करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, तीन तारीख की मीटिंग में मैंने वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से इस बारे में मांग की थी कि

हरियाणा टैरीटरी में एस० वाई० एल० पोर्शन के बनाने पर जो 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उनको भी सैंटर सरकार हमें दे। उन्होंने हमें इस बात को ऐगजामिन करने की अश्योरैस दी है।

चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि 1982 से लेकर 1987 तक जो हरियाणा में सरकार थी, उसके चीफ मिनिस्टर एस० वाई० एल० पर कितनी बार गये और क्योंने सैंटर से क्या पत व्यवहार किया?

श्री वीरेन्द्र सिंह: पहली बार हम महैन्द्र प्रताप सिंह जी को एस० वाई० एल० कैनाल पर ले जायेंगे।

Recrutment of Lady Constables in Police Department

***1014. Slid Parma Nand :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether any recruitment of Lady Constables in Police Department has been made during the year 1989 in the State;

(b) if so, the names and addresses of the recruits thereof; and

(c) whether the quota fin the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes has been filled up accordingly ?

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) हां। वर्ष 1989 में पुलिस विभाग में 4 महिला सिपाही भर्ती की गई हैं। (ख) भर्ती की गई महिला सिपाहियों के नाम तथा पते नीचे दिये गये हैं -

क्र० सं०	नाम व पता	जाति / श्रेणी
1.	महिला सपाही सुनीता रानी, सुपुत्री स्व० प्र० सिपाही अमर नाथ, मकान नं०10753, वार्ड नं० 6, अम्बाला शहर।	राजपूत (सामान्य)
2.	महिला सिपाही रामेश्वरी देवी, सुपुत्री श्री पलटू राम, गांव धुनषखेड़ा, थाना पटौदी, जिला गुडगावा।	अनुसूचित जाति
3.	महिला सिपाही हरजीत कौर, सुपुत्री श्री गुरमीत सिंह, मकान नं०90, प्रेम नगर, अम्बाला शहर।	जटसिख (सामान्य)
4.	महिला सपाही चन्द्र कला, विधवा स्व० सिपाही राज सिंह गांव डीघल, जिला रोहतक।	जाट (सामान्य)

(ग) हां। अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लये आरक्षित पद तदानुसार भरे गये हैं।

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इनका इस बारे में कोई रोस्टर रजिस्टर लगाया गया है या नहीं?

प्रो० सम्पत सिंह: बाकायदा महिला सिपाहियों के मामले में रोस्टर सिस्टम है और स्पीकर सर, मेरे ख्याल से ये अगला सवाल जो पूछेंगे, मैं उसका जवाब पहले ही बता दूँ कि 154 हमारी टोटल छैन्य है, उसमें से 18 बैकवर्ड क्लासिज से हैं। 10 परसैन्ट के हिसाब से 15 होते हैं लेकिन हमने 3 फालतू लिये हुए हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1989 में महेंद्रगढ़ जिले में रिवाडी से कोई भी लेडी कांस्टेबल नहीं लिया गया, 'इसका कारण क्या है?

प्रो० सम्पत सिंह: ये जो वैकेन्सीज होती हैं, ये होती हैं जैसे कोई रिटायर होता है या किसी की डैथ हो जाती है। अच्छी बात है कि वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हुई।

श्री परमानन्द: मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो 154 महिला पुलिस कर्मी भर्ती किये गये हैं, इनमें से हरिजन कितने हैं और यह जो एक हरिजन महिला इनमें आयी है, उसका रोस्टर में कितना नम्बर है?

प्रो० सम्पत सिंह: रोस्टर में कौन सा नम्बर है, वह तो मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन 154 में से 27 हरिजन हैं और 18 बैकवर्ड क्लासिज की हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि ये जो लेडी कांस्टेबल्ज बन कर आयी हैं, क्या इनकी वैकेन्सीज चार ही थीं या अभी और वैकेन्सीज भरी जानी हैं?

प्रो० सम्पत सिंह: अगर किसी पुलिस कर्मी की डैथ हो जाती है तो ऐक्स ग्रेशिया बैनिफिट देते समय अगर उसका लड़का या लड़की क्लर्क या किसी दूसरी पोस्ट के लायक न हो तो उनको सिपाही भर्ती किया जाता है।

चौधरी महैन्द्र प्रताप सिंह: मन्त्री महोदय ने बताया है कि अलग-अलग जिलों में महिला पुलिस कर्मी लगायी गयी हैं। जिन-जिन जिलों में मृत्यु के कारण भर्ती हुई है, क्या उनको उसी जिले में लगाया गया है या महिला सिपाहियों को किसी दूसरे जिले में भी लगाया गया है? क्या महिला सिपाहियों की इतनी ही जरूरत है या दूसरी जगहों पर और भी जगहें हैं जो अभी भरी जानी हैं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जगहें जरूरत के मुताबिक भरी जाती हैं। लेकिन उसी जिले में लगाये जिस जिले का डैथ केस हो, ऐसी बात नहीं है। हम उस कंडीशन को तोड़ते भी हैं क्योंकि यह बहुत हमदर्दी का केस होता है।

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय, शडचूल्ड कास्ट्स का कोटा तीस बनता है लेकिन लेडी कांस्टेबल 27 हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो तीन की कमी है इसको कब तक पूरा किया जाएगा?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, शडचूल्ड कास्ट्स के कोटे में जो तीन की कमी है यह तीन बैकवर्ड क्लासिज को दे दी गई है। अब हरिजनों का कोटा पूरा कर देंगे।

श्री बनारसी दास चौशाला: अध्यक्ष महोदय, यह जो तीन की कमी है इनके अगेन्सट परमानन्द, पुनिया और कम्बोज को भर्ती कर लिया जाए (हंसी)।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, पुलिस की भर्ती में माप, कद और उमर देखी जाती है और पुलिस वैरिफिकेशन होती है। पुलिस वैरिफिकेशन के मुताबिक जो कंडीशन होनी चाहिए वह ये पूरी नहीं करते।

Ladhuwas Budhpur Disiributory

***1019. Captain Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) whether outlets from Ladhuwas distributory/Budhpur distributory are lying blocked at present; and

(b) if so, the reasons therefor together with the steps; if any, taken or proposed to be taken to re-open the

said outlets ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) No outlet of Ladhuwas distributory is blocked. There is no distributory by the name of Budhpur.

(b) Does not arise.

कैप्टन अजय सिंह यादव: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह डिस्ट्रीब्यूटरी बनी है तब से लेकर आज तक इसकी टेल (.अन्तिम छोर) पर पानी क्यों नहीं पहुंचा और पानी कब तक हुस डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तिम छोर तक पहुंच जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, सवाल यह पूछा गया था कि क्या कोई मोघा बन्द हुआ है और इसका जवाब दिया गया है कि कोई मोघा ब्लॉक नहीं है। जहां तक टेल पर पानी न पहुंचने का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल में यह दिवाना डिस्ट्रीब्यूटरी की बात है। दिवाना डिस्ट्रीब्यूटरी की सफाई के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत जल्दी सफाई हो जाएगी और टेल पर पानी पहुंच जाएगा।

Mr. Speaker : Hon. Members, there is still time for questions. One question by Shri Hira Nand Arya was not asked earlier as he was not present. He may now put his question.

Incidents of Violence in the State

***1009. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether any incidents of violence took place during the General Elections of Parliament held in the month of November, 1989, in the State; if so the number thereof together with the number of persons died@injured in the aforesaid incidents; and

(b) the number of cases registered in the above said incidents alongwith the number of persons accused in each case and action taken thereon ?

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) हां, जी। 28 ऐसी घटनायें राज्य में हुईं जन में 5 व्यक्ति मारे गये और 91 घायल हुए।

(ख) 28 मुकदमे दर्ज हुए जनमें 325 दोषी व्यक्तियों में 112 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं। मुकदमे अनुसधान अधीन हैं।

श्री मंगल सैन: क्या मन्त्री महोदय बताएंगे.

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, इससे पहले मैं एक प्रार्थना करूंगा कि यह मैटर अन्तर इश्वैस्टिगेशन है इसलिए हम उतनी बात तक ही सीमित रहें जिससे केस अफैक्ट न होता हो।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अगर ऐसी बात थी तो क्वैश्चन ही ऐडमिट नहीं करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: क्वैश्चन ऐडमिट करने की तो कोई ऐसी बात नहीं' थी। कितने लोग मरे, कितने घायल हुए और कितने गिरफ्तार हुए, ये फ़ैक्टस तो पूछ ही सकते हैं।

श्री मंगल सैन: ठीक है जी। फ़ैक्ट्स के बारे में ही पूछ लेता हूँ। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भिवानी में पिछले इलैक्शन के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार या उसके परिवार के बच्चे ने गोली चलाई और क्या कोई अग्रिम जमानत इस सिलसिले में करवाई है?

प्रो० सम्पत सिंह: सर, मामला अन्डर इन्वेस्टीगेशन है और एफ० आई० आर० में उनके नाम दर्ज जरूर हैं।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि स्टेट में कुल 28 घटनाएं हुईं और इनमें 325 व्यक्ति इन्वोल्व हैं और 325 व्यक्तियों में से 112 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो 213 व्यक्ति बचते हैं उनमें फरीदाबाद के कितने लोग इन्वोल्व हैं और कितनी घटनाएं फरीदाबाद में हुईं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, टोटल 28 घटनाओं में से फरीदाबाद में एक घटना हुई है।

श्री मंगल सैन: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद चुनाव क्षेत्र में स्वयं कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार या

उसके परिवार के लोगों ने कोई गोली चलाई थी, अगर चलाई थी तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया था?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, फरीदाबाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ है मुकदमा यह है कि पोलिंग स्टेशन में कुछ शरारती व्यक्ति घुस आए थे और वहां पर बैठे हुए लोगों पर हमला कर दिया था उनकी मार पिटाई शुरू कर दी थी जिससे वहां पर दो व्यक्ति घायल हो गए थे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि मामला अन्डर इवैस्टीगेशन है।

Mr. Speaker : Hon. Members, Questions Hour is over.

अतारांकित प्रश्न' एवं उत्तर

Lining of Sheranwali Distributory

173. Shri Bhagi Ram : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the work of lining on Sheranwali distributory in district Sirsa has been started; if so, when together-with the time by which it is likely to be completed ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): हां जी, यदि धन उपलब्ध हुआ तो इसकी लाईनिंग जून 1991 तक करवाने की संभावना है।

Digging of Malleka (Barwali) Minor

174. Shri Bhagi Ram : Will the Minister for

Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the work of digging on Malleka Minor (Barwali Minor) in district Sirsa has been started; and

(b) if so, when togetherwith the present stage thereof ?

सिंचाई तथा विजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां जी।

(ख) मलेका माईनर को 82620 फुट लम्बी खोदने के कार्य में से 60000 फुट लम्बाई का पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके दूसरे चरण का कार्य पहले चरण के पूरा होने पर किया जायेगा जोकि बारुवाली वित्रिका जिस का कार्य प्रगति पर है, के पूरा होने पर निर्भर करता है क्योंकि इसके पक्का करने से जो पानी बचेगा वह मलेका माईनर में उपयोग में लाया जावेगा।

Construction of Neemala Minor

175. Shri Bhagi Ram : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the Neemala Minor in district Sirsa; and

(b) if so, the time by which the aforesaid minor is likely to be constructed ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (भी वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां जी।

(ख) यदि स्कीम स्वीकृत होजाती है और धन उपलब्ध हुआ तो कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

Opening of Post Graduate Regional Centre, Rewari

176. Captain May Singh Yadav : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open post-graduate Regional Centre at Rewari affriated with the M.D. University, Rohtak; and

(b) if so, whether any land has been' acquired for the construction of building for the aforesaid Centre ?

विकास मन्त्री (श्री हुक्म सिंह):

(क) रिवाड़ी में स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र शैक्षिक सत्र 1988- 89 से पहले ही आरम्भ हो गया है।

(ख) इस केन्द्र के लिये भूमि लेने हेतु हुड्डा से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

ग्लुकोज बोतल मरने के प्लांट पेहोवा में हुई दुर्घटना सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 5 from Shri Harnam

Singh, M.L.A., regarding the incident resulting in the death of 8 labourers and injuries to 2 in the Glucose Bottling Plant, Pehowa. I admit it. He may please read his motion and thereafter the concerned Minister may make the statement.

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 26 दिसम्बर, 1989 को ग्लूकोज बोटलिंग प्लांट, पेहवा जिला कुरुक्षेत्र में एक भयंकर घटना हो गई जिसके कारण आठ मजदूर मर गए तथा दो गम्भीर रूप से घायल हो गए। सरकार ने इस घटना की जांच करवाने के लिए तथा मृतकों के वारिसों और घायलों को राहत देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है जिसके कारण पेहवा क्षेत्र के लोगों में निराशा व्याप्त है। फ़ैक्टरी मजदूरों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। यदि सरकार ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही न की तो लोगों में बेचौनी तथा मजदूरों में मायूसी और असंतोष बढ़ेगा। इससे औद्योगिक उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

वक्तव्य—

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
सम्बन्धी

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह):
स्पीकर साहब, यह बात सत्य है कि दिनांक 26— 12— 1989 को

लगभग सायं 8.30 बजे मै० रविन्द्रा फार्मेस्युटिकल प्रा० लि०, गांव धनीराम पुरा, पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र में दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के कारण कारखाना के 8 श्रमिक मारे गये व 2 गम्भीर रूप से घायल हुये। दुर्घटना की जांच दिनांक 27-12-89 को सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, अम्बाला द्वारा की गई। तत्पश्चात दिनांक 30-12-1989 को इस दुर्घटना की पूर्ण जांच उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा, चण्डीगढ़, द्वारा करवाई गई। इस जांच के आधार पर दिनांक 11-1-90 को प्रबन्धकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिखित आदेश सहायक निदेशक, अम्बाला को जारी कर दिये गये हैं कि वह प्रबन्धकों के विरुद्ध न्यायालय में चालान दायर कर दे जहां तक मूत्रकों के उत्तराधिकारी व गम्भीर रूप से घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा दिलवाने का प्रश्न है, यहां पर यह कहना आवश्यक है कि कारखाना ई० एस० आई० अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता। अतः श्रम तथा समझौता अधिकारी, कुरुक्षेत्र जोकि वर्कमैन कम्पनसेशन ऐक्ट 1923 के अन्तर्गत आयुक्त हैं, को आदेश दिये जा चुके हैं कि वह इस विषय में तुरन्त कार्यवाही करे ताकि मृतकों के उत्तराधिकारियों व गम्भीर रूप से घायल हुए श्रमिकों को विधि अनुसार मुआवजा मिल सके।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट इस सम्बन्ध में सरकार के पास आयी है क्या उस के आधार पर यह जानने के

लिये कोई कार्यवाही की गयी है, कि यह ऐक्सीडैन्ट किन कारणों से हुआ है? रिपोर्ट सरकार के पास 11 तारीख की आ चुकी है लेकिन सरकार ने अपने लिखित जवाब में ऐक्सीडैन्ट के कारण नहीं बताए हैं। क्या वे उन्हें अब बताएंगे?

श्री बलबीर सिंह: स्पीकर साहब, 26-12-1989 को नियमित रूप से सम्बन्धित फ़ैक्टरी में उत्पादन नहीं हो रहा था लेकिन ट्रायल बेसिज पर उत्पादन हो रहा था। उस वक्त ग्लुकोज की बोतलों को भरने के बाद 120 डिग्री पर स्टीम हीट देनी थी ताकि उनमें जाने वाले कीटाणुओं का नाश हो सके और जब उस प्रोसेस को बन्द करना था तो 50 डिग्री पर बौक्स को खोलना था परन्तु वर्कर्स की लापरवाही के कारण उस बौक्स को 93 डिग्री पर ही खोल दिया गया। बाहर का मौसम ठण्डा था। इस तरह से मौसम के आपसी टकराव के कारण बोतलें टूट गयीं और यह ऐक्सीडैन्ट हो गया जिससे 8 श्रमिक मारे गये।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि वर्कर्स ने ऐसा कर दिया। क्या वहां पर कोई चीफ इंजीनियर या कोई कन्ट्रोलर नहीं था। क्या वहां पर फ़ैक्टरी ऐक्ट लागू था या नहीं? इन्होंने यह भी बताया कि 8 वर्कर्स मरे और दो जख्मी हुए। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर कुल कितने आदमी थे और उनमें से कितने आदमी बचे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि फ़ैक्टरी ऐक्ट कितने आदमियों पर लागू होता है?

श्री बलबीर सिंह: स्पीकर साहब, जैसे मैंने पहले बताया कि 8 श्रमिक मरे और दो जख्मी हुए। उस समय मौके पर 10 श्रमिक थे। वैसे उस फ़ैक्टरी में कुल 50 श्रमिक काम करते थे और एक सुपरवाइजर भी था। उनकी लापरवाही से यह सारा काम हुआ। इस वजह से हमने प्रबन्धकों के खिलाफ चालान वगैरह दायर कर लिया है।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, आप दो सवाल से ज्यादा नहीं पूछ सकते। (शोर)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, डा० साहब ने पूछा है कि फ़ैक्टरी ऐक्ट कितने आदमियों पर लागू होता है। उसका मिनिस्टर साहब ने जवाब क्यों नहीं दिया?

श्री अध्यक्ष: कामरेड साल आप सवाल नहीं पूछ सकते। (शोर)

श्री बलबीर सिंह: स्पीकर साहब, वैसे मैं बता देता हूँ कि दस आदमियों के०पर फ़ैक्टरी ऐक्ट लागू होता है। वहाँ पर तो 50 वर्कर काम कर रहे थे। (शोर)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब,..... (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Harpal Singh, you cannot put a question on this as the notice is not from you.

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

चौधरी महैन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, कल मैंने यमुना रिवर के संबंध में एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया था। वहां कई गांव तबाह हो गए हैं। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: वैसे तो जीरो आवर खत्म हो चुका है और आपको इस बारे में पहले पूछना चाहिए था लेकिन चूंकि आज सेशन साईने-डाई ऐडजर्न हो रहा है और आपने यह मामला अब उठाया है इसलिये मैं आपको बता देता हूं कि That has been disallowed.

चौधरी महैन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, यह बहुत जन महत्व का विषय है इसलिए आप अपनी रूलिंग को रिव्यू कर ले।

Mr. Speaker : I am sorry. I have already disallowed it. You will get an opportunity to raise this point during discussion on Governor's Address.

चौधरी महैन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, आज तो सेशन का लास्ट डे है, वह अपर्च्युनिटी कब मिलेगी?

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री राम विलास शर्मा: स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था।...

चौधरी महैन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, वहां पर पांच गांवों का सवाल है। वहां पर पहले भी बांध टूटा था। (शोर) या तो आप हमें आश्वासित कर दें कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा या इसको ऐडमिट कर लें।

Mr. Speaker : I am sorry. It is not possible to admit it now. Regarding giving you time how can I promise now ? Let the time come. अगर आपके सारे एम० एल० एज० बोलने लग जाएंगे तो मैं टाईम कैसे दे सकता हूँ? (शोर)

चौधरी महैन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मेरे साथ यह ज्यादाती है। (शोर) आप मुझे आगे बहस में समय भी नहीं देना चाहते और न ही इस प्रस्ताव को ऐडमिट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगर आप यह कह कर किसी को सुनाना चाहते हैं तो दूसरी बात है वरना कोई ज्यादाती नहीं है। आप कृपया बैठे।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मैं इनको बता दूंगा।

श्री राम विलास शर्मा: स्पीकर साहब, मैंने हरियाणा के कर्मचारियों के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया था। हमारी सरकार उस पर गौर भी कर रही है। अच्छा होता अगर उस बारे में सदन में बता दिया जाता। ऐसा करने से सारे हरियाणा को पता चलता कि कर्मचारियों के बारे में सरकार क्या

कर रही है। इस बारे में मुझे आपने डिस-अलाऊ की इन्टीमेशन दी है। आपने कौल एंड शकधर को कोट किया है और लिखा है कि -

"That the terms and conditions of the service of employees cannot be discussed through a Calling Attention Notice vide page 406 of the Book by Kaul & Shakhdar."

Further it has been stated in the letter —

"That the Government is already seized of the matter in resolving the anomalies which had cropped up subsequent to pay revision".

Sir, I don't want to discuss the service matters of the employees of Haryana but I want to say that both these grounds are very much contradictory. It must be reviewed.

Mr. Speaker : The orders are not at all contradictory and whatever decision had been taken is as per the rules. I have decided it and you cannot challenge it.

Shri Ram Bilas Sharma : Sir, I am not challenging your orders. I am submitting that your good office has made contradiction. एक तरफ तो कहते हैं कि इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती और दूसरी तरफ कहते हैं कि सरकार इस पर आलरेडी विचार कर रही है।

Mr. Speaker : That is also a ground for its rejection. There is no contradiction.

Shri Varender Singh : The decision and the

udgement of the Hon'ble Speaker is always final and it should not be questioned.

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में कल एक प्रिविलेज मोशन दिया था उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: वह तो मुझे रात को 10— 11 बजे मिला था।

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, मैंने तो वह रात को 8.00 बजे आपके यहां दे दिया था। वह बहुत इम्पौटेंट मैटर है। पिछली 26 तारीख को एक औनरेबल मैम्बर को बैडली ट्रीट किया गया। (व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Sharma, this is not the way. (Noise & Interruptions) Sharma Ji, please listen to me. आपने उसे मुझे दिया, मैंने उसको पढ़ा and I have disallowed it.

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, वह बहुत ही इम्पौटेंट मैटर है उस को डिस—अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था। (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Sharma, listen to me. This matter is neither of a recent occurrence nor any privilege is involved in it. (Noise and Interruptions). Moreover, you have been here for the last three days and did not avail the earliest opportunity. (Noise & interruptions).

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाईयां लड़ी उनका जन्म दिन मनाने के लिए औनरेबल मैम्बर जा रहें थे लेकिन पुलिस ने उनको जबरदस्ती रोका। (शोर)

श्री अध्यक्ष: शर्मा जी, आप कृपया बैठ जाएं। अब पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर कल 15 के तहत मोशन मूव करेंगे।

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, वह बहुत ही इम्पौटैंट मामला है। (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Sharma, this is not the way. You must know the rules of the House. You know that an occurrence took place and a case was registered in the police station on 26th December, 1989. It is not a matter of recent occurrence and it also involves no branch of privilege.

When a criminal case has been registered and the matter is being investigated how can a question of privilege be raised. Please take your seat.

Shri Yogesh Chand Sharma : Sir, the matter is very important. (Noise and interruptions)

Mr. Speaker : Mr. Sharma, you have been practising in the High Court. You should know the rules of the House. (Noise & Interruptions). Please take your seat.

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, जिस विषय पर आपकी रूलिंग आ जाती है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

जब आपने इनके प्रिविलेज' मोशन को डिस-अलाउ कर दिया तो फिर उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : I.P.M. Sahib, you please move the motion under Rule 15.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मोशन मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए ऐडजर्न रहेंगी।

Mr. Speaker : Qustion is—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए ऐडजर्न रहेंगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब गवर्नर ऐड्रैस पर डिस्कशन रिज्यूम की जाएगी। Dr. Mangal Sein was on his legs. He may please continue his speech.

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, कल मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए निवेदन कर रहा था कि केन्द्र में नई सरकार आने के बाद पंजाब में आतंकवाद

पहले से कुछ ज्यादा बढ़ा है। केन्द्रीय सरकार की बहुत अच्छी नीयत है कि पंजाब के मामले को भाईचारे और प्रेम से सुलझाया जाए। अगर किसी क्षेत्र की जनता की कोई शिकायत है तो उसे दूर किया जाए। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि उग्रवादी केन्द्रीय सरकार की नेक नीयत को कमजोर समझकर पहले से ज्यादा उग्र होकर आतंकवाद का सहारा ले कर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह से करके वे इस सरकार को डराना चाहते हैं। जनता दल की सरकार केन्द्र में है और मेरी पार्टी बी० जे० पी०, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी कुछ पार्टियां उसके समर्थन में हैं। हम कभी भी इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। आनन्दपुर का जो प्रस्ताव है *that is a document of disintegration of the country.* उसके मुताबिक हम देश के टुकड़े कभी भी नहीं होने देंगे। यह बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल बोलते हुए चुनाव की चर्चा की थी। आज तो मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहना चाहता हूं। वे यहां पर मुख्य मन्त्री बनने के बाद एक क्षण गंवाये बगैर हरियाणा की समस्याओं को सुलझाते हुए सारे देश में घूमते रहें और पहले जो विपक्ष चुनावों के दौरान बिखर जाता था उसको इकट्ठा करते रहें। पहले कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार के बदले विपक्षी पार्टियों के 5-5 आदमी खड़े हो जाते थे और कांग्रेस वाले जीत जाते थे। उनकी इस भावना को, श्री वी० पी० सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवानी जी जैसे नेताओं से आपस में मिलकर ऐसा अमली जामा पहनाया कि केन्द्र में

कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। इसी प्रकार मे अब आगे होने वाले विधान सभा के चुनावों में भी, जहां-जहां पर वे होने हैं, कांग्रेस की यही दुर्गति होने वाली है। इन राज्यों में विपक्ष जीत कर आयेगा यानि केन्द्र मे सत्ता धारी दल जीत कर आयेगा। यहां के आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस समय देश के उप प्रधान मन्त्री बन चुके हैं। उनके केन्द्र में चले जाने पर यानि उप प्रधान मंत्री बन जाने के बाद स्वाभाविक, था कि इस प्रदेश का कोई नया मुख्य मन्त्री होता। श्री ओम प्रकाश जी को हमने अपना नेता मान लिया यानि उन्हें चुन लिया। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जनता दल और बी० जे० पी० ने पहले वाले लोक- दल के साथ इकट्ठा चुनाव लड़कर जनादेश इकट्ठा लिया था। हमारा शुरू से ही यही विचार था कि हम इस सरकार को समर्थन देंगे इसलिए हमने इनके नेता को सदन में अपना नेता भी स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में एक बात आती रही है कि पहले तो बी० जे० पी० भी मंत्री परिषद में शामिल थी लेकिन अब क्यों नहीं है? इस बारे में मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हम चौधरी ओम प्रकाश जी के मंत्रिमण्डल में मजबूरी में शामिल नहीं हुए। हमें इनके मंत्रि मंडल में मजबूरी में आने से इनकार करना पड़ा है क्योंकि हम केन्द्र में भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं। वहां पर भी हम सत्ता धारी दल को बाहर से समर्थन करेंगे। यू० पी० में भी हमारी यही नीति है। हमारी देशव्यापी एक हो नीति है। हरेक पार्टी की अपनी एक नीति होती है। हमारा अनुशासन जरा दूसरी पार्टियों से कुछ ज्यादा है। इसलिए हमने भी यहां पर यह तय किया कि हम इस सरकार को

बाहर से ही समर्थन करेगे। हम बाहर से वैसा ही समर्थन करेंगे जैसा कि अन्दर रहते हुए कर रहे थे हां, थोड़ा चर्चा का अधिकार हम चाहते हैं ताकि हम कुछ सुझाव दे सकें और अपनी राय बता सकें और प्रदेश के हितों के बारे में अपनी बात कह सकें। स्पीकर साहब, मैंने यह बात इसलिए कही है कि किसी को किसी तरह का भ्रम न करना पड़े। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आई हैं। इसमें ला एण्ड आर्डर के बारे में जिकर किया गया है। कांग्रेस की ओर से चुनावों के दौरान ही राज्य में कुछ गुण्डागर्दी हुई है वरना आम तौर पर प्रदेश में शान्ति रही है।
(विधन)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट औफ आर्डर सर, ये जो कांग्रेस पार्टी पर इलजाम लगा पे हैं ये बिल्कुल गलत लगा रहे हैं।

Mr. Speaker : Please sit down. You will get time.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, इनके 'फादर मेरे गहरे दोस्त थे। ये तो मेरे अजीज लगते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीत कर आ गए, यह अलग बात है। अभी तो इनका नया नया काम है। इनको बहुत कुछ सीखना है और सीखने के लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा। तथा सुनने के लिए हिम्मत भी चाहिए। अगर ये कुछ कहेंगे तो हम भी सुनेंगे। अभी तो इन्होंने सफर शुरू ही किया है लेकिन मैं फिर 'कहता हूँ कि ये मेरे अजीज हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि सारे देश

में कांग्रेस के लोगों गुण्डागर्दी ने की। अजय सिंह जी जरा अपने गिरेबान में भी के झांक कर देखिए कि आपकी सरकार ने क्या 2 गुल खिलाये। हिन्दुस्तान का प्रधान मन्त्री हो और वह यह कहें कि वह ही असली गांधी है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते को नकली गांधी बना दिया। महात्मा गांधी के पोते के पोलिंग बूथों पर हमले करवाना, उनके समर्थकों पर गोली चलवाना, क्या यह शांतिप्रिय और सद्भावना के काम हैं? अजय सिंह जी अभी आपको तो लम्बा सफर तय करना है। (विघ्न) मैं यह कहना चाहूंगा, स्पीकर सर, कि हमारी उस जनप्रिय सरकार ने लोगों को बहुत कुछ दिया है लेकिन कुछ काम ऐसे भी हुए हैं जो न चाहते हुए भी सरकार की बदनामी के कारण बने हैं। लोगों का गुट बनाकर कस्बों और शहरों में जाना, बिना पूछे चीजें उठा लेना और जब वे पैसे मांगे तो कहना कि ताऊ से ले लेना। मैंने कहा कि कौन से ताऊ की बात कर रहें हो चाचा तो मैं सामने खड़ा हूँ। इस प्रकार की बातें सरकार के लिए बदनामी का कारण बनती हैं। मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सरकारी जमीन कारपोरेशन की जमीन, लोकल बाडीज की जमीन तथा प्राईवेट जमीन पर नाजायज कब्जे न करने दे। अगर कोई नाजायज कब्जा करता है तो उसके खिलाफ तुरन्त ऐक्शन लें और कानून के मुताबिक कार्यवाही करें। स्पीकर सर, हमारे रावत साहब के ऐरिया नें एक गांव पड़ता है अली ब्राह्मणा। यह मेवात ऐरिये का गांव है। वहां के एक मन्दिर की मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ डाला, मन्दिर की दीवार तोड़ डाली, मुकुट चोरी चला गया

लेकिन एस० एच० ओ० ने मामला दर्ज करने में आनाकानी की। इस बात के लिए धरना देना पड़ा तब कहीं जा कर रपट दर्ज हो सकी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के काम करने की किसी को भी हरियाणा में इजाजत नहीं होनी चाहिए। ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिए ठोस पग उठाए जाने चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आदमियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं ऐसे तत्वों से कहना चाहता हूँ कि वे इस प्रकार की हिमाकत दोबारा न करें।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, अब आप वाइंड अप करिये।

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी तो तवा गर्म ही हुआ है। स्पीकर सर, मुझे निवेदन करना है कि इस प्रकार की बातों से सरकार के खिलाफ प्रचार के मौके मिलते हैं। अभी-अभी नौकरियों के बारे में एस० एस० एस० बोर्ड ने 5600 क्लक रखे। अब्बल तो इतने क्लर्कों की जरूरत ही नहीं थी। इस बारे में आदरणीय मुख्य मन्त्री चाहें तो इन्क्वायरी करवा लें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में नौकरियों के पु लिए फूलप्रूफ ऐसा अरेंजमेंट हो कि नौकरियां मैरिट के आधार पर ही मिले। आवश्यकता यह भी है कि जितनी आसामिया हों, उसके मुताबिक ही भर्ती होनी चाहिए लेकिन होता क्या है कि आसामिया तो 7 होती है लेकिन 70 व्यक्तियों को 'भर्ती कर लिया जाता है, उन्हें अप्वायंटमेंट लैटर दे दिये जाते है। वे ज्वायन करने के लिए

महकमों में जाते हैं तो महकमों वाले कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी कुर्सियां भी नहीं हैं कि इनको बिठा सकें। जब लोगों को वहां नौकरी नहीं मिलती तो लोग कोटों में जले जाते हैं। इससे सरकार को और लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में सुप्रीमकोर्ट ने किसी केस में फैसला दिया है कि एक आसामी के लिए 3 आदमियों से ज्यादा उम्मीदवार न बुलाए जाएं। एक आसामी के लिए 100 आदमी बुलाने का क्या लाभ है क्योंकि 99 तो लग नहीं सकते, अनावश्यक मिट्टी खराब होती है और टैलीफोन होते रहते हैं। इन सब बातों का क्या फायदा है ?

स्पीकर सर, इसके इलावा आदरणीय मुख्य मंत्री जी से मैंने एक दो बड़ी आवश्यक बातें कहनी हैं, जो लोकल-बौडीज के मामलों में हैं। मैं भी इस महकमे के काम को कुछ महीनों तक देखता रहा है। वैसे तो नगरपालिकामें की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है लेकिन फिर भी सरकार ने शहरों के लिए पिछले साल चार करोड़ रुपया अनुदान का दिया है। इस पैसे के बारे में गवर्नर साहब के ऐड्रैस में भी जिक्र है। चार करोड़ रुपया शहरों के लिए बहुत कम है। यह ठंठ के मुंह में जीरे वाली बात है। कम से कम 25-30 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि नगर-पालिकाओं का जो जने सेवा का उद्देश्य है, वह पूरा हो सके। मुख्य मंत्री महोदय ने एक और अच्छी घोषणा इस वक्त की है कि हर हरियाणा के गांव में स्वच्छ पानी का प्रबन्ध किया

जायेगा। अगर गांव के लिए स्वच्छ पानी का प्रबन्ध किया जाएगा तो हमारी नगरपालिकाये भी हैं जहां प्रबन्ध होना चाहिए। अगर इन नगरपालिकाओं के पास पैसा नहीं होगा तो वे पानी का प्रबन्ध कैसे करेंगी, सफाई का प्रबन्ध कैसे करेंगी? कई नगरपालिकाये तो ऐसी हैं जो आठ-आठ महीने से कर्मचारियों को तन्खाह भी नहीं दे पायी हैं। इसलिए वहां पैसा दिया जाना चाहिए। एक और भी घोषणा चौधरी ओम प्रकाश जी ने की पै। गांवों के नवयुवकों को नौकरियों में भर्ती होने के लिए पांच साल की छूट दी है। उन्होंने कहा है कि गांव के बच्चे देर से पढ़ना शुरू करते हैं। यह बात तो उनकी ठीक है कि गांवों में इतनी सुविधाये नहीं हैं इसलिए वे देर से पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन शहरों में भी सारे इतने अमीर लोग नहीं बसते हैं कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा समय पर 'दिला दें। वहां पर भी गरीब लोग बसते हैं। सरकार को ऐसा ढँग अपनाना चाहिए जिससे सभी नौजवानों को यह सुविधा मिल सके। जिस प्रकार से केन्द्र ने सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए सनी को 2 साल की छूट दी है इसी प्रकार की सुविधा यहां सभी को दी जाये। हमें यह अनावश्यक ही शहर और देहात की दीवार खड़ी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे यहां कांग्रेस के भाई भी बैठे हैं, श्री अजय सिंह जी तो इतने कांग्रेस के आदमी नहीं है लेकिन फिर भी इन लोगों को बुराई करने का अनावश्यक मौका मिलता है। स्पीकर साहब अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल यहां पधारे थे। उन्होंने यहां अपना अभिभाषण पढ़ा और पढ़ने के बाद यहां उस पर बहस आरंभ हुई। बहस के बाद

उन्हें धन्यवाद का प्रस्ताव भेजा जाता है लेकिन उन्होंने तो पहले दिन अपना अभिभाषण सदन में दिया और अगले ही दिन त्यागपत्र दे दिया। वे तो चले गये लेकिन अब तो उनके ऑफिस को ही धन्यवाद करना है। लोकतन्त्र में हमारे संविधान में व्यवस्था है कि राज्यपाल महोदय सदन में आते हैं हम उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, शान्ति से उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद धन्यवाद का प्रस्ताव पास करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

ई० जगपाल सिंह चौधरी (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, गवर्नर ऐड्रैस पर जो धन्यावाद का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बारे में मैं पैरावाइज सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले निवेदन है कि हाल में लोक सभा के लिए हुए चुनावों के फलस्वरूप केन्द्र में सरकार का परिवर्तन हुआ। चौधरी देवी लाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समर्थन से केन्द्र में हमारे नए प्रधान मन्त्री आये हैं। मैं चौधरी देवी लाल को मुबारक-बाद देता हूँ कि उन्होंने हरियाणा का नामांका किया है। आज तक हरियाणा का कोई भी व्यक्ति उस पद पर नहीं पहुंचा है जिस पर चौधरी देवी लाल जी पहुंचे हैं। इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। पैरा 3 के सम्बन्ध में निवेदन है कि पंजाब के अन्दर कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों के साथ जो हादसा हुआ है और जिसमें आठ लड़के मारे गये हैं उनके लिए हमें बड़ा दुःख है। मेरे ही प्रोफेशन के एक साथी का भी

लड़का इस हादसे में मारा गया। इसलिए मैं खासतौर से चाहूंगा कि एस० ई० पब्लिक हेल्थ, श्री ओ० पी० चड्ढा को संवेदना संदेश भेजा जाये। पैरा चार में तहसीलों और सब-तहसीलों के बनाने का जिक्र किया गया है। चार नये जिले बनाने के साथ-साथ कुछ नई तहसीलें और सब-तहसीलें बनाई गई हैं। हमारी सब-तहसील रायपुररानी है लेकिन उसके आसपास के गांव जो केवल उससे दो और चार मील के फासले पर हैं, उनको पंचकूला में लगा दिया है जिसके कारण उन लोगों को बड़ी भारी दिक्कत हो गई है। मुराद नगर, भोजराजपुरा, काजमपुर, पारवाला और कन्डीवाला आदि गांवों को रायपुर रानी सब-तहसील में ही रखना चाहिए ताकि उन लोगों को दिक्कत न हो क्योंकि पंचकूला रायपुर रानी से काफी दूर पड़ता है और ये गांव रायपुर रानी के नजदीक हैं। जहां तक पैरा नं० 7 का ताल्लुक है, इसमें लिखा है कि देहाती क्षेत्र के लिए 75 प्रतिशत बजट रखा गया है। मैं चाहूंगा कि इसको बढ़ाकर कम से कम 80 प्रतिशत देहाती क्षेत्र के लिये किया जाये ताकि देहाती क्षेत्र जो काफी पिछड़ा हुआ है, वह कुछ आगे बढ़ सके। मेरा कहना यह है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 75 से 80 प्रतिशत तो कर दिया जाए। जो पैरा नं० 9 है, इसमें यह कहा गया है कि गन्ने का भाव 40 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है लेकिन अम्बाला जिले में अभी भी 18- 20 रुपये क्विंटल के भाव से गन्ना बिक रहा है। यह इसलिये है क्योंकि वहां पर कोई चीनी की मिल नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने अम्बाला में यह अनाऊंस किया था कि शहजादपुर में एक शूगर

मिल खोल दी जायेगी। मैं यह चाहूंगा कि इस की सैक्शन जल्दी से जल्दी दी जाये ताकि उस की कुछ डिवैल्पमेंट हो सके। इससे मेरे इलाके नारायणगढ़ के साथ-साथ मुलाना, सढौरा और कालका हल्कों के किसानों को भी फायदा होगा। वहां के किसानों को भी वही -भाव मिलेगा जो दूसरों को मिल रहा है। एक और बात जो मैं इसी पैरा पर कहना चाहता हूं वह यह है को दिल्ली के आसपास हौर्टीकल्चर का काम किया जा रहा है। हमारा जो इलाका है, वह सब-माउन्टेनियस एरिया है। वहां पर फूट ज्यादा होता है। मेरा कहना यह है कि अम्बाला जिले को भी फ्रूट्स के लिये ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिये। इसके अलावा एक और प्रोजैक्ट चौधरी देवी लाल जी ने अनाउन्स किया था जो 1- 1- 1990 से शुरू होना था। वह कांडी एरिया प्रोजैक्ट है। अब उसके शुरू होने की तारीख बदलकर 1- 4- 1990 कर गई दो है। मेरा कहना यह है कि अब इस तारीख को दोबारा से न बदला जाये और इस दिन इसको अवश्य ही शुरू किया जाये। इसकी डेट को लम्बा न किया जाये वही डेट रखी जाये।

11.00 बजे।

जहां तक पैरा नं० 10 का सवाल है, नारायणगढ़ क्षेत्र के अन्दर उद्योग की कोई सुविधा नहीं है। जब श्री सूरज भान जी एम० पी० थे, तो रेलवे लाईन जगाधरी से चंडीगढ़ तक बिछाने के लिये फैसला हुआ था। उसके लिये सर्वे भी हो चुका था। मैं चाहूंगा कि उस मामले को दोबार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की

रेलवे मिनिस्ट्री के साथ टेक-अप किया जाये। इससे सारा ही एरिया डिवैल्प हो जायेगा। हमारे मुख्य मंत्री जी लगभग हरेक मिनिस्ट्री से बातचीत करते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री से भी इस बारे में बातचीत की जाये। जहां तक पैरा नं०15 का सम्बन्ध है, इसमें एस० वाई० एल० का जिक्र किया हुआ है। अम्बाला इरीगेशन स्कीम के अन्तर्गत जो हथनीकुड से बरवाला तक नहर बननी है, उस पर 37 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। पिछली दफा इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर महोदय ने यह कहा था कि उसे हम तब टेक-अप करेंगे जब एस० वाई० एल० का पानी आयेगा। अब एस० वाई० एल० की नहर 6 महीने में आने वाली है। इस नहर से, जो 37 करोड़ रुपये से अम्बाला इरीगेशन स्कीम के अर्न्तगत बननी है, सारे अम्बाला जिले का फायदा है। यह हथनीकुड से जल्दी से जल्दी बनायी जाये और इसको टेक-अप किया जाये। बाकी मुख्य मंत्री जी ने एक बात यह कही थी कि घग्गर डैम, टांगरी डैम और मारकंडा डैम भी इस इलाके में शुरू किये जायेंगे। इससे सिरसा जिले को भी फायदा है। इन तीनों जगहों पर डैम तुरन्त बनाये जायें। एक और बात के बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है और यह एलान किया हैकि जो हरिजन विडोज होंगी, उनकी पुनः शादी के लिये 2500 रुपया दिया जायेगा। यह सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि यह फायदा केवल हरिजन विडोज को ही नहीं, बल्कि दूसरी जाति की विडोज को भी मिलना चाहियें यानि 2500 रुपया उन की शादी के लिये भी दिया जाये। इस बारे में कोई डिस्क्रिमी-नेशन नहीं होना चाहिये। जहां

तक पीने के पानी की सुविधा देने का सवाल है, यह सुविधा देने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूँ। सारे देश में हमारे प्रदेश की सरकार ही पहली सरकार है जहां पर हरेक आदमी को पीने का पानी दिया जायेगा। ऐसी भी बहुत सी जगहें हैं जहां पर 10 गैलन पर कैपिटा पर डे के हिसाब से पानी नहीं मिलता है। वहां पर गांवों में केवल 5-6 गैलन पानी ही मिल रहा है। मैं यह चाहूंगा कि उनको कम से कम 10 गैलन पर कैपिटा पर डे के ०पर लाया जाये जो कि सारे हिन्दुस्तान का स्टैण्डर्ड है। शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालयों को हर जिले में खोलने की जो स्कीम है उसके अन्तर्गत नारायणगढ़ में एक नवोदय विद्यालय खोला जाना चाहिए। अम्बाला में तो पहले ही काफी विद्यालय हैं और शिक्षा का अच्छा इन्तजाम है। जिन जगहों पर आलरेडी शिक्षा का अच्छा इन्तजाम है, वहां नवोदय विद्यालय नहीं खोलने चाहिए। अम्बाला जिले में शूगर मिल खोलने की जो तजवीज है उसके बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि यह मोस्ट फिजीबल है। अम्बाला जिले में चार-पांच लाख क्विंटल गन्ना पैदा हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इस मिल को जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करें। ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि नारायणगढ़ सब डिपो को डिपो बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि नारायणगढ़ डिपो अम्बाला से अटैच कर दिया जाए। इस वक्त यह सब-डिपो यमुनानगर से जुड़ा हुआ है। अम्बाला के साथ अटैच करने से लोगों को काफी सुविधा होगी। इस समय नारायणगढ़ सब डिपो में बसें काफी कम हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो

दो सौ बसें और खरीदने का विचार है उसमें से कम से कम दस बसें नारायणगढ़ डिपो को दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह भी पौलिसी है कि हर सब-डिविजनल लैवल पर एक टूरिस्ट कम्पलैक्स खोला जाएगा। पौंटा साहब को जो लोग जाते हैं, वे नारायणगढ़ से होकर जाते हैं। इसलिए नारायणगढ़ में टूरिस्ट काम्पलैक्स की बहुत आवश्यकता है। नारायणगढ़ का सब-डिविजन काफी पुराना सब-डिविजन है। पिछली दफा भी मैंने कहा था कि वहां पर टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाना चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर जल्दी से 'जल्दी टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाया जाए। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव हाउस में पेश हुआ है, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री परमानन्द (जीन्द): अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री जगन नाथ): आपने वाक आउट किया था?

श्री परमानन्द: उसके बारे में भी बताऊंगा। आप ऐसी बात न करें। Now you are a minister.

Mr. Speaker : Please do not interfere.

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के पैरा नम्बर 2 में एक बात कही गई है कि यह साल बहुत घटनापूर्ण रहा है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह साल घटनापूर्ण रहा है क्योंकि 1989 की पहली तारीख को आतकवादियों द्वारा हमारे विधायक श्री शिव प्रसाद पर हमला किया गया और उसके कुछ देर बाद श्री हरनाम सिंह विधायक, शाहबाद और उसके परिवार पर हमला किया गया और उनके परिवारजन मारे गए। उसके बाद करनाल के पास बस में बम विस्फोट हुआ और कुछ लोग मारे गए। पंचकूला कालका मार्ग पर डी० एस० पी० और उसका ड्राइवर मारा गया। कैथल, पानीपत और कुछ दूसरी जगहों पर आतकवादी घटनाएं हुईं। इन घटनाओं के बाद वर्ष के अन्तिम भाग में और अन्तिम माह में कुछ घटनाएं और भी हुईं। स्पीकर साहब, 26 तारीख का दिन एक ऐसा दिन था जिसके बारे में यर कहा गया है—

क्या यूं ही जगमगाए हैं मंजिल के रास्ते

लाखों चिरागे खूने शहीदां से आए हैं।

उस दिन इस देश की स्वतन्त्रता के लिए बलि देने वाले एक योद्धा का दिन था। भारत में 19 अप्रैल को जलियांवाला बाग में भारतवासियों का अपमान हुआ वहां पर बेगुनाह लोगों पर गोली चलाकर भून दिया गया था और उसका बदला सरदार उधम सिंह ने लिया था। ऐसा शहीद जिसने अपने खून का चिराग जलाकर स्वतन्त्रता के मार्ग को प्रज्वलित किया था उसके जन्म दिन पर

श्रद्धा सुमन चढ़ाने वालों को पारितोषिक मिलना चाहिए था और उसमें विघ्न डालने वाले को कैद में डालना चाहिये था क्योंकि वह गद्दारी का काम कर रहा था लेकिन वास्तव में हुआ बिल्कुल उलट कि जो श्रद्धा सुमन चढ़ाने जा रहे थे उन पर केस बनाकर, कैद में डाल दिया गया और जिसने उन श्रद्धा सुमन चढ़ाने वालों को रोका उस पर कोई केस नहीं बना। इसी तरह से शाहबाद के करीब एक नेपाली युवती का कुछ लोगों द्वारा अपहरण किया गया और सामूहिक रूप से उस युवती के साथ बलात्कार किया गया। 2 तारीख को लड़की बरामद होने के बाद, लगभग एक हफ्ते तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया, मैडिकल नहीं किया गया और न ही कोई जांच वगैरह ही की गयी। स्पीकर साहब, आप भली भांति जानते हैं और माननीय सदस्यगण भी जानते हैं कि 7 दिनों के बाद जब मैडिकल हो, उसमें वे बहुत प्रमाण नष्ट हो जाते हैं जो बलात्कार केसिज में बहुत लाभदायक होते हैं। वह केस भी बहुत लेट दर्ज हुआ क्योंकि इसका कारण यह था कि इस केस को करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो शायद शासक दल के बड़े लोगों से जुड़े हुए थे। इसी तरह से 26 तारीख को गन्नौर के पास जुआ गांव के अन्दर बसे करीब 7 धानक परिवारों को उजाड़ दिया गया। 1977 में उनको जो 100-100 गज के प्लॉट्स अलौट हुए थे, उन प्लॉटों पर सरपंच द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया गया। 31 तारीख को जीन्द के अन्दर जो घटना हुई उसका तो सभी माननीय सदस्यों को पता ही है। इसलिये इस प्रकार की घटनाओं

से भरा हुआ वह वर्ष, जिसमें यह दुर्घटनाएं हुई हों, अगर उस को दुर्घटनाओं का वर्ष कह दिया जाये तो ठीक रहेंगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण के कुछ मुद्दों के०पर कुछ कहना चाहूंगा। सिंचाई के बारे में, अभी हमारे योग्य मन्त्री जी ने बताया कि पानी की उपलब्धि में कुछ कमी रही है लेकिन जो पानी उपलब्ध है, वह टेल तक कई बार पहुंच नहीं पाता है। कल स्वयं ही मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि बरसौला गांव में पानी टेल तक नहीं पहुंचा जिसके कारण से उस गांव के लोगों ने पिछले चुनाव का बहिष्कार भी किया था। इसी प्रकार से दधाना माईनर, सामदो सारव, बरसौला खुर्द उप-माईनर और कोथ कलां माईनर की टेलों पर भी कई कई महीने पानी नहीं पहुंचता। मैं मन्त्री महोदय से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि इन सभी माईनरों की टेल तक पानी को पहुंचाने का शीघ्र ही प्रबन्ध किया जाना चाहिये ताकि इन इलाकों के गांवों में, जहां पानी की कमी है, जहां का जमीन के नीचे का पानी कड़वा है, वहां के जो किसान लोग हैं, वे अपनी फसलों को आसानी से पका सकें और अपने बाल बच्चों का गुजारा चला सकें। बिजली के बारे में यह बताया गया था कि कृषि क्षेत्र को सरकार ने 145 लाख यूनिट्स बिजली दी है लेकिन फिर भी पिछले 14-15 दिनों के दौरान बिजली बहुत कम रही है। इसमें बड़ी अनियमितताएं रही हैं जिससे फसलों का काफी नुकसान हुआ है। केवल किसानों की फसलों को ही कम बिजली मुहैया नहीं हो रही,

बल्कि इस प्रदेश में लगे हुए उद्योगों पर जो कटौती लगी थी, वह आज भी जारी है। उस कटौती के कारण प्रदेश की उन्नति में भी बाधा आई हुई है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से दरखास्त करना चाहूंगा कि वे इस प्रकार का प्रबन्ध करें जिससे भविष्य में बिजली की उपलब्धि रहें और उसकी सप्लाई नियमित रहें ताकि कृषक और व्यवसायी दोनों को उचित मात्रा में बिजली मिल सके और इस प्रदेश की उन्नति हो सके। कृषि इस प्रान्त का प्रमुख पेशा है। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते इस प्रदेश की कृषि पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और कृषि की उन्नति के लिए नई तकनीक के अनुसार बीज, रासायनिक खाद और दवाईयां ठीक समय पर और ठीक मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। परन्तु मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इस बार फसल की बीजाई के टाईम किसानों को डी० ए० पी० खाद नहीं मिला। उनको वह ब्लैक में खरीदना पड़ा। इसी प्रकार से प्रथम सिंचाई के समय यूरिया बहुत जरूरी होता है। उस वक्त पता नहीं किन कारणों से यूरिया की कमी रही। उस समय यूरिया का कट्टा 118 रुपए का कर दिया गया जबकि पहले उसकी कीमत 96 रुपए थी। जब इस प्रान्त के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री केन्द्र में उप प्रधान मन्त्री हों और वे कृषि विभाग के इंचार्ज हों तथा प्रदेश में उनके सुपुत्र मुख्य मन्त्री हों, ऐसी हालत में भी किसानों को खाद का कट्टा 22 रुपए अधिक मूल्य पर मिले तो यह कहां तक उचित है? ऐसी हालत को देखकर मैं नहीं कहता बल्कि गांव के भोले किसानों ने एक

कहावत बनाई है कि 'नीचे बेटा०पर बाप, फिर क्यों मिलता मंहगा खाद। (विघ्न)

स्पीकर साहब, अब मैं पर्यावरण के बारे में बात करना चाहूंगा। मेरे पास फौरेस्ट विभाग था जो पर्यावरण को शुद्ध करता है। इस अभिभाषण में पर्यावरण के सुधार के बारे में और फौरेस्ट के विकास के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आज के इस युग में ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियों के धुएं से, उनके तथा शहरों के गन्दे पानी से जो वायु और पानी का प्रदूषण हो रहा है, उसके बारे में कोई विशेष बात इस अभिभाषण में नहीं कही गई है। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस दिशा में कदम उठाएं और पर्यावरण जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर विशेष ध्यान देकर आने वाले बजट में पूरा प्रावधान करें मैं एक दो बातें समाज के उन दलित और पीड़ित लोगों के बारे में कहना चाहूंगा जिनको०पर उठाने केलिये कल इसी 'सदन में उसके एक भाग के बारे में संविधान के 62 वें संशोधन का अनुमोदन किया था। समाज के इन शड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के साथ इस प्रान्त में यह हो रहा हैकि उनकी जो निर्धारित सीटें हैं, वे पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसा कि विधान सभा को कमेटी औन दि वैल्फेयर औफ शड्यूल्ड कास्टस एंड शड्यूल्ड ट्राइब्ज की 13वीं और 14वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि क्लास वन में कुल 1133 पोस्टस हैं, शड्यूल्ड कास्टस के कुल 23 हैं, 203 की कमी है। क्लास टू में 2180 हैं जिनमें से केवल 91 शड्यूल्ड कास्टस हैं

345 की कमी है। क्लास भी में रिजर्वेशन के कोटे में कोई शॉर्टफाल नहीं होना चाहिए लेकिन उसमें भी कमी है। क्लास ली में 61200 हैं जिनमें से 8108 शड्यूल्ड कास्टस हैं, 4141 की कमी है। क्लास फोर में रिजर्वेशन कोटे में कोई कमी नहीं है उसमें अधिकता है। यदि सफाई कर्मचारियों की पोस्टों पर दूसरी जातियों के लोग हिम्मत करके दाखिल हो जाते तो शायद यह कोटा भी पूरा नहीं होता। इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। समाज के कमजोर वर्गों पर हुई अत्याचार की घटनाओं के बारे में इसी रिपोर्ट के अन्दर पिछले तीन साल का ब्यौरा दिया गया है। वर्ष 1986 में शड्यूल्ड कास्टस महिलाओं के साथ रेप के 17 केस हुए थे जो 1987 में बढ़ कर 20 हो गए और 1988 में 22 हो गए। इसी तरह से हरिजन महिलाओं के साथ 1986 में 13 केस ऐबडक्शन के हुए थे, 1987 और 1988 में 16, 16 केस हुए थे। इस तरह से गरीबों पर अत्याचार की घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं पिछड़े वर्ग के बारे में एक दो बातें कह कर अपनी स्पीच समाप्त करूंगा। पिछड़े वर्गों के लिये 1987 के चुनावों से पहले चौधरी देवी लाल जी ने अपने घोषणा पद में 9 वायदे किए थे, उस घोषणा पद की एक प्रति मेरे पास है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन 9 वायदों में से एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया।

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, to put the record straight मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य फरमा रहें हैं कि आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने पिछड़े वर्गों के लिये 9 वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह बात सारी दुनियां जानती है कि एक आध वायदे को छोड़ कर उनके द्वारा किए गए सभी वायदे पूरे किए गए हैं। चाहे वृद्धावस्था पेंशन का वायदा था, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा था और चाहे हरिजन महिलाओं को जापे के समय 300 रुपए की सहायता देने का वायदा था, सभी वायदे पूरे किए गए हैं। It is a matter of record. फिर भी माननीय सदस्य इस तरह की बात कहें तो उन्हें शोभा नहीं देता।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, उस घोषणा पत्र में वायदा नम्बर 9 में यह कहा गया था कि फूड फार वर्क स्कीम चलाई जाएगी। वायदा नम्बर 19 में यह कहा गया स्व कि शहरों में लैंडलैस और एस०सीज०/बी० मीज० को रैजीडैशियल प्लाट दिए जाएंगे। वाक्या नम्बर 25 में यह कहा गया था कि जो थ्रैशर और टोका मशीनें हैं, उन पर ज्यादातर हरिजन मजदूर काम करते हैं, उनके अंगों को कटने से बचाने के लिये उपाय किए जायेंगे। वायदा नम्बर 31 में यह कहा गया था कि एक विशेष कमेटी बना कर आरक्षण में जो बैकलाग है, उसे पूरा किया जाएगा। वायदा नम्बर 32 में यह कहा गया था कि बी० सीज० का रिजर्वेशन का कोटा 10 परसेंट से बढ़ा कर 15 परसेंट किया जाएगा। वायदा

नम्बर 33 में यह कहा गया था कि शहरों में सरकारी संस्थाओं द्वारा बनाई गई दुकानें बी० सीज० को अलौट की जाएंगी। वायदा नम्बर 34 में यह कहा गया था कि एस० सीज० की भांति बी०सीज० को पंचायतों की भूमि पट्टे पर देने में हिस्सा दिया जाएगा। वायदा नम्बर 35 में यह कहा गया था कि पुलिस की भर्ती में एस० सीज० की भांति बी० सीज० को कद, छाती, तोल और शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाएगी। लेकिन इनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। स्पीकर साहब, मैं आपकी सेवा में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ—

जो नकाबे रूख उठा दी तो यह कैद भी लगा दी,

उठे हर नजर मगर वो बाम तक न पहुंचे।

तो स्पीकर साहब, वायदा नम्बर 37 में यह कहा गया था कि आरक्षण पाने वाले सभी वर्गों की भलाई को स्कीम लागू करवाने के लिए एक स्थाई कमेटी बनाई जाएगी, जो निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट विधान सभा में और सरकार को देगी। स्पीकर साहब, मैंने आपके सामने 9 वायदे गिनाए हैं यदि उनमें से एक भी वायदा पूरा किया गया हो, तो ये मुझे बता दें। इस बारे में मैं आपकी सेवा में एक शेर अर्ज करना चाहूंगा।

ए मेरे मेहरबान तुम अनूठे निकले,

जब आन के पास बैठे रूठे निकले

क्या कहिए वफा एक भी वायदा न किया,

यह सच्च है कि तुम बहुत झूठे निकले।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री आत्मा राम गोदारा (धिराय): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय रावत जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस विषय में मेरे से पहले बोलने वाले मेरे साथी काफी कुछ कह चुके हैं। विशेष रूप से मैं सबसे पहले उन बातों का जिक्र करूंगा जो हमारे राज्यपाल महोदय ने अरपने अभिभाषण में हमारी सरकार के बारे में बताई हैं। यहां पर मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्य मंत्री बनते ही यह ऐलान किया कि जो नौजवान ओवर एज होने की वजह से सरकारी नौकरी नहीं पा सके थे, उनके लिए 5 साल की वृद्धि कर दी गई है, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया और सराहनीय कदम है। इस बात के लिए मैं अपने नेता का अभिवादन करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 1987 के चुनावों के बाद जनता दल यानी लोक दल और बी० जे० पी० के सहयोग से जो हमारी सरकार बनी थी, उसके बाद से काफी जन-सुधार और जन-कल्याण के कार्यक्रम लागू किए गए हैं और अब भी लगातार ये कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इन सभी

बातों को दोहराना तो इतना जरूरी नहीं है क्योंकि हिन्दुस्तान के सारे लोग उन बातों को जानते हैं और प्रत्यक्ष रूप से ये सभी बातें हमारे सामने हैं। अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, इन चुनावों के नतीजों से ही इस सरकार की गतिविधियों का पता चल जाता है। चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा में हकूमत कायम करने के बाद हरियाणा के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। इन सभी सुविधाओं की चर्चा सारे हिन्दुस्तान में हुई है। अध्यक्ष महोदय, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग चाहें वे बूढ़े हैं, चाहें नौजवान हैं चाहें किसान है, चाहें मजदूर हैं और चाहें कोई और हैं, सभी को सरकार के खजाने से चौधरी देवी लाल जी की नीतियों के जरिए कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य मिला है जिसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान का बुजुर्ग व हिन्दुस्तान की महिलाएं यानी दूसरे प्रान्त के लोग हरियाणा के लोगों को जो बुढ़ापा पेंशन मिल रही हैं, उस की मांग करने लगे हैं। इसी प्रकार से हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के नौजवान, हरियाणा के नौजवान की भांति इस बात की मांग करने लगे हैं कि हरियाणा के बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता उन्हें भी मिलना चाहिए। आज हिन्दुस्तान का किसान इस बात की मांग करने लगा है कि हरियाणा में जिस तरह किसानों को कुदरत के किसी प्रकोप की वजह से फसल खराब होने पर जिस तरह मुआवजा दिया जाता है, उसी प्रकार का मुआवजा उन्हें भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ हिन्दुस्तान का मजदूर इस बात की मांग करने लगा है कि हरियाणा के

मजदूर को जो 800 रुपये माहवार मिनिमम वेजिज दिया जाता है, वह हिन्दुस्तान के दूसरे मजदूरों को भी, जो अभी तक नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए। ये जो बातें हरियाणा प्रांत में चौधरी देवी लाल जी ने लागू की हैं, मामूली बातें नहीं हैं। इन्हीं बातों ने आज सौर हिन्दुस्तान में क्रांति ला दी है। मैं यहां पर एक बात विशेष रूप से यह भी कहना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद दो ऐसे मौके आए हैं जिनसे हिन्दुस्तान में राजनीतिक तौर पर क्रान्ति आई है। पहला मौका तो 1977 में आया था। उस वक्त तक लगातार 30 साल से एक ही सरकार सत्ता पर आसीन रही और एक पार्टी का ही लगातार शासन रहा। पहली बार 1977 में इस पार्टी की सरकार केन्द्र में धाराशायी हो गई और जनता पार्टी की सरकार सेंटर में कायम हुई। इस क्रांति के पीछे जो महान शक्ति काम कर रही थी, वह स्वर्गीय बाबू जय प्रकाश नारायण जी की शक्ति थी। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद सन् 1977 में जो क्रान्ति आई, वह 30 साल तक एक ही पार्टी के शासन से लोगों की अपेक्षाएं पूर्ण न हो सकने के कारण आई और उसके बाद क्रान्ति की रफतार में तेजी आई। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी क्रान्ति उसके 12 साल बाद सन् 1989 में हिन्दुस्तान में आई। इस क्रान्ति के सूत्रधार हमारे माननीय नेता चौधरी देवी लाल जी हैं जो आज हिन्दुस्तान के उप-प्रधान मन्त्री हैं। वे इस बात को मानते हैं कि इस क्रान्ति के पीछे सबसे बड़ी शक्ति जनता है। इस क्रान्ति के कारण और लोगों के सहयोग और समर्थन के फलस्वरूप ही केन्द्र में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हुआ है। जन

क्रान्ति के फलस्वरूप ही हरियाणा में 1987 में जो सरकार बनी उसने इस बात को महसूस किया कि इसमें लोगों के सहयोग का कितना बड़ा योग रहा है। लोगों को इस क्रान्ति की जरूरत थी। लोगों की इस जरूरत और भावना को महसूस करते हुए उस सरकार ने जन-कल्याणकारी योजनाएं बनाईं जिसके नतीजे आज हर जगह पर परिलक्षित होते हैं। सरकार की इन जन-कल्याणकारी योजनाओं की देश भर में प्रशंसा हुई है। गवर्नर महोदय के ऐंड़से में जो नई बातें लोकहित की बताई गई हैं, उन बातों को विशेषतौर पर दोहराना मैं मुनासिब समझता हूँ। अभी हमारी सरकार ने जो ऐलान किया है और जिसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी जिक्र है, कि विकलांगों के लिए नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा यह वाकई ही बड़ी प्रशंसनीय बात है। एक ओर महत्वपूर्ण बात जो इस सरकार ने की है और मेरे ख्याल से सारे हिन्दुस्तान में किसी और प्रान्त में अभी तक नहीं हुई है, वह है हरिजन महिलाओं को प्रसव के लिए 300/- रुपये सरकार की तरफ से दिया जाना। हिन्दुस्तान के किसी अन्य प्रान्त में ऐसी सुविधा नहीं है। अतरु सरकार का यह पग भी अत्यन्त सराहनीय है। मेरे माननीय साथी परमानन्द जी वायदों काजिक्र कर रहे थे। मैं उनसे यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हरियाणा में चौधरी देवी लाल की सरकार जो 1987 में कायम हुई थी, पहली सरकार थी जिसने लोगों से किए हुए अपने वायदों को याद रखा तथा उन्हें अमली जामा पहनाया। सैटर में जब से हमारी सरकार कायम हुई है, तब से जो कदम उठाए गए हैं, उनसे हमें

पूरी उम्मीद है कि इलैक्शन के समय जो वायदे जनता से किए गए थे उनको लागू करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। अपने वायदों के प्रति सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और अपने वायदों को अमली जामा पहनाएगी। मेरे साथी न जाने किन वायदों की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरूरी समझता हूँ कि कुछ उन वायदों का जिक्र करूँ जो हरियाणा में 1987 में सरकार आने से पहले चौधरी देवी लाल ने जनता से किये थे। इलैक्शन के दिनों में चौधरी देवी लाल जो वायदे किया करते थे, सरकार बनाने के बाद उनको पूरा किया गया है। मैं कुछ उन वायदों के बाबत कहना चाहता हूँ। उन वायदों में वृद्धावस्था पेंशन देने का वायदा बहुत बड़ा वायदा था और इस वायदे को अमली जाना पहनाया गया है जिसके फलस्वरूप 8 लाख वृद्ध आज पेंशन पा रहे हैं। इसके बावजूद भी यह कहना कि इस सरकार ने वायदों का ख्याल नहीं रखा, यह बड़ी अजीब बात है। इसी प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आज तक हिन्दुस्तान में आजादी मिलने के बाद नहीं हुई थी, वह बात चौधरी देवी लाल ने पहली बार हरियाणा के अन्दर लागू की थी। उन्होंने गरीब लोगों के ऋण माफ किए। कांग्रेस सरकार के नेता, मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री राजीव गांधी भी यह कहा करते थे कि कर्जा माफी के मामले में कोई कानून नहीं है। हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल इलैक्शन के दौरान यह कहा करते थे कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत कर्जे की माफी कर दी जाये। जब हरियाणा में चौधरी देवी लाल की सरकार आई तो उन्होंने जो भी इलैक्शन के अन्दर वायदे

किए थे, वे पूरे किए। अब सन् 1989 में केन्द्र सरकार में परिवर्तन हुआ है। उस समय अखबारों में काफी पढ़ने को मिलता रहा और कांग्रेस सरकार भी यह ऐतराज किया करती थी कि कर्जा माफ नहीं हो सकता लेकिन आज वही कांग्रेस सरकार बढ़-चढ़ करके कर्जा काफी का ऐलान कर रही है। हमारी सरकार ने यह बहुत ही सराहनीय काम किया था, जिसकी नकल दूसरे प्रदेशों की सरकारें भी कर रही हैं। हरियाणा सरकार ने विधवाओं और असहाय औरतों को पेंशन के मामले में राहत दी है। पहले फार्म में लिखा होता था कि 50 रुपये महीने से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए। जिसकी इतनी आय होगी उसी औरत को पेंशन मिलेगी लेकिन अब इस आय की सीमा 200 रुपये महीना तक कर दी गई है। ऐसा करने से महिलाओं को बहुत लाभ पहुंचेगा। नगरपालिकाओं के बारे में भी इस अभिभाषण में जिकर किया गया है। 18-19 साल के बाद हरियाणा में नगरपालिकाओं के चुनाव हुए थे। ये चुनाव जन-प्रतिनिधियों को नगरपालिकाओं का प्रबंध हाथ में देने के लिए कराये गए थे। नगरपालिकाएं पब्लिक इन्हीच्यूशंज कहलाती हैं और इन पब्लिक इन्हीच्यूशंज में जनता द्वारा चुने हुए नुमाइन्दे उनके काम को देख रहें हैं। यह व्यवस्था पहली बार की गई है। हमारी सरकार आने के बाद नगरपालिकाओं में सुधार करने की कोशिश की गई है। अब नगरपालिकाओं में सी० ई० ओज० के पद खत्म करके चुने हुए नुमाइन्दों को अधिकार दिए गए हैं। यह बड़ा सराहनीय कदम है। इस प्रकार से राज्य में लोगों को बहुत सारी सहूलियतें देने के बाद भी, राज्य में आर्थिक बोझ, होने पर

भी, हमारी आय नदी है। गवर्नर साहब के अभिभाषण में बताया गया है कि सन् 1980-81 के मूल्यों को आधार माना जाये तो 21.9 प्रतिशत की वृद्धि आय में हुई है। अगर करंट मूल्यों को देखा जाये तो 1988-89 में 25.9 प्रतिशत की वृद्धि आय में हुई है। यह भी एक बड़ा सराहनीय कार्य है। एक बात मैं आवास के बारे में भी कहना चाहता हूँ और इस अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया गया है। सारे हिन्दुस्तान में आवास की बहुत भारी समस्या है और विशेष तौर पर हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज और निर्धनों के लिए ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आवास बोर्ड द्वारा अब जो मकान बनाये जाएंगे, उनमें 70 प्रतिशत मकान हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज और निम्न वर्ग के लोगों को दिए जाएंगे। इसी प्रकार से ऐग्रीकल्चर सैक्टर के बारे में भी इस अभिभाषण में जिक्र किया गया है। लेकिन इसमें एक बात कहना मैं जरूरी समझता हूँ कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर में टोटल परिव्यय का 9.1 प्रतिशत खर्च किया जायेगा। हमारा प्रदेश एक ऐग्रीकल्चर प्रदेश है। इस हालत में ऐग्रीकल्चर केलिये ज्यादा रुपये की व्यवस्था होनी चाहिये, ज्यादा रुपये का प्रावधान होना चाहिये। जो है, वह कम है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये रुपये का प्रावधान जरूर बढ़ाया जाये। इसी प्रकार से जहां पर सरकार ने ऐग्रीकल्चर सैक्टर का ख्याल रखा है, वहां इंडस्ट्रियल सैक्टर को भी अछूता नहीं छोड़ा है। उस साईड पर भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रोत्साहन इस अभिभाषण में बताये गये हैं। इसके साथ ही सिक इंडस्ट्रीज को

भी सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में औद्योगिक शांति के बारे में भी जिक्र किया गया है और उसको कायम रखने के लिये मजदूरों के मिनिमम वेजिज को 800 रुपये प्रति मास करने का प्रावधान किया गया है। यह बात वाकई ही आने वाले समय में इंडस्ट्रियल सैक्टर में पीस कायम करेगी। जो इंडस्ट्रीज में हड़तालें हो रही हैं, उस मामले में भी सुधार होगा। हैल्थ के मामले में यानी स्वास्थ्य की देखभाल के मामले में भी इस में जिक्र हुआ है कि डिस्पेंसरीज, रूरल डिस्पेंसरीज, पी० एच० सीज०, सी० एच० सीज० वगैरा खोले जायेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात विशेष रूप से देखने वाली है। यह बात ठीक है कि डिस्पेंसरीज और हौस्पिटल्ज का होना बहुत जरूरी है और ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिये। इसके साथ ही मैं एक बात यह भी कहना चाहता हू कि आज लोगों की हालत यह है कि निर्धन या कमजोर वर्ग दवाइयों का पैसा भी नहीं दे पाते। इसलिये खास तौर पर सरकारी हौस्पिटल्ज में ज्यादा से ज्यादा की दवाइयां बांटी जायें ताकि लोगों को इस विषय में कुछ सुविधा मिल सके। इस बात की मैं प्रार्थना करूंगा। ऐजूकेशन के मामले में भी एक बहुत अच्छा और नया सुधार कूरने की कोशिश की गयी है। बच्चों को आकर्षित करने के लिये कि वह पढ़ाई करें और स्कूलों में दाखिला लें, कुछ सुविधाएं दी गयी हैं। इससे आगे आने वाले टाइम में वाकई ही बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में दाखिला लेंगे। इसके लिये जो विशेष बात कही गयी है, वह यह

है कि घुमन्तु कबीलों के बच्चों को सुविधा देने के बारे में बात कही गयी है। वह वाकई एक सराहनीय कदम है। सरकार ने ऐसा करके खास तौर पर घुमन्तु कबीलों के लिये बहुत अच्छा काम किया है। (घंटी) बस, एक ही मिनट और लूंगा। मेरे हल्के की कुछ समस्याएं हैं। मेरे हल्के में एक-दो नये ब्लॉक्स बने हैं। एक उकलाना ब्लॉक है और एक भूना ब्लॉक है। मेरे हल्के के 5 गांव वैसे तो भूना ब्लॉक में आते हैं लेकिन वह उकलाना ब्लॉक में जाना चाहते हैं। वे पांच गांव हैं, पाबडा, फरीदपुर, खैरी, किनाला, कंडूरा। मेरा कहना यह है कि उनको यदि भूना से उकलाना ब्लॉक में कर दिया जाये तो ठीक रहेंगा। इसी तरह से पांच गांव और हैं, जो उकलाना से भूना ब्लॉक में आना चाहते हैं। उनको भूना ब्लॉक में कर दिया जाये तो ठीक होगा। मेरी एक और प्रार्थना है। इस प्रार्थना से खास तौर पर पांच गांवों को फायदा होने वाला है। एक स्कीम है जो कि मन्जूर हो चुकी है। वह साहू माईनर की ऐक्सटेंशन की स्कीम है। मेरी प्रार्थना यह है कि उस स्कीम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये ताकि पावड़े के पांच गांवों को फायदा हो सके। इससे उनको बहुत लाभ पहुंचेगा। (घंटी) अच्छा जी धन्यवाद।

श्री सीता राम सिंगला (गुड़गांव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रावत साहब ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की

नीतियों को उजागर किया जाता है। सरकार की पीछे क्या कारगुजारी रही है और सरकार का आगे क्या करने का इरादा है, यह अभिभाषण में बताया जाता है। इस अभिभाषण में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरी दृष्टि में रह गई हैं। क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 1987 के अन्दर भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ने मिलकर चुनाव लड़ा था और हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल यह कहा करते थे कि सदन में चार आदमी कांग्रेस की अर्धी उठाने वाले हैं और एक रोने वाला है क्योंकि बाकी सारा मामला साफ हो गया है। उसके दो साल बाद अब चुनाव हुए। यह ठीक है कि कांग्रेस के लोगों ने बूथ कैपचरिंग की और हम 39 जगहों पर हार गए लेकिन हमें आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि जहां हम इतनी सुविधाएं जनता को दे रहे हैं और हमारे इतने प्रगतिशील कार्यक्रम हैं, उसके बावजूद हम हारे हैं, इसका क्या कारण है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में इस प्रकार के अधिकारी हैं, जिनकी सांठगांठ कांग्रेस के साथ है और वह इस प्रकार का कोई काम नहीं करते जिससे सरकार को श्रेय मिले। इस सम्बन्ध में एक बात मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ और वह यह है कि सरकार ने 38 नम्बर फार्म समाप्त कर दिया है। असैम्बली ने उस फार्म को समाप्त करने के बारे में ऐक्ट पास कर दिया है लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भी बै-रियर पर व्यापारियों को परेशान किया जाता है। उनसे रिश्वत ली जाती है

और खुले आम उनको तंग किया जाता है। सब से बड़ी बात यह है कि बैरियर पर जौ अधिकारी होते हैं, सरकार उनके लिए टारगेट फिक्स कर देती है कि उन्होंने साल में इतना पैसा इकट्ठा करना है। उनकी मजबूरी होती है। टारगेट पूरा करने के लिए वे इस प्रकार से व्यापारियों को तंग करते हैं ताकि फिक्स किया हुआ रैवेन्यू प्राप्त किया जा सके। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरह से बैरियर का टारगेट फिक्स नहीं होना चाहिए वरना अत्याचार होते रहेंगे और हम बदनाम होते रहेंगे न उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल, एक बात और कहा करते थे कि भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब दिल्ली और उसके आसपास जितने सूबे हैं उनमें एक प्रकार का टैक्स हो। मतलब यह है कि रेट औफ टैक्स बराबर का हो। आम तौर पर दिल्ली के अन्दर टैक्स बहुत कम है और हरियाणा में बहुत ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालिस को लेता हूँ जिसको आम आदमी और गरीब आदमी इस्तेमाल करता एं। अमीर आदमी तो गैस से काम करता है या फिर बिजली का प्रयोग करता है। दिल्ली में माचिस पर कोई टैक्स नहीं है लेकिन हरियाणा में 8.10 प्रतिशत टैक्स है। यह बड़ा भारी अन्तर है। दिल्ली प्रान्त में बिल्कुल टैक्स नहीं है लेकिन यहां हरियाणा मे टैक्स लगाया जा रहा है। इसी तरह से वनस्पति घी है। हरियाणा में वनस्पति घी पर 8.10 प्रतिशत टैक्स लगता है जबकि दिल्ली में 5 प्रतिशत टैक्स लगता है। इस तरह एक टीन घी पर. बीस पच्चीस रुपए का फर्क पड़ता है। इसका नतीजा यह है कि हरियाणा में जो घी बनता है, वह पहले दिल्ली ट्रांसफर

होता है और फिर हरियाणा में वापिस आता है। अगर दिल्ली के बराबर टैक्स कर दें तो मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में मिलेगा। अब मैं शराब के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल यह हालत है कि गाँवों के अन्दर दुकानदार शराब की बोतल रखते हैं। गाँव में अनाज की कटोरी भरकर बच्चे और दूसरे नौजवान दुकानदार के पास ले जाते थे और घर की जरूरत की चीज उस दुकानदार से एक कटोरी अनाज के बदले ले आते थे लेकिन आजकल हालत यह है कि एक कटोरी अनाज के बदले में लोग शराब मांगते हैं। खुले आम शराब दुकानदार के पास मिलती है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सख्ती से काम किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं फूड एंड सप्लाइज के बारे में कहना चाहता हूँ। हरियाणा में मिट्टी के तेल और गैस की बहुत दिक्कत है। ये दोनों चीजें नहीं मिलतीं और लोग बहुत परेशान हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनकी वितरण व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए जिससे ब्लैक मार्किटिंग न हो। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली तथा दूसरे प्रान्तों में प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम चीनी राशन में मिलती है लेकिन हरियाणा में केवल चार सौ ग्राम राशन की चीनी मिलती है। इसमें तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब मैं शिक्षा के बोर में कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हरियाणा में कुछ स्कूलज अपग्रेड किए गए हैं। जनवरी खत्म होने जा रही है। एक महीने बाद परीक्षाएं शुरू हो

जाएंगी लेकिन अभी तक वहां टीचर्स नहीं पहुंचे हैं। पेरेंट्स में बड़ी भारी बेचौनी है और बच्चों को बड़ी असुविधा हो रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि कोई भी अध्यापक गांवों में जाना नहीं चाहता। जब किसी अध्यापक को सरकार गांव में भेजती है तो पीछे पीछे एम० एल० एज० व मिनिस्टर्स वगैरह को लेकर लोग आ जाते हैं कि उसे गांव की बजाये शहर में ही रखा जाए। इसका कारण यह है कि शहरों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको हाउस रेंट वगैरह और दूसरी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं जोकि गांवों में रहने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं हैं। गांवों में रहने वाले कर्मचारियों को शहरों की निस्बत पैसा भी कम मिलता है। गांवों में रहने वाले कर्मचारियों को शहरों में रहने वाले कर्मचारियों की निस्बत डबल तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि गांवों में जो डाक्टर्स व अध्यापक भेजे जाएं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं शहरों की भांति प्रदान की जाएं ताकि वे खुशी से गांवों में रह सकें और अपना काम काफी बखूबी कर सकें। उनको शहरों की निस्बत वेतनमान भी ज्यादा दिये जाने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के नोटिस में मैं एक बात लाना चाहता हूं कि गुड़गांव के अन्दर एक महाविद्यालय खोलने का सरकार का विचार था। आज जनवरी का महीना चल रहा है और अप्रैल में वह कालेज खोला जाना है लेकिन अभी तक वहां न कोई बिल्डिंग बनायी गयी है और न ही कोई दूसरी सुविधाएं ही उपलब्ध कराई गई हैं। इसलिये सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। अगर अभी से इस ओर ध्यान न दिया

गया तो ठीक समय पर बड़ी भारी कठिनाइयों का सरकार को सामना करना पड़ेगा।

इससे आगे एक और बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो पढ़ने की पुस्तकें हैं, वे उचित समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान होता है। समय पर पुस्तकों की सप्लाई न होने के कारण बच्चे गाईड्डज खरीदते हैं। पुस्तकों से सम्बन्धित दो विभागों का आपस में तालमेल होता है। एक तो प्रकाशक, जोकि पुस्तक छपवाता है, उसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है और दूसरा विभाग जोकि प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी का है, जोकि पुस्तकों की छपाई का काम करता है। दो अलग-अलग विभाग होने के कारण पुस्तकों की छपाई व प्रकाशन में काफी देरी भी होती है और गड़बड़ भी होती है जिस कारण से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान होता है। विशेषकर गांवों के जो लोग हैं, उनको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिये मेरा सरकार से एक सुझाव है कि पुस्तकों के प्रकाशन एवं छपाई के लिये अलग से एक आयोग बनाया जाए जो खुद ही यह साप काम संभाले। खुद ही सारा सिलेबस तैयार करे और खुद ही छपावाये। ऐसा करने से पुस्तकों के प्रकाशन एवं वितरण में देरी नहीं होगी और लोगों तक समय पर पुस्तकें पहुंचेगी। बच्चों को ऐसा करने से काफी लाभ हो सकता है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: सिंगला साहब, आप जल्दी वाईड अप कीजिये। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है।

श्री सीता राम सिंगला: सर, मैं जल्दी ही समाप्त करने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजियेगा। एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि 'योग' को सबजैक्ट के रूप में स्कूलों/ कालेजों में चालू किया जाना चाहिये। इससे अगली बात में पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो पाईप लाईन्ज एक गांव से दूसरे गांव तक बिछाई हुई हैं, वे प्लास्टिक की थै और जब कभी उसके ऊपर से कोई ट्रैक्टर वगैरह गुजर जाता है तो वे पाइप्स टूट जाती हैं, जिससे एक तो लोगों को पानी नहीं मिलता दूसरे काफी गन्दगी फैल जाती है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर घटिया किस्म की पाइप्स की बजाये अच्छी क्वालिटी की पाइप्स लगाई जाएं। इसके बाद मैं कुछ अन-आथोराइज्ड कालोनीज के बारे में कहना चाहता हूँ। गुड़गांव के आसपास कुछ अन-आथोराइज्ड कालोनीज में लोग बस गये हैं। लोगों ने वहां पर अपने पक्के मकान बना लिये हैं लेकिन पानी की कंडीशन व बिजली की कंडीशन खराब होने के कारण उन लोगों का वहां रहना दूभर हो गया है। मैं, डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम बिजली और पानी की सुविधाएं उनको अवश्य प्रदान की जाएं ताकि उनका जीवन दूभर न हो और वे आराम से रह सकें। वहां ऐसी कालोनीज हैं, जिन में पूरे के पूरे क्षेत्र में मकान बने हुए हैं।

वहां पर लोगों को सैक्शन 4 व 6 के नोटिसिज इशू हो चुके हैं। इसी तरह से फरीदाबाद की एक संजय कालोनी भी है। वहां पर भी लोग 15- 20 सालों से बसे हुए हैं और अब उन्हें भी सैक्शन 4 व 6 के नोटिस जारी हो चुके हैं। अगर ऐसी कालोनीज को सरकार की ओर से तोड़ दिया गया तो बहुत भारी गड़बड़ मच जाएगी। इसलिये कुछ अधिकारियों को इस काम के लिये नियुक्त करके वहां की स्थिति का जायजा लिया जाये और उन लोगों को न उजाड़ा जाए क्योंकि सरकार द्वारा जो जमीन ऐक्वायर की गयी थी वह लोगों को बसाने के लिये की गयी थी न कि लोगों को उजाड़ने के लिये जमीन ऐक्वायर की गयी थी। अन्त में, मैं तहसीलदारों के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने हर तरफ भ्रष्टाचार फैला रखा है। वे लोग बगैर किसी से पैसा लिये रजिस्ट्री ही नहीं करते। पहले तो वे लोग पैसा लेकर कम रेट्स पर रजिस्ट्री कर देते हैं और बाद में उस आदमी को एस० डी० एम० साहब के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि आपने फीस कम लगायी है। इस तरह के व्यवहार से शरीफ आदमी डबल लुटता है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे ताकि लोगों के साथ किसी किस्म का भेदभाव न होने पाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, कल अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था कि जनता दल व भारतीय जनता पार्टी के मैम्बरज को पार्टी की स्ट्रेंग्थ के अनुपात से बोलने का मौका दिया जाएगा। हमारी ओर से अभी तक केवल दो ही बोले हैं। उधर से भी शायद कम ही बोले हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की बजाये हमें पहले टाईम मिलना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। आपको भी समय मिलेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी): डिप्टी स्पीकर महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे हरियाणा विधान सभा में अपनी पहली स्पीच देने का मौका दिया है। सब से पहली बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिद प्रकार ज्वायंट पंजाब में हरियाणा की हालत थी, वही हालत हरियाणा में आज महेंद्रगढ़ जिले की है। हमारे साथ हर क्षेत्र में भेद भाव किया जा रहा है, चाहे नौकरी का मामला हो या दूसरा कोई और मामला हो। मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारे महेंद्रगढ़ जिले में खारा पानी हैं। वहां पर बिजली की व्यवस्था के बारे में हमारे साथ काफी भेद-भाव किया गया है। हमारे यहां किसानों को 5-6 साल से ट्यूबवैल के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इसके साथ-साथ कई ऐसी बातें हैं, जिनकी तरफ बिजली कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए। जैसे गांव के अन्दर जो लूज कनेक्शन लगे हुए हैं, वहां पर खम्भे लगाए, जाने चाहिए वरना गम्भीर दुर्घटनाएं हो सकती

है। वहां पर बिजली को समस्या बहुत गम्भीर है क्योंकि वहां पर पिछले दस सालों से बरसात नहीं हुई है। अगर हुई है तो बहुत कम हुई है। इसलिए लोग वहां बिजली के लिए तरस रहे हैं है। इसके साथ-साथ इस समय एस० वाई० एल० का जितना पानी हमें मिल रहा है, उसमें से कम से कम हमें हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए। मैंने सुबह भी जिक्र किया था— कि नहरों की सफाई नहीं की जाती। मैंने लाधूवास डिस्ट्रीव्यूटरी के बारे में बताया था कि उसकी सफाई नहीं हुई है। वर्ल्ड बैंक से हमें 35.1 करोड़ की अनुदान राशि मिली थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि उसमें से हमारे महेंद्रगढ़ जिले में कितना पैसा लगाया गया है। मेरे ख्याल में वहां पर कोई भी खाल पक्का नहीं किया गया है। मसानी बैराज ऐसा बना है कि उसकी नींव रखने के बाद बरसात ही नहीं हुई। वहां पर किसानों की जमीन ऐक्वायर की गई लेकिन उनको पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिला है। खलियावास और रलियावास में पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा वहां पर जो जमीन पट्टे पर दी जाती है, उसको भी अमीर लोग ही ले जाते हैं। वहां के किसानों को डी० ए० पी० और यूरिया खाद भी सही कीमत पर नहीं मिली और उनको ब्लैक में लेनी पड़ी। हमारे यहां हरिजनों की व्यवस्था में अब भी सुधार नहीं आयी है। वहां पर ऐसे-ऐसे परिवार हैं, जिनमें सास, ससुर, पुत्र और पुत्र बधु एक ही कमरे में रह रहे हैं। उनके लिए प्लाटों की सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है। उनके साथ पानी भरने के लिए भी अत्याचार किये जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी

बेरोजगारी भत्ता और पेंशन देने की बात है यह भी केवल कागजों में है असल में कुछ नहीं है। मैं पुलिस भर्ती के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे महेंद्रगढ़ और रिवाड़ी के जिलों में लोगों को पूर्ण रूप से भर्ती नहीं किया गया। जो कोटा पूरा किया गया, वह राजस्थान के लोगो को लगा कर किया गया। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हाइड्रो-बेस्ड थर्मल प्लांट्स हैं, वे पानीपत के अन्दर ही लगाए गए हैं। उसका प्लांट 'लोड फैक्टर 30 40 7रू ही है। उसका कारण यह हो सकता है कि एक तो कोयले की क्वालिटी पूअर होती है जिसकी वजह से बिजली कम पैदा होती है। दूसरे ट्रांसमिशन लाइन्ज में खराबी आने के कारण बिजली के लौसिज ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ ला एंड आर्डर के बारे में अभिभाषण में काफी बातें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेसी नेताओं पर झूठे मुकदमें बनाए गए हैं। चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लात पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। हमारी पार्टी के कई नेताओं को झूठे मुकदमे बना कर अरैस्ट किया गया जोकि बिल्कुल गलत बात है। हरियाणा प्रान्त में कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसे-ऐसे इंस्टांस सामने आए है कि हमारे माननीय सदस्यों के मूंह पर कालस लगाने की कोशिश की गई है। इस सरकार की कानून व्यवस्था किस प्रकार की है, उस बारे में बताया जाए? डिप्टी स्पीकर साहब, रिवाड़ी के आस पास कई कालोनीज बनी हुई हैं। (शोर)

12.00 बजे।

श्री बनारसी दास चौशाला: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने चालते हुए एक बात कही कि रिवाड़ी में बिजली के खम्बे टूटे हुए हैं। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि परमानन्द जी बिजली के खम्बों की एक रेहड़ी भर कर परसों वहां पहुंच जाएंगे। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप कृपया बैठ जाएं। अजय सिंह जी, अब आप वाईन्ड अप करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव: ठीक है जी, डिप्टी स्पीकर साहब, रिवाड़ी नया जिला बनने के कारण बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यूनिसफ के तहत जो योजना बनी है, उसमें रिवाड़ी को भी इंकल्यूड किया जाए ताकि वहां के लोगों को सिवरेज आदि की सुख सुविधाएं मिल सकें। रिवाड़ी के आस-पास जितनी भी कालोनीज बन रही हैं, उनमें गलत तरीके से लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। वहां का जो टाउन प्लानर है, वह सरकार के कहने पर उन कालोनीज में लोगों के मकानों को तुड़वा रहा है जोकि बिल्कुल गलत और निराधार बात है। इसके साथ-साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पाली गांव में एक सैनिक स्कूल खोला जाना था लेकिन उसको वहां से उठा कर मातनहैल ले जाया जा रहा है। क्या हमारे यहां रिवाड़ी में भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं? पाली गांव में सैनिक स्कूल खोलने के लिए वर्तमान राष्ट्रपति श्री आर० वेंकट रमन ने 1984 में ऐलान किया था कि 1986 में वह सैनिक

स्कूल खोल दिया जाना चाहिए लेकिन अब उसको यह सरकार मातनहेंल ले जा रही है। (घंटी) इस सरकार से। मेरा निवेदन है कि उस सैनिक स्कूल को पाली गांव में ही खोला जाए। इसके साथ-साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जनता दल की सरकार ने हरियाणा प्रान्त में जितने स्कूल अपग्रेड किए थे, उनमें से रिवाड़ी के अन्दर बहुत ही कम स्कूल अपग्रेड किए थे। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं अकेला ही बोलने के लिए खड़ा हूं। हमारी पार्टी की ओर से आज कोई भी मैम्बर नहीं बोला है।

Mr. Deputy Speaker : Mr. Yadav, now you please sit down.

कैप्टन अजय सिंह यादव: डिप्टी स्पीकर साहब, रिवाड़ी जिले में स्कूल अपग्रेड नहीं किए गए। यह बड़े दुख की बात है। (शोर)

Mr. Deputy Speaker : You are speaking without my permission. Now you please sit down.

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): मैं मोहम्मद असलम खां जी से कहूंगा कि वे माननीय सदस्य को समझाएं क्योंकि ये नए-नए चुनकर आए हैं। जब डिप्टी स्पीकर साहब कह रहें हैं कि he should take his seat then he should

कैप्टन अजय सिंह यादव: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

Mr. Deputy Speaker : No point of order. You please sit down.

श्री कैलाश चन्द शर्मा (नारनौल): डिप्टी स्पीकर साहब, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रावत जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी ओर से विशेष रूप से राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक अहिन्दी भाषी राज्य के रहने वाले होते हुए भी, उन्होंने अपना अभिभाषण हिन्दी भाषा में पढ़ा। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, महोदय का अभिभाषण वास्तव में सरकार की भावी नीतियों का एक दस्तावेज होता है कि सरकार भविष्य में क्या करने जा रही है। इस सरकार ने पिछले अढ़ाई साल के अर्से में हरियाणा प्रान्त की जनता को सुख सुविधाएं देने की ओर एक नई दिशा दी है। वास्तव में अढ़ाई साल पहले जो सरकार बनी थी और उसने जो वायदे किए थे, निश्चित रूप से वे सारे वायदे पूरे हुए हैं। छोटी-मोटी कमियों के बावजूद भी सारे प्रदेशों में, हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है, जिसने कई मामलों में गौरव प्राप्त किया है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन की बात है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, हरिजन महिलाओं को जापे के समय सहायता देने की बात है, सभी वायदे पूरे किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले 40 साल के दौरान जिस पार्टी ने शासन किया, उसने ज्यादा गड़बड़ कर रखी है जिसके निवारण में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इस अभिभाषण में आवास का सवाल भी उठाया गया है। इसमें

बताया गया है कि आवास बोर्ड जितने भी मकान बनायेगा उन्में से 70 प्रतिशत मकान निम्न वर्ग के लोगों को दिए जाएंगे। आवास की एक व्यवहारिक कठिनाई है। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज सारे प्रदेश में जितनी भी नगरपालिकाएं हैं, उनकी सीमा का निर्धारण बहुत पहले किया गया था। अब शहरों और कस्बों में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब गांवों के लोग दिन प्रति दिन शहरों में आकर बसना चाहते हैं। शहरों में गांवों की अपेक्षा लोगों को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिनकी वजह से ही लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। सभी लोग शहरों में ही बसना चाहते हैं इसीलिए शहरों में आवास समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है। जो लोग नगरपालिका की सीमा के बाहर बिना नगरपालिका की इजाजत के मकान बनाना चाहते हैं, उनके बनाने की अनुमति नगरपालिका द्वारा नहीं दी जा रही, है। यह अनुमति इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से ऐसे आदेश जारी हुए हैं कि जो लोग नगरपालिका सीमा के बाहर मकान बना रहे हैं, उनके नक्शे वगैरा पास न किए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि अगर आप ऐसी पाबंदी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करना जरूरी है और आवास समस्या का कोई न कोई हल किया जाना चाहिए। आवास बोर्ड हर साल जितने मकान बनाता है, वे पर्याप्त नहीं होते। इसलिए सरकार को इस आर विशेष ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और क्रान्तिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया हुआ है और वह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करना। इस समय हरियाणा में उपभोक्ताओं के साथ एक प्रकार से अत्याचार हो रहा है। हरियाणा में उपभोक्ताओं से मनमर्जी के हिसाब से कीमतें ली जा रही हैं। इस अधिनियम में संशोधन करके मनमर्जी से कीमतें वसूल करने पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समितियां बनाने का प्रावधान किया गया था। दो जिलों में ये समितियां बनाई भी गई हैं और प्रदेश स्तर पर भी बनाई गई हैं। मैं चाहूंगा कि जो बाकी जिले हैं, वहां पर भी यथाशीघ्र ऐसी समितियां बनाई जायें। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हरियाणा में उपभोक्ताओं के साथ बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है। आज एक कारखानेदार अपने कारखाने में जो भी माल तैयार करता है उसके लिए उस कारखाने के मालिक को अधिकार है कि वह जो चाहें कीमत निर्धारित कर दे। वही ठीक है और उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे बाटा का कोई जूता ही ले लें। उस पर जो मोहर बाटा कम्पनी की तरफ से लग गई वह राम बाण की तरह सिद्ध होती है। अगर उस जूते पर 290.95 रुपये लिख दिए तो उपभोक्ताओं से वही कीमत वसूल की जायेगी। अगर कोई ग्राहक जाकर बाटा की दुकान के मालिक से कीमत के बारे में पूछ लेता है तो वह मालिक जूता दिखाता है और कहता है कि क्या इस पर कीमत की मोहर नहीं लगी हुई। ऐसे जितने भी कारखाने हरियाणा में हैं, उनकी कीमतें निर्धारित करने के लिए ऐसी समितियां अवश्य बनाई जायें, जो इस बात को

देख सकें कि कौस्ट औफ प्रोडक्शन क्या आती है और मार्जिन क्या रखा हुआ है। इसी प्रकार से हमीर हरियाणा में जो हीरो हाण्डा मोटर साईकिले और ऐटलस साईकिलें बनती है या और कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हों, तो इनमें बने हुए सामान की कीमतें तय करने के लिए किन्हीं अर्थ शास्त्रियों की एक कमेटी बनाई जाये जो यह देख सके कि बने हुए सामान पर कुल कितना खर्च आता है और कीमतें क्या वसूल की जा रही है। इस गैप के बारे में कोई न कोई प्रबंध अवश्य ही करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमतें न देनी पड़े। जैसे हमारे देश में कृषि की कीमतें निर्धारित करने के लिए कृषि विशेषज्ञों का आयोग बैठाया जाता है और फिर वही हर साल हर फसल की कीमत तय करता है, उसी प्रकार से इन इंडस्ट्रीज के०पर भी कीमतें तय करने के लिए कोई न कोई आयोग अवश्य बैठाया जाना चाहिए। उस आयोग को देखना चाहिए कि खेती की पैदावार में जो खर्च आता है और जो उसकी कीमत तय की जाती है, वह कितने फर्क में है और इंडस्ट्रीज में जो सामान बनता है, उसकी लागत में और बेचने की कीमत में क्या अन्तर है। मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी सामान के बनने पर उस पर कितना मार्जिन होना चाहिए, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। (घन्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस दो मिनट और लेते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, निसंदेह हमारी सरकार ने पर्यटक केन्द्र बनाने में बहुत काम किया है। हमारे पर्यटक केन्द्रों की सारे

देश में चर्चा है। मेरा क्षेत्र हरियाणा की अन्तिम सीमा पर राजस्थान बोर्डर के साथ पड़ता है। वहां पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई पर्यटक स्थल नहीं बनाया गया है। मेरा क्षेत्र जिला हैडक्वार्टर भी है। जिला हैडक्वार्टर पर भी अभी तक कोई पर्यटक केन्द्र नहीं है। अब सौभाग्य से हमारे पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय चौधरी देवी लाल जी और वर्तमान उप प्रधान मंत्री जी ने मेरे साथ लगते क्षेत्र राजस्थान के सीकर क्षेत्र से लोक सभा का चुनाव जीता है। वे अब निश्चित रूप से महीने-दो महीने में अपने क्षेत्र में अवश्य आया करेंगे, इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि मेरे क्षेत्र में जिला हैड-क्वार्टर पर जरूर कम-से-कम एक पर्यटक केन्द्र बनाया जाये। सरकार इस बारे में विचार कर रही है लेकिन शायद इसकी गति धीमी है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक-दो बातें कह कर ही अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अच्छा जी, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा मुझे आपने जो बोलने के लिए समय प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री हरनाम सिंह तथा कामरेड हरपाल सिंह (एक स्वर में): उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप, कल बोल चुके हैं और सभी को एक बार ही बोलने का मौका मिलेगा।

श्री हरनाम सिंह: वह त्रों हम रैटिफिकेशन पर बोले थे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का तो हमें मौका ही नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष: बाकी के साथियों को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, औन ए प्वायंट औफ और्डर सर। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दोनों कामरेड साथी सौभाग्यवश एक ही सीट पर बैठे हैं। एक ने दूसरे का नाम भिजवा दिया और दूसरे ने पहले का। ये दोनों तो टू-इन-वन बने हुए हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप दोनों के नाम आए हुए हैं। आप प्लीज बैठे। श्री मदान जी, आप शुरू कीजिए।

श्री सुरेन्द्र कुमाए मदान (कैथल): अध्यक्ष महोदय, हमारे इस महान् सदन के माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय रावत जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यह

प्रदेश एक छोर से दूसरे छोर तक पंजाब प्रदेश के साथ लगा हुआ है। आज पंजाब के हालात को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के अन्दर भी आतंकवाद की वारदातें हुई हैं। इन दुर्घटनाओं और वारदातों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा पुलिस ने जितने भी कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं। उग्रवाद की जितनी भी घटनाएं हरियाणा में घटीं, हरियाणा पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ वारदातों में लिप्त उग्रवादियों को या तो पकड़ लिया या मुकाबले में गोलियों से वे मारे गए। हरियाणा पुलिस की कर्तव्य परायणता को देखते हुए मैं एक बात सरकार से कहना चाहता हूँ। आज हरियाणा की पुलिस के जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस प्रकार अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, उसे देखते हुए उन्हें जो तनखाह दी जाती है, वह बहुत ही कम है। आज एक कान्स्टेबल को क्लास- 4 कर्मचारी के बराबर तनखाह दी जाती है, उनको अधिक तनखाह दी जानी चाहिए क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी करते हैं और हम लोगो की रक्षा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस समय जो पुलिस रूल्ज बने हुए हैं, वे बहुत पुराने समय के बने हुए हैं। इतने वर्षों पहले बने पुलिस रूल्स में बहुत से संशोधनों की जरूरत है। इन रूल्ज में पुलिस के घोड़े कहां से खरीदे जाएं, इस बारे में जिक्र है। जिस स्थान से यह घोड़े खरीदने का जिक्र है, वह पाकिस्तान में चला गया है लेकिन रूल्स में इसमें चेंज नहीं की गई। इसके अलावा वर्दियां कहां से खरीदी जाएं, इस बारे भी लिखा है। इसके अतिरिक्त रूल्ज में कई और संशोधनों की आवश्यकता है। इस विभाग में और मुस्तैदी

लाने के लिए, चुस्ती को बनाए रखने के लिए हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि पुलिस विभाग चुस्त और मुस्तैद रहें और पुलिस विभाग के लोग अपनी ड्यूटी को उचित प्रकार से निभा सकें।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन को और अधिक चुस्त करने के लिए मुक्त-दार शिविर लगा कर इस प्रदेश के आम नागरिकों की हर कठिनाई को वही पर निपटाने की कोशिश की जाती है। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्य-मंत्री चौधरी देवी लाल की वजह से जिला मुख्यालयों तथा दूसरे स्थानों पर अधिकारी भी अपने कार्यालय बाहर लगा कर आम जनता की बातों को सुना करते थे और अब भी सुनते हैं। इससे अधिकारी और जनता के बीच में सीधा सम्बन्ध हुआ है और समस्याओं का भी हल हुआ है। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने चार जिले नए बनाये थे। ये जिले इसलिए बनाये गए थे कि जनता की कठिनाइयां दूर हों। अब कोई भी गांव जिला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर से दूर नहीं है। अब आम आदमी की वहां तक पहुंच है। आम आदमी जला स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों से अपनी समस्याओं का निपटारा करवा सकता है। ऐसा करके सरकार ने एक अच्छा प्रशासन देने की बात की है चाहे वह स्थानीय स्तर पर हो, या कसी अन्य स्तर पर हो। नगरपालिकाओं में अब जनता के चुने हुए नुमाइन्दों के पास शक्ति आ गई है। हमारी सरकार ने बुजुर्गों को पेंशन दी है और भी दूसरी कई सुविधाएं दी हैं। अब मैं कुछ

बातें अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं सरकार का इस बात के लिए तो बड़ा भारी आभारी हूँ कि मेरे क्षेत्र कैथल को जिला बना दिया गया है और अब वहाँ पर शूगर मिल भी लगेगी। लेकिन मेरे एरिया में कुछ गांव ऐसे हैं, जहाँ का पानी कड़वा 'है और वे गांव नहर के टेल पर हैं। अगर वहाँ पर बिजली की सप्लाई पूरी भी दी जाये तो भी उसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वहाँ के ट्यूबवैल्ज का पानी खारा और कड़वा है। मीठा पानी न होने की वजह से खेतों के लिए वह नुकसानदेह है। इसलिए मेरी मुख्य-मंत्री जी से प्रार्थना है कि उस इलाके के लिए जो माईनर पहले से ही मन्जूर हुई हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(इस समय सर्वश्री हरपाल सिंह तथा हरनाम सिंह बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष: आप दोनों सलाह कर ले कि किसने बोलना है। दोनों में से एक बोल सकता है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हम दोनों अलग-अलग पार्टियों के हैं। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने बोलना पै या हरनाम सिंह जी ने बोलना है। आप जिसको कहेंगे, वही बोलेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री हरनाम सिंह जी आप बोलें।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि 90 मैम्बरों के हाउस में मैं अपनी पार्टी से एक ही मैम्बर हूँ और श्री हरपाल सिंह जी भी अपनी पार्टी के एक ही मैम्बर हैं। इसलिए आपको हाउस का समय बढ़ा देना चाहिए ताकि सभी को बोलने का मौका मिल जाये। डैमोक्रेसी की मांग है कि हाउस में ठीक बात आनी ही चाहिए इसलिए हाउस का समय बढ़ना चाहिए। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम यहां पर आएँ और सरकार हमारा अंगूठा लगवा कर ले जाए।

स्पीकर साहब, अब मैं गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूँ। जहां तक अम्बाला में सिंचाई का सवाल है, हमारे इलाके में नहरों से सिंचाई नहीं होती है। दूसरे हरियाणा में 60 प्रतिशत एरिया में खारी पानी है और गहरा भी है। इस अभिभाषण में केवल एस० वाई० एल० की बात कही गई है। अन्य सिंचाई साधनों के विषय में कोई जिक्र नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी क्योंकि चौधरी देवी लाल जी कहते ने हैं और मुख्य मंत्री जी भी बार-बार कहते हैं कि मारकण्डा, घग्गर, सोम और पथराला नदियों पर बान्ध बना कर नहरें निकालीं जायेगी। इन नदियों से 15 लाख क्यूबिक फीट पानी बह जाता है। फल्ड आते हैं लेकिन उस पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मुख्य मंत्री ऐलान तो करते हैं कि नहरें निकाली जायेगी लेकिन निकाली नहीं गई हैं। अगर दादूपुर-नलवी नहर निकाल दी

जाये तो अम्बाला कुरुक्षेत्र और करनाल के हिस्से में नहरों से सिंचाई के साधन हो सकते हैं। इस नहर के निकाल देने से छः हल्कों में सिंचाई के साधन हो सकते हैं लेकिन इस अभिभाषण में अम्बाला की इस नहर का कोई जिक्र नहीं है। वहां नहर निकालनी बहुत जरूरी है। जमुना दरिया में हमारा दो तिहाई हिस्सा है और एक तिहाई यू० पी० का है। पहले सरकार यह कहती थी कि केन्द्रीय जल आयोग ने इस नहर की मंजूरी नहीं दी थी लेकिन अब तो केन्द्र में हमारी अपनी सरकार है। अब तो हमारा भी समर्थन उनके साथ है इसलिये अब तो केन्द्रीय जल आयोग में मंजूरी लेनी चाहिये और यह नहर बननी चाहिये। नहर जब बनेगी तो वहां पर वाटर लैवलॉंचा आयेगा। ट्यूबवैल्ज फेल होने की वजह से वहां पर हरियाणा में टौप सायल बारानी हो जायेगी। इसके अलावा खड्डों में गैस होने की वजह से कई बच्चे और नौजवान भी भरे हैं। मैंने पहले भी अर्ज की है, यह नहर बनाने के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी कुरुक्षेत्र में और अम्बाला में भी कहा है। हमने अखबारों में भी पढ़ा है और सुना भी है कि यह नहर बनेगी लेकिन इस अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बिजली का सवाल है, मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा का एक ग्रिड बनना चाहिये। संगरौली ने बिजली बन्द कर दी तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जब भाखड़ा ने बन्द कर दी तो हमारा कोई बस नहीं है। मेरा कहना यह है कि जितनी भी हमारी बिजली है, उसके लिये हमारा

एक ग्रिड बने। एक और बात यह है कि यमुना नगर थर्मल प्लांट, रोपड़ थर्मल प्लांट के साथ ही मंजूर हुआ था। वह प्लांट तो बिजली दे रहा है लेकिन हमारा अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। सैटर में पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वह हमें पैसा नहीं देती थी लेकिन अब तो हमारी अपनी गवर्नमेंट है। इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाये ताकि हमारी जो बिजली की बढ़ी हुई जरूरत है, वह पूरी हो सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने 1987 के इलैक्शनज में जो वायदे किये थे, उनको लगभग पूरा किया है। बहुत बड़ा वायदा जो पूरा किया गया, वह पेंशन का था और दूसरा बड़ा वायदा जो पूरा किया गया, वह कर्जों की माफी का था। अगर ये कहें कि सब के कुछ न कुछ कर्जें माफ हुए हैं, वह तो ठीक है लेकिन यह बात भी हुई है कि कुछ का तो असल छोड़ दिया गया और कुछ का प्याज छोड़ दिया। आज दिल्ली की सरकार भी कर्जें माफी की बात कहती है। वहां पर इसके लिये एक कमेटी भी बनी है जो इस बारे में विचार कर रही है। हमें भी दिल्ली की सरकार से यह कहना चाहिये कि हमें यानी हरियाणा को भी उसमें रखा जाना चाहिये क्योंकि हमारे यहां अभी कर्जें माफी का काम पूरा कम्पलीट नहीं हुआ है। उस वक्त की सैट्रल सरकार इस काम में रोडा अटका रही थी और रुकावटें खड़ी कर रही थी। इसलिये चौधरी देवी लाल की सरकार गरा पूरे कर्ने माफ नहीं हो सके। अब ये कर्जें पूरे माफ होने चाहियें। मैं बुढापा पेंशन के चरे में भी कहना चाहता हूं। हमारा जो सिस्टम है, यह तो उग टपाऊ है।

हालांकि इस बात की व्यवस्था चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में हो चुकी है कि हरेक बूढ़ा जो 65 साल का हो गया है, उसको पेंशन मिलेगी लेकिन अब यह बात सारे देश में भी लागू होगी। हरियाणा से शुज़ होकर सारे देश में यह बात जायेगी। हमने इस पर 105 करोड़ रुपये खर्च करने हैं। 5 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया हमारा मनीआर्डरों पर जायेगा। क्यों न इस किस्म की व्यवस्था हो, इस किस्म का कोई सिस्टम हो कि कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाये और मनी आर्डर जो आजकल लोगों को मिलते नहीं हैं, वह दिक्कत भी दूर हो जाये। इसके लिये हमें कोई न कोई सिस्टम बनाना चाहिये, चाहें हमें कोई पास-बुक वगैरा बनानी पड़े, वे बनानी चाहिये ताकि यह सारा मसला हल हो सके। मुक्त द्वार प्रशासन अच्छी चीज है। हमारे यहां पर ये खुले हुए हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह आदेश भी दिया है कि डी० सी० सोमवार को भी बैठे और मुक्त द्वार प्रशासन में भी हिस्सा ले। हम यह चाहते हैं कि रोजमर्रा की जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है, वह इन्साफ दे। एक दरखास्त के फैसले के लिये कोई न कोई टाईम मुकरर होना चाहिये। जो आदमी अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करता, चाहें वह कोई कर्मचारी हो या औफिसर, उनके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिये। हरेक चीज टाईम बाउन्ड होनी चाहिये। किसानों को गन्ने के भाव देने के बारे में मेरा कहना यह है कि कोआप्रेटिव डिपाटमेंट के तहत लगी शूगर मिलज बहुत अच्छी हैं। मुझे इस बात का बहुत फब है। मुझे खास तौर पर यह गौरव है कि शाहबाद की शूगर मिल हिन्दुस्तान में प्रथम आयी है। इसके

साथ ही मे एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जहां सरकार द्वारा गन्ने का भाव किसानों को हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हरियाणा में दिया जा रहा है, वहां यह भाव 1987 से हर साल बढ़ता आ रहा है। हमारी मिलों ने 5 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। मजदूर के लिये तो कानून है कि उनको बोनस मिल जायेगा लेकिन किसान के लिये कोई ऐसा कानून नहीं है। गन्ना किसान देता है। लेकिन किसानों को बोनस नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई कानून है। यह बहुत गलत कानून है कि गन्ना तो किसान दे और उसको बोनस भी न मिले। पहले एक वेलफेयर फंड औरर गुडनैस फंड हुआ करते थे, वे भी अब नहीं रहें हैं। मेरा कहना यह है कि कोई ऐसी तरमीम की जाये ताकि जिन लोगों की वजह से मुनाफा हुआ हैं, उनको भी कुछ फायदा मिले। इसके साथ ही साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहली कांग्रेस की सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो असले का लाइसेंस था, उसको सीमित करके जिले लैवल का कर दिया था। लाइसेन्स स्टेट का बनना चाहिये, जिले का लाइसेन्स बिल्कुल गलत है। वह पौसीबल भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब लाइसेंस की रिनुअल होती है तो हर बार पुलिस रिपोर्ट मांगी जाती है। मैं समझता हूं कि यह गलत है। लोगों को बहुत चक्कर काटने पडते हैं। अगर पुलिस किसी का लाइसेंस रह करना चाहती है, उसको किसी का लाइसेंस गलत लगता है तो पुलिस उसको रह कर दे लेकिन दूसरे लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

स्पीकर साहब, इलैक्शनज के समय जो हिंसक घटनाएं हुई, उसके बारे में इस हाउस को चिन्तित होना चाहिये। अभी. पार्लियामेंट के इलैक्शनज हुए और फरीदाबाद, सिरसा और भिवानी में हिंसक घटनाएं हुई। यह दुःख की बात है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है, इसका पता करने के लिये कोई सांझी कमेटी बनाई जाए या कोई अदालत इसका फैसला करे लेकिन इसको रोकने के लिये कुछ न कुछ करना अवश्य चाहिये। डैमोक्रेसी में वोट के नाम पर बुलेट का सहारा लिया गया, यह कोई अच्छी बात नहीं है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिये। किसी भी हालत में वोट की जगह बुलेट का सहारा नहीं लेना चाहिये। यह बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही साथ मैं पर्यावरण के बारे में कहना चाहता हूँ। वैसे तो पर्यावरण के बारे में कोई बात नहीं है लेकिन हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। इतनी बात कहते हुए अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने कर्मचारियों के माध्यम से सारे काम चलाने हैं। कर्मचारियों की जितनी भी मांगें हैं, वे जनता दल की सरकार के आने से पहले से चली आ रही हैं। उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। उनका समाधान अवश्य ही किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: अब मुख्य मन्त्री जी बोलेंगे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के ऐड्रेस के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सर्वप्रथम मैं इस बात के लिये हाऊस के सदस्यों का

धन्यवादी हूँ कि उन्होंने अच्छे माहौल में हाऊस की कार्यवाही को चलाने की कोशिश की। कुछ तलखी का वातावरण भी हुआ जो स्वाभाविक है क्योंकि कई दफा फ्रस्ट्रेशन में भी ऐसा हो जाता है। गवर्नर अभिभाषण पर सभी दलों के, सभी घटकों के और सभी नवनिर्मित निज हित मोर्चे के लोगों ने बातें की हैं। स्पीकर साहब, एक नवम्बर, 1966 को हरियाणा प्रदेश वजूद में आया। बदकिस्मती हरियाणा प्रदेश की यह रही कि हरियाणा प्रदेश बनने के बाद ऐसे लोगों के हाथ में हरियाणा की हकूमत आ गई थी, जो इस प्रदेश के हितैषी नहीं थे, जिन्होंने हरियाणा बनने की मुखाल्फत की थी। यह रिकार्ड की चीज है। लोग बहुत इच्छुक थे कि उनके प्रदेश में, उनको वे सुख सुविधाएं मिलें जिनके लिए वे लम्बे अर्से से इन्तजार में थे। आखिर 1977 में देश के अन्दर एक राजनैतिक बदलाव आया और उसी आधार पर हरियाणा 'प्रदेश के लोगों की इच्छा पूरी हुई और जिस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए था, वह व्यक्ति जन प्रतिनिधि के रूप में हरियाणा प्रदेश का मुख्य मन्त्री बना। स्पीकर साहब, आदरणीय चौधरी देवी लाल हरियाणा प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने और लोगों को राहत की सांस मिली। लोगों ने बड़ी खुशियां मनाईं लेकिन कुछ राजनैतिक स्वार्थी लोगों ने कुछ आर्थिक स्वार्थ पूरा करने के लिये दलबदल के आधार से प्रगतिशील सरकार का पतन करा दिया। उस दिन से फिर हरियाणा प्रदेश के लोग मुसीबत का शिकार हुए। सन् 1979 का वह मनहूस साल हरियाणा प्रदेश की जनता को याद रहेंगा जहां सारी बातें खत्म कर दी गईं सब प्रथाएं टूट गईं। प्रजातन्त्र का

हनन होता रहा और इस हद तक बात चली गई कि 1982 के चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने भारी संख्या में मत देकर नब्बे के हाउस में चौधरी देवी लाल जी की पार्टी के 54 लोगों को जिता कर भेजा। लेकिन उस वक्त की केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा प्रदेश के उस वक्त के गवर्नर के माध्यम से प्रजातन्त्र का गला घोंट कर अल्प मत के लोगों को सरकार बनाने का मौका दिया और उसी दिन से इस प्रदेश के ०पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने शुरू हो गये। जहां प्रजातन्त्र प्रणाली का हनन हुआ, वहां प्रशासन में भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। नौकरियां तक भी पैसों में बिकने लगी। हर स्तर पर पैसे के बिना कोई काम नहीं होता था। इस प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस के मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल थे और उनके राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यह रिकार्ड की बात द्रव उनके भ्रष्टाचार के किस्से जग जाहिर थे। राम और शाम कम्पनी बनाम हरियाणा 1985 केस के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट में भी स्पष्ट शब्दों में उस समय की सरकार, जिसके मुख्य मंत्री भजन लाल थे, की राज्य की सम्पत्ति लुटाने की साजिश की आलोचना की गयी थी लेकिन मैं हाउस का ज्यादा समय न लेता हुआ इस- के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह केस सभी के सामने आ चुका है कि उस समय राजनीति का स्तर पूरी तरह से गिर चुका था और आम लोगों में इस प्रकार से राजनीति के प्रति नफरत सी हो गयी थी। लोग राजनीति में हिस्सा लेना पाप समझते थे और यह वातावरण 1982 तक चला। सारे माहौल से तंग आकर इस प्रदेश के लोगों ने 1982 से लेकर 1987

तक इन्तजार किया। हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व को मिटाने की साजिश रची गयी, षड्यन्त्र रचे गये लेकिन आदरणीय चौधरी देवी लाल जी, जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिशों से हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान के मानचित्र पर वजूद में आया था, किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई इसकी छवि को बिगाड़े। इसी बात को लेकर आन्दोलन शुरू किया गया और इसी आन्दोलन के नतीजे में हरियाणा प्रदेश की जनता को विजय-श्री प्राप्त हुई। 1987 के विधान सभा चुनाव, में इस प्रदेश के लोगों ने 1982 के हालात को सामने रखते हुए इतना भारी बहुमत दिया ताकि किसी भी गवर्नर को दोबारा 1982 वाले हालात को दोहराने का मौका ही न मले। स्पीकर साहब, इस 90 के हाऊस में मुश्किल से कांग्रेस के केवल 5 सदस्य ही जीत कर आये। 1987 में चौधरी देवी लाल जी की रहनुमाई में एक प्रगतिशील सरकार का गठन हुआ और चौधरी देवीलाल जी की सरकार ने इस हरियाणा प्रदेश की जनता को वह सब कुछ दया, जसकी वह बहुत देर से, बड़े लम्बे अर्से से प्रतीक्षा कर रही थी लेकिन पहली सरकार ने इस प्रदेश की जनता के लये पानी तक बन्द कर दया था। इस प्रदेश की बिजली उद्योगपतियों को और केन्द्र सरकार को बेच दी थी। चौधरी देवी लाल जी की सरकार को श्रेय जाता है कि इस प्रदेश में बिजली न केवल किसानों को बल्कि उद्योगपतियों और दूसरे कमर्शियल अदायकों को भरपूर मिली और यह मसाल रहती दुनिया तक हिन्दुस्तान में कायम रहेंगी। (थम्पिंग) चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने उस प्रजातान्त्रिक प्रणाली को पुनः जीवित किया

जसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मु कम्मल तौर से जिबा कर दिया था। ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए। उन म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव जो 20 साल से रुके पड़े थे, वे भी नए सरे से करवाए गए। हर स्तर पर प्रजातन्त्रिक प्रणाली को ध्यान में रखा गया। जहां बिजली भरपूर मिली, वहां उसकी वजह से उद्योगों को बढ़ावा मिला। प्रकृति के प्रकोप से 1987 में भयंकर सूखा पड़ जाने के बावजूद भी, हरियाणा प्रदेश के किसान ने अपनी आजीविका चलाने के लिये भरपूर फसल पैदा की। यह सब कुछ बिजली उपलब्ध इन्होंने की वजह से हुआ। बिजली उपलब्ध होने की वजह से ट्यूबवैल्व से उन्हें पूरा पानी मिला। हरियाणा सरकार को मइ श्रेय जाता था कि इतना भयंकर सूखा होने के बावजूद, जबकि हमारे पास कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है, कोई ऐसी नदी नहीं है, कोई ऐसा हरियाणा में पहाड़ नहीं है जहां बर्फ गरे और वह बर्फ पिघल करके दरियाओं में पानी आए, हरियाणा सरकार ने इस प्रदेश में न तो कसी पशु को पानी की वजह से प्यासा मरने दिया और इतना दुर्भिक्ष पड़ जाने के बावजूद भी कोई पशु बना चारे के नहीं मरा। बल्कि बइ श्रेय जाता है हरियाणा की उस वक्त की सरकार को क्योंकि उसने राजस्थान को भी उस वक्त चारा भेजा था। उद्योगों को बढ़ावा मिला और नए उद्योग धंधे पनपे। मेरे साथी श्री परमानन्द जी ने कहा कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने जो वायदे चुनावों के टाईम में कए थे, उनको पूरा नहीं किया गया। प्रोफ़ैसर परमानन्द जी भी उस सरकार में मन्त्री थे। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी की रहनुमाई में सरकार का गठन

हु आ इन लोगो ने उनकी रहनुमाई में लड़ाइयों लडी। चुनाव के दौरान लोक दल पार्टी ने भो चुनाव घोषणा पद जारी किया। इस प्रदेश की जनता से शप साल में पूरे करने वाले वायदे, आदरणीय चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने चन्द महीनों मै ही पूरे करके इस देश के लोगो के मन में एक विश्वास पैदा किया कि कोई एक राजनीतिक दल और व्यक्तित्व उभर कर इस देश में आया है जिसकी करनी और कथनी में कोई अन्तर नहीं है। मैं तो यह भी कहूंगा कि हरियाणा सरकार की उन उपलब्धियों का एक नतीजा है, जिसको आधार मान कर केन्द्र के स्तर पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ। आज केन्द्र में जो कांग्रेस की जगह विपक्ष की सरकार बनी है, इसका सब से ज्यादा श्रेय अगर जाता है तो हरियाणा की उस वक्त की सरकार को जाता है। नुक्ताचीनी करने वाले भी उस वक्त की सरकार में शामिल थे। श्रेय के भागीदार तो ये भी बनेंगे लेकिन जिस बात को बेकर इन्होंने नुक्ताचीनी की है, विशेष तौर से सर्विसिज के मामले में मैं अगर सारे आकड़े आपके सामने रखूं कि जब वे चुनाव के दौरान जनता दल की पीठ में छुरा घोंप कर कांग्रेस पार्टी के लोगों की मदद करने के लिये गए थे, तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत बात है। (शोर)

Mr. Speaker : Punia Ji, it was a pin drop silence when Prof. Parma Nand was speaking. There should be no interruptions now.

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, मेरे पास उस घोषणा पत्र की एक प्रति है, जिसमें चौधरी देवी लाल जी ने पिछड़े वर्गों के लिये वायदे किए थे।

Mr. Speaker : Prof. Sahib, this is not the way. I would not allow it. (Interruptions). Please take your seat.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: जो आदमी कोई बात कहने की हिम्मत रखता है, उसको सबसे पहले सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिये। यदि मैं उन सारी बातों को दोहराऊं तो बहुत समय लगेगा। स्पीकर साहब, पुनिया साहब कह रहे हैं कि यह गलत बात है और परमानन्द जी ने गए साल के मुताल्लिक यह कहा कि वह दुर्घटनाओं का साल था और उस साल में जो दुर्घटनाएं घटीं, वे सारी कागजों में लिखी गई होंगी। मैं माननीय सदस्य परमानन्द जी को याद दिलाऊं कि आप भी चौधरी देवी लाल जी की सरकार में मन्त्री थे। चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने वजारत सम्भालने के बाद निर्णय लिया कि जिस किसी आदमी को कोई भी शिकायत है, वह शिकायत दर्ज कराये और पुलिस को यह हिदायत दी गई थी कि बाकायदा उसका पर्चा दर्ज किया जाए। चौधरी देवी लाल जी के इस निर्णय से पहले पुलिस में पर्चे दर्ज नहीं हुआ करते थे। चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने हर आदमी के खिलाफ, जो जुल्म करता है, चाहें वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, और चाहें कितना ही बड़ा राजनीतिज्ञ क्यों न हो पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया हुआ था। सभी की रिपोर्ट

पुलिस में लिखी जाती थी। इस वजह से माननीय सदस्य परमानन्द जी ने उस साल में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी हुई बताई। खैर, इस बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन उन्होंने जो दुर्घटनाओं का लफज इस्तेमाल किया और कहा कि उस साल में दुर्घटनाएं बढ़ी, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उस साल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें 5 आदमी अंदाजे की गलती बा कर 16 नवम्बर को मार खा गए। (थम्पिंग)

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, हमने इनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रजातन्त्र में किसी भी आदमी पर जुल्म नहीं होने चाहिए। (शोर)

Mr. Speaker : Punia Ji, this is not the way. You had got the time and every-body heard you with patience. Please have patience now. (Noise) This is not the way, I would not allow it.

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मेरा वयस्था का प्रश्न है कि अब सदन के नेता अपने पैरों पर खड़े हो कर सदन को सम्बोधित करें तो किसी भी शिष्ट सदस्य को बीच में इन्ट्रूट नहीं करना चाहिये। (शोर) मैंने शिष्ट शब्द कहा है अशिष्ट नहीं कहा। इनको रोलने का मौका मिल चुका है और बाद में भी बोलने का मौका मिल सकता है लेकिन यह गलत परम्परा है कि सदन के नेता कोई शत कहें और उनको बीच में इस तरह से इन्ट्रूट करें। पुनिया साहब बहुत समझदार हैं।

आई० ए० एस० आफिसर रह चुके हैं। मन्त्री भी रह चुके हैं। पढ़े लिखे हैं। उन्हें सदन के नेता को इस तरह से बीच में इन्ट्रूट नहीं करना चाहिए। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट औफ और्डर है। यदि उस साइड से कोई बात होती है तो उसके जवाब में हमारी बात भी सुननी चाहिए।

Mr. Speaker : Mr. Parma Nand Ji, you got your time and every-body heard you with silence. Please have patience and listen to him. (Noise and Interruptions). Please take your seat.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप इस हाउस को चला ये हैं, क्योंकि आप सर्वेसर्वा हैं और सारी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आप इनकी चिन्ता न करें। मैं इन्हें ज्यादा उठने बैठने का मौका वहीं दूंगा। (हंसी) जब मैं इनके सामने इनकी सही तस्वीर रखूंगा तो इनकी यार बार उठने-बैठने की हिम्मत टूट जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कर रहा था कि अंदाजे की गलती की वजह से 5 लोगों की 16 नवम्बर को एक दुर्घटना घटी थी। बन किसी ड्राइवर की जजमेंट गलत हो आती है तो दुर्घटना हो ही जाया करती है। बहुत सुनहरे ख्वाब लेकर ये गए थे। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार की मदद से पुनिया साहब हरियाणा प्रदेश के मुख्य मन्त्री बनना चाहते थे। दुबे जी, चौबे जी से छोबे जी होने गए थे लेकिन दोबे होकर वापस लौट गए। कहां

तो ये एक ऐसे आदमी की लीडरशीप में इस प्रदेश के सर्वेसर्वा बने हुए थे कि जो भी ये चाहते थे, वही हो जाता था। वे यानी चौधरी देवी लाम जो, इस व्यक्ति को एक हरिजन नेता के रूप में उभार कर देश के राष्ट्रपति के पद तक ले जाना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, चुनावों के समय हालत यह थी कि जालौर से इनकी टिकट घोषित हो चुकी थी लेकिन इन जनाब में वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी मौजूदगी की बात है कि ये उस समय रोये थे कि चौधरी देवी लाल जी ने द्वे कहां फंसा दिया। जो हालात इन्होंने पैदा किए, उन हालात में मैं शुक्रगुजार हू कि पुनिया साहब ने वहां से चुनाव नहीं लडा, जिसकी वजह से बाद में वहां से कैलाश मेघवाल को मौका मिल गया। जो दुर्घटना हरियाणा विधान सभा में घटी, परमात्मा ने बहुत अच्छा किया कि ऐसी हस्तियां हिन्दुस्तान की सरकार में नहीं पहुंच सकी वरना ऐसी दुर्घटना अगर राष्ट्र के स्तर पर घट जाली तो इस देश का भविष्य अंधकारमय हो सकता था। मैं इनका मश्कूर हूँ और इनका कृतज्ञ हू कि ये वहां तक नहीं पहुंच पाये। जहां तक प्रोफ़ैसर परमानन्द ने दुर्घटना की बात कही, अध्यक्ष महोदय, इनकी तो दुर्घटना नहीं हुई बल्कि इन्होंने तो सुसाइड किया था। ये तो 17 तारीख को गए जबके दुर्घटना तो 16 तारीख को हो चुकी थी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि आदरणीय चौधरी देवी नाल जी की सरकार ने सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हुए थे कि किसी किस्म का कोई भी केस हो, उसका पर्चा जरूर दर्ख होना चाहिये। मैं हरियाणा के होम मिनिस्टर महोदय को

विशेष तौर से इलतजा करना चाहता हू कि इनके सुसाइड का केस भी दर्ज होना चाहिए क्योंकि खुदकशी के भी केस दर्ज होते हैं। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह बात कहने में फण महसूस होता है, जैसा कि हमने पहले से ही संकल्प लिया है, कि हम चौधरी देवी लाल जी की उन सभी नीतियों का अनुसरण करेंगे, जो उन्होंने लागू की हुई हैं। ये लोग भी यही कहा करते थे कि हम चौधरी देवी लाल जी की नीतियों में विश्वास करते हैं लेकिन ये व्यक्ति अपने वायदों से फिर गए लेकिन हम जो कहेंगे वह करेंगे। मुझे अफसोस हो रहा है कि जो लोग 15 तारीख तक यह कहा करते थे कि आदरणीय चौधरी देवी लाल जी की रहनुमाई में इस देल की राजनीति में परिवर्तन आयेगा, कमेरे इस देश पर राज करने और लुटेरों को जेल की सलाखों में बंद कर दिया जायेगा, ये रात रात में ही फौरन बदल गए। इन्हें लेख मात्र भी संकोच नहीं हुआ। अब इन्हें कालिख पोतने की वजह से डर लगता है। कालिख पोतने की बात का कि इन्होंने यहां पर किया है। अध्यक्ष महोदय, कालिख पत्तेने के बारे में चौधरी जगन नाथ ची ने ठीक कहा है कि हमारे यहां एक प्रथा है कि कोई भी मां बाप या वैल विशर अपने होनहार लड़के के बारे में या खुबसूरत बेटे के बारे में यह नहीं चाहेंगा कि उसे किसी की बुरी नजर लग जाये इसलिए उस लड़के के मां-बाप या वैलविशर उसे काला टीका लगा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई शरारती बच्चा उस टीके पर उल्टे-सीधे हाथ मार कर अपने सारे चेहरे को काला कर लिया करता है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये अन्दाजे की गलती

में मार खा गए। आज हालत यह है कि ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ नाजायज मुकदमे बनाये गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक बात कही थी उसे आज फिर दोहराना चाहता हूँ कि इस हाउस में कुछ नौन— पोलिटिकल और बल्कि मैं यह कहूँगा कि कुछ किस्म के लोग आ गए हैं, जिसकी वजह से हाउस की गी रमा खत्म होने जा रही है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज किये गये इनमें श्री वासुदेव शर्मा, जो “निज हित मोर्चे” के सदस्य है, उन्होंने भिवानी में खुद जाकर कुछ लोगों को लेकर गुण्डागर्दी की। इन्होंने उस कान्स्टेबल को, उस गनमैन को, जो सरकार ने इनकी रक्षा के लिये दिया हुआ है, आदेश हैं कर फायरिंग करवाई। इसी बात का पर्चा दर्ज है। (विधन) मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। श्री लछमन सिंह कम्बोज जो कहते हैं कि उनके खिलाफ पर्चा दर्ज है, शहीदधम सिंह के जन्म दिन पर गए थे। वहां पर उन्होंने अपने गनमैन से, जो सरकार ने इनकी रक्षा के लिये इन्हें दिया हुआ है, राईफल छीन ली। (विधन) मेरे पास एफ० आई० आर० की नकल है। (विधन एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: वासुदेव जी, आप प्लीज बैठिये। Please listen to me first.

श्री वासुदेव शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने कल—परसों ही इन इन्सिडैट्स पर एक काल अटेंशन मोशन का नोटिस दिया था जिसे आपने यह कह कर रिजैक्ट कर दिया कि वे सब—जुडिस

मामले हैं। अब आदरणीय मुख्य मन्त्री जी उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आपकी बात का जवाब मैं दे देता हूँ। मुख्य मन्त्री जी यह कर रहे हैं कि यह पर्चा इनके खिलाफ दर्ज है। मुख्य मन्त्री जी आई विटनैस नहीं हैं वे यह कह रहे हैं कि यह पर्चा इनके खिलाफ दर्ज है। यह तो सब—जुडिस बात नहीं है कि जिसे वे बता भी नहीं सकते। अब आप बैठिये। (शोर व विघ्न) आप प्लीज बैठिये। (ओर) यह कोई तरीका नहीं है। आप कृपया बैठे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि ये केस झूठे हैं या सच्चे, यह पुलिस का काम है। पुलिस इन्वैस्टिगेशन करेगी और अदालत इसका निर्णय करेगी। लेकिन ये किस किस के लोग हैं, इस का विवरण यहां देना निहायत जरूरी है। इसके अलावा भी, पुनिया साहब मुझे एक यात के लिए मुआफी देंगे क्योंकि उस समय एफ०आई० आर० दर्ज नहीं हो पाई। सन 1978 में पुनिया साहब ने अपने से सीनियर एक गजेटिड औफिसर के साथ लड़ाई लड़ी थी और उन्हें चोट मारी थी तथा थाने में भी हाजिर हुए थे। इस बारे में इनसे अलग से पूछ लेना वरना सरकारी अधिकारी का मान—सम्मान घट जाएगा। (विघ्न) उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। इससे जाहिर होता है कि ये किस किस के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय मैं कहता हू कि आर क्रिमिनल लोग राजनीति में आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि

राजनीति से लोगों को नफरत हो जाएगी। मैं इसलिए यह रात दोहराना चाह रहा हूँ (विघ्न)।

एक आवाज: घड़ियों वाले मामले की मात भी तो कहिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि मेरे खिलाफ भी घड़ियों का मामला दर्ज हुआ था लेकिन अदालत ने बाकायदा इन्क्वायरी की थी और मुझे बाइज्जत बरी किया गया था। पुनिया साहब, जब सर्विस में आए तो इन्होंने अपना सम्पत्ति विवरण दिया जो कि रिकार्ड पर मौजूद है। ऐसा विवरण सभी अधिकारियों को देना पड़ता है। इस के अनुसार उस समय पुनिया साहब के पास केवल एक भैंस थी जिसकी कीमत लगभग 600 रुपये थी। अध्यक्ष महोदय, आज अगर मैं इनके सारे आकड़े प्रस्तुत करूँ तो आदरणीय पुनिया साहब की सम्पत्ति करोड़ों में हैं। मैं इसको भैंस कहूँ या क्या कहूँ। (विघ्न)

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में प्वायंट आफ आर्डर

श्री अध्यक्ष: आपका प्वायंट आफ आर्डर क्या है?

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय मैंने 24— 25 साल नौकरी की है। चौधरी देवी लाल के कहने पर मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया और नौकरी से रिटायर हुआ।

श्री अध्यक्ष: आप का प्यायंट औफ और्डर क्या है? केनल उसी बारे में कहिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि ये केस झूठे हैं या सच्चे, यह पुलिस का काम है। पुलिस इन्वैस्टिगेशन करेगी और अदालत इसका निर्णय करेगी। लेकिन ये किस किस के लोग हैं, इस का विवरण यहां देना निहायत जरूरी है। इसके अलावा भी, पुनिया साहब मुझे एक यात के लिए मुआफी देंगे क्योंकि उस समय एफ०आई० आर० दर्ज नहीं हो पाई। सन 1978 में पुनिया साहब ने अपने से सीनियर एक गजेटिड औफिसर के साथ लड़ाई लड़ी थी और उन्हें चोट मारी थी तथा थाने में भी हाजिर हुए थे। इस बारे में इनसे अलग से पूछ लेना वरना सरकारी अधिकारी का मान-सम्मान घट जाएगा। (विघ्न) उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। इससे जाहिर होता है कि ये किस किस के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय मैं कहता हू कि आर क्रिमिनल लोग राजनीति में आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीति से लोगों को नफरत हो जाएगी। मैं इसलिए यह रात दोहराना चाह रहा हूं (विघ्न)।

एक आवाज: घड़ियों वाले मामले की बात भी तो कहिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि मेरे खिलाफ भी घड़ियों का मामला दर्ज हुआ था

लेकिन अदालत ने बाकायदा इन्क्वायरी की थी और मुझे बाइज्जत बरी किया गया था। पुनिया साहब, जब सर्विस में आए तो इन्होंने अपना सम्पत्ति विवरण दिया जो कि रिकार्ड पर मौजूद है। ऐसा विवरण सभी अधिकारियों को देना पड़ता है। इस के अनुसार उस समय पुनिया साहब के पास केवल एक भैंस थी जिसकी कीमत लगभग 600 रुपये थी। अध्यक्ष महोदय, आज अगर मैं इनके सारे आकड़े प्रस्तुत करूं तो आदरणीय पुनिया साहब की सम्पत्ति करोड़ों में हैं। मैं इसको भैंस कहूं या क्या कहूं। (विघ्न)

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में प्वायंट आफ आर्डर

श्री अध्यक्ष: आपका प्वायंट आफ आर्डर क्या है?

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय मैंने 24— 25 साल नौकरी की है। चौधरी देवी लाल के कहने पर मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया और नौकरी से रिटायर हुआ।

श्री अध्यक्ष: आप का प्वायंट ऑफ आर्डर क्या है? केवल उसी बारे में कहिए।

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, 25 साल की सर्विस के बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है और चौधरी देवी लाल के बार—बार कहने पर मैंने इस्तीफा दिया। रिटायरमेंट के समय बाकायदा सारी क्लियरेंस हुई है। इसके बावजूद भी अगर जिन्दगी में तरक्की करना, जायज ढंग से तरक्की करना कोई

गलती है, तो वह गलती मैंने जरूर की है । सारी सर्विस के दौरान मैंने अगर किसी से एक भी पैसा लिया हो तो बताए ।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कब कहा कि आपने पैसे लिये हैं ।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, एक बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि ये जनहित मोर्चे के नेता तो बन गये हैं, और बने रहें । क्योंकि इनको कुछ शिकायत है लेकिन इन्हें रूल्स की किताब पढ़ कर आनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं पढ़ी है । जब उन्होंने कोई प्वायंट उठाया है तो he can rise on a point of personal explanation and not on a point of order.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया था लेकिन बीच में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया । रिकार्ड की बातें तो मैं कहूंगा ही और मुझे कहनी भी चाहिए । शायद औज मैं समय के अभाव में टाल कर दूँ लेकिन सेशन तो दो महीने बाद फिर आना है । तब तक परमात्मा न करे ये इस्तीफा ही दे कर भाग जायें । अगर बजट सेशन में ज्यों के त्यों मेरे सामने बैठे रहे, तो मे इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा क्योंकि हरिजनों के प्रति इनके दिल में बहुत दर्द है । इन्होंने हरिजनों के बारे में बहुत जिक्र किया है लेकिन मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि इन्होंने हरिजनों के नाम पर पांच-पांच एकड़ जमीन ले ली और बाद में वह अपने बाप और अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर करा दी । यह तो इनकी हालत है । मैं ये सारी बातें तफसील में बताऊंगा ।

श्री किरपा राम पुनिया: यह बिल्कुल गलत है ।

श्री अध्यक्ष: पुनिया साहब आप बैठिए, यह कोई तरीका नहीं है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: खैर, मुझे इनकी बात की कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मैं इनका बार-बार उठना बैठना भी बन्द करा दूंगा । मे इनकी अच्छी तरह से तसल्ली करा दूंगा । आपकी यह उठ-बैठ ज्यादा नहीं चलने दूंगा । मुझे तो इन पर तरस आता है कि ये बेचारे अन्दाजे की गलती से मार खा गये । स्पीकर साहब, हमने कामधेनु गाय के बारे में तो सुना था लेकिन कामधेनु भैंस के बारे में नहीं सुना था । मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि जैसी कामधेनु भैंस पुनिया साहब के घर में थी, जिसकी वजह से ये खुशहाल हो गये, ऐसी भैंस यदि हर घर में आ जाय तो हर नागरिक की गरीबी, बेकारी की समस्या का मसला ही हल हो जाये क्योंकि उनके पर में यह सर भैंस की करामात है । (विघ्न)

प्रोफ़ैसर परमानन्द जी ने खाद के मामले को ले कर एक बात कही कि नीचे बेटा पर बाप फिर भी बढ़ गये खाद के दाम। यह तो वही बात हुई कि तेली ३ तेली तेरे सिर पर कोहलू। तो उनकी तुक नहीं बैठी। वे प्रोफ़ेसर जरूर रहें, लेकिन इक नहीं बैठी। वे चौधरी देवी लाल जी के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहें हैं लेकिन एक बात कहूंगा कि अगर खुद में समझ न हो तो सीख ली

जाती है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह खाद का महकमा केन्द्र सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यूरिया खाद का भावे 118 रुपये कांग्रेस सरकार के टाईम पर बढ़ाया गया था और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में 118 रुपये के भाव से नहीं बिक रहा है। मैं किसान हूँ और मैं खाद की बात को जानता हूँ। इन्हें खाद ले जाने की जरूरत नहीं। यह तो खाद कहीं और से जुटाते रहें हैं। हरियाणा सरकार साढ़े तीन रुपये नुकसान उठा कर किसानों को 114.50 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से खाद दे रही है। अगर ये हरियाणा जनता के हितैषी हैं तो इन्हें हरियाणा सरकार का मशकूर होना चाहिए लेकिन ये किसी के हितैषी नहीं हैं। ये तो अपना हित पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने एस० सी० और बी० सी० की सीटों का जिक्र किया। मैं इस बारे में एक बात बता देना चाहूंगा कि यह फैसला भी सन् 1969 का है और नियमानुसार 1,2 और, 3 कैटेगरी में अभाव है। हमारी सरकार वचनबद्ध है कि उस अभाव को पूरा करेगी लेकिन यह फैसला पुराने वक्त का है, हमारे वक्त का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब इनकी दुर्घटना घटी थी तब इन्होंने नौकरियों के मामले में, विशेष तौर से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज की, कमियों की बातों को लेकर स्टेटमेंट दी थी। मैं उन लोगों की लिस्टें, जो इस समय लगे हुए हैं, अगर पढ़ूंगा तो समय लगेगा। यह मन्त्री भी रहें हैं और विधायक भी हैं। इनको लिस्टें मिल भी सकती हैं। गजटिड पोस्टों का भी अगर हिसाब किया जाये तो यह

पता चलेगा कि आज हरियाणा प्रदेश में डायरेक्टर जनरल, पुलिस, एक हरिजन है। हरियाणा प्रदेश का आई० जी० (सी० आई० डी०) एक हरिजन है। हरियाणा प्रदेश में 4 डी० आई० जी० हैं। उनमें से दो हरिजन हैं। हरियाणा प्रदेश में 4 कमिश्नर है जिनमें से तीन हरिजन हैं। यह सारी रिकार्ड की चीज हैं। यह तो आप अपने दफतर में बुलाकर भी दिखा सकते हैं। यह लोग ले भी सकते हैं। लेकिन जिस जाति विशेष के खिलाफ इनका मन्शा था, उनकी गिनती तो देखें। इन्होंने यह इल्जाम लगाया कि जाटवाद को बढ़ावा दिया गया। आप देखें कि सारे कमिश्नरज में से सिर्फ एक ही दूसरी जाति का है। हरियाणा के 16 जिलों में इनकी जाति के दो डी० सी० हैं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी स्तर पर भी जाकर देखें। चौधरी देवी लाल जी ने इसी बात को सामने रखकर ऐसा किया कि फलदार दरख्त को झुकना चाहिये। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हरियाणा प्रदेश में अगर कोई सबसे बढ़ों जाति है तो उस जाति का नाम जाट जाति है लेकिन फिर भी चाहें राजनैतिक मामला हो या कोई दूसरा, इनका हिस्सा पूरा नहीं है। जो विधायक चुनकर आये, इसके लिये चौधरी देवी लाल जी ने जय टिकट बांटे थे तो जाटों को हिस्सा कम दिया था। नौकरियों में भी हिस्सा कम दिया था। मुझे अफसोस होता है कि इस प्रकार की बात वे लोग करते हैं जो उस सरकार में भागीदार रहें हैं और जिनके कहने के मुताबिक चौधरी देवी लाल ने प्रशासन चलाया।

13.00 बजे

Shri Isha Ram Punia : On a point of order, Sir. Mr. Speaker : What is the point of order ?

Shri Kirpa Ram Punia : The point of order is that एज मिनिस्टर भी उस वक्त मैंने बाकायदा लिखित नोट भेजा हुआ है कि पुलिस की भर्ती में, कंडक्टर की भर्ती में और ड्राइवर्ज की भर्ती में रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा।

Mr. Speaker : You had taken the oath of secrecy as Minister and you are breaking that today.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अगर यह कहने में गुस्ताखी न मानी जाये और प्रोसीडिंग्स में शायद यह लिखी भी जाये, लिखना गलत है या सही, लेकिन अगर इसके लिये कोई दोषी करार दिया जायेगा तो मैं ही दूंगा क्योंकि इनको ये पूरा सिखा नहीं पाये। जैसे मैंने पहले कहा कि यह तो बेचारे नौन-पोलिटीकल लोग थे। इनका दाव लग गया। उस समय चौधरी देवी लाल की तूती बोलती थी। वरना मैं इनको चौलेन् देता हूं कि अगर इन आठों में से कोई भी अपने गांव की पंचायत का पंच बन कर आ जाये तो मैं मुख्य मन्त्री का पद छोड़ सकता हूं। यह इन की हालत है। आज ये लोग यहां पर पहुंच गये। यह इस प्रदेश के लोगों की बदकिस्मती है कि जिस प्रदेश के लोग लगातार लम्बे अर्से तक अनेक प्रकार के भ्रष्ट कुर्रुप्ट और तानाशाहों को भोगते रहें, उस प्रदेश के लोग बेचारे मजबूरन

सवा दो साल तक इस प्रकार के दल-बदलुओं को भी भोगेगे। उनकी मजबूरी है। उनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनको वापिस बुला लिया जाए। इसीलिये दुखी लोग इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं जिसे कहते हैं कि यह भद्दी कार्यवाही है। स्पीकर साहब, श्री दुर्गा दत्त बची इनके एक साथी हैं और सहयोगी भी हैं। वे हाउस में बैठे नहीं हैं। मैं इसीलिये इन्तजार में था कि वे आ जाएं तो मैं उनकी मौजूदगी में ही कहूं। उनका काम वर्कजं को पीटना औत गांव में जाकर नौकरी के नाम पर माला कलैक्ट करना रहा है। मुहं काला करने की संज्ञा जिस लउके को दे रहें हैं, स्पीकर साहब उस लउके को बहुत भद्दे ढंग से पीटा गया। उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उसे रोगफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया। स्पीकर साहब, पुलिस में पर्चा दर्ज है और फ़ैसला अदालत करेगी कि कौन इस मामले में दोषी है। स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा विषय से बिछुड़ गया था और इन्हें तकलीफ हो रही है। वैसे तो श्री पुनिया की तसल्ली है। कहो तो मे पढ़कर सुना देता हूं (शोर एवं व्यवधान) तसल्ली जरूर होगी। (जोर एवं व्यवधान) मुझे अपने आप पर काफीडेंस हैं। मैं तसल्ली कराना जानता हूं लेकिन अभी समय दूर है।

अध्यक्ष महोदय, श्री पुनिया ने कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे कहने में फख महसूस होता है कि मैं चौधरी देवी लाल का बेटा हूं, मुझे फख

महसूस होता है कि रणजीत मेरा भाई है ओर मुझे फख महसूस होता है कि प्रताप मेरा भाई है। मेरी रगों में चौधरी देवी लाल का खून है और यह श्रेय शायद भारत वर्ष में किसी और व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं राजनीति में बहुत पुराने अर्से से हूँ। वंसे तो अगर मैं कहूँ कि मेरी पैदाइश ही राजनीति में हुई तो गलत नहीं होगा लेकिन मैं ऐक्टिव पोलिटिक्स में 1952 से हूँ और मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि हर उस लड़ाई में, जिसका संबंध जनहित से था, निजिहित से नहीं, मैं उस लड़ाई में सक्रिय रहा है। चाहे वह टीचर्ज का आन्दोलन रहा है, चाहे वह आन्दोलन विद्यार्थियों का रहा है, चाहे बिजली कर्मचारियों का आन्दोलन रहा है और चाहे किसानों का आन्दोलन रहा है, चाहे मजदूरों का आन्दोलन रहा है और चाहे हरिजनों का आन्दोलन रहा है मैं उसमें सक्रिय रहा हूँ। हरिजनों के नाम पर सुनारीवाला का मामला लेकर जब लड़ाई लड़ी जा रही थी और जिसके नेता चौधरी चांद राम थे, तो उस आन्दोलन में ओम प्रकाश सक्रिय था, पुनिया नहीं था। स्पीकर साहब, ऐमरजैन्सी के दौरान उन्नीस महीने में जब मीसा में बन्द रहा, उस वक्त किसी ने आसू नहीं बहाए कि चौधरी देवी लाल का तो कसूर हो सकता है लेकिन चौधरी देवी लाल के बेटों का क्या कसूर है। इन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है कि हर तरीके से बदनाम करो ओर हर तरह के लांछन लगाओ। स्पीकर साहब, ये कुकर्म खुद करते हैं और इल्जाम मुझ पर, लगाए जाते हैं। स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री का पद भार संभालने के बाद मुझे लगातार अठारह घंटे बैठना पड़ता है। मैं उन फाइलों को तलाश

कर रहा हूँ जिनमें बेकायदमी तो इन्होंने खुद की है लेकिन मेरा नाम बदनाम किया गया है। जब उन बातों को मैं लोगों के सामने रखूंगा, तब पता लगेगा। स्पीकर साहब, पर्यावरण की बात कही गई। पर्यावरण का प्रदूषण किया गया और उसके पीछे उस भजन लाल का हाथ है जो सर्वप्रथम पर्यावरण का मन्त्री था। उसके बहकाए हुए तो बेचारे आज पिटे बैठे हैं। उसी से सीखकर प्रदूषण करने लगे थे। लेकिन प्रदेश के लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि थोड़े में पीछा छूट गया। स्पीकर साहब, आज परिवारवाद की जो बात करते हैं उन्हें मुझे यह कहने में गौरव महसूस हो रहा है कि सिवाये मेरे ? माप और कुछ साथियों के, जैसे श्री बनारसीदास जी गुप्ता व डा० मंगल सैन जी को छोड़कर के, शायद मुझ से पुराना राजनीतिज्ञ इस हाउस में कोई और न हो। डा० मंगल सैन जी व श्री बनारसीदास जी गुप्ता तो मेरे बाप के साथी रहें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहा। लेकिन लांछन लगाने वाले लोगों जैसी राजनीति मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है। अध्यक्ष महोदय, मैं हर आन्दोलन में सक्रिय रहा और हर संगठन में सक्रिय रहा और जिसमें चाहा सत्ता परिवर्तन कर दिया और जिस संगठन पर जब चाहा कब्जा कर लिया और उसी संगठन के मैं अहम पदों पर भी विराजमान रहा हूँ। मैं हरियाणा विधान सभा का सदस्य भी रहा हूँ। पुनिया साहब, पुरानी विधान सभा की डिबेट्स उठा कर देखिए। मेरे भाषणों से आप भली भांति सीख जाएंगे कि विधान

सभा में कैसे बोला जाता है। उसी प्रकार का किरदार आपको अपनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं देश की राज्य सभा का भी मैम्बर हूँ। अपनी पार्टी का प्रैजीडेंट भी रहा हूँ और आज भी मैं रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि चाहें इस देश में, प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ कभी भी ..क्यों न पैदा हो जाएं, ओमप्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह, चौधरी देवीलाल, जब चाहें इस हाउस में दोबारा आ सकते हैं लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये विभूतियाँ, जोकि अन्दाजे की गल्ली की वजह से खुदकशी कर बैठीं या सूसाईड कर बैठी या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गयीं, वे कभी भी आइन्दा इस हाउस में या किसी भी हाउस में अगर आ जाएं तो मैं सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। इस देश की जनता ऐसे लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी बशर्ते कि चौधरी देवीलाल जी की कृपा न रहें? अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल जी बड़े उदार व्यक्ति हैं। वे माफ भी बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन याद रखना अब की बार मुझे फ्री हैण्ड दिया हुआ है। माफी का खाना मेरे पास नहीं है, बहुत चटकारे ले ले कर अढ़ाई सालों तक मौज लूटी है,
..... । (तालियाँ) अध्यक्ष महोदय, अब मैं असल बात पर आकर बहुत जल्द ही समाप्त करता हूँ। डा० मंगल सैन जी ने आली ब्राहमन का जिकर किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह झगड़ा किसी मन्दिर की जमीन को लेकर नहीं है, उस

मन्दिर के इलावा भी कुछ जमीन है जिसके०पर विवाद हुआ था और उस झगड़े के अन्दर जो लोग शामिल पाए गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हैं और वहां इस के लिए एक पीस कमेटी मुकर्रर हो चुकी है। उस पीस कमेटी में हर वर्ग के, हर मजहब के, इवन प्रैस कोरसपॉंडेंट भी उस में शामिल हैं। वहां पर ऐसी कोई झगड़े वाली बात नहीं है। साथ ही नौकरियों के बारे में भी डा० साहब ने जिकर किया। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, इस हाउस को भी भरसा दिलाना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार में नौकरियां मैरिट पर मिलेंगी। जैसा मैंने पहले भी जिकर किया कि भजन लाल की सरकार में तो नौकरियां बिका करती थीं लेकिन इस मौजूदा सरकार में ऐसी? कोई बात नहीं है। ऐसी कोई शिकायत अगर किसी सदस्य की तरफ से सरकार के नोटिस में लाई जाएगी तो उस बारे में ऐक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ एस०एस०एस० बोर्ड में क्लर्को और दूसरी नौकरियों का भी जिकर किया गया कि कुछ ज्यादा लोग लिए गए हैं। उसमें कुछ बेकायदगियां भी हुई हैं व घपले भी हुए हैं। मैं इस हाउस में आपके द्वारा आश्वासन दूंगा कि ऐसी कोई बेकायदगी हमारे नोटिस में आएगी तो सरकार उसकी इंक्वायरी करवाएगी। नगरपालिकाओं को ज्यादा पैसा देने की बात डा० साहब ने कही। आदरणीय डा० साहब के पास स्वयं यह महकमा रहा है। बीस साल के बाद म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव हुए और नए जो टैक्स या और आमदनी के साधन थे, वे भी बीस साल पुराने थे। रिसोर्सिज तो म्यूनिसिपल कमेटियों को

अपने ही अपनाने पड़ेंगे। सरकार के सहारे ज्यादा अर्सा ये म्यूनिसिपल कमेटियां नहीं चल पाएंगी। सरकार कितनी ही अनुदान राशि दे दे, वह राशि उसी हिसाब से खत्म हो जाती है। उसका कोई ज्यादा अच्छा असर नहीं होता। एक बात डा० साहब ने विशेष तौर से कही। हरियाणा की मौजूदा सरकार ने किसी राजनीतिक बात को ध्यान में रख कर नहीं बल्कि ईमानदाराना सोच के तहत नौकरी में आने के लिए गांव के नौजवानों की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया था। जो बच्चे गांवों में तालीम हासिल करते हैं, वे देर से पढ़ने बैठते हैं और वे बड़ी उम्र में तालीम दूरी करते हैं। उसके बाद वे बेचारे आबू सीमा को लांघ जाते हैं और नौकरी हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। हमारी मन्शा कोई यह नहीं कि शहर और देहात के बीच में कोई दीवार खड़ी की जाए। हमारी निगाह में शहर और देहात में कोई अन्तर नहीं है। हम सारे हरियाणा प्रदेश के एक करोड़ साठ लाख लोगों को बराबर सम्मान और इज्जत देते हैं। हरियाणा प्रदेश के एक करोड़ साठ लाख लोग इस सरकार के बराबर के भागीदार हैं। मगर इस मामले में भी मैं डा० साहब की बात से सहमत हूं और इस पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।

श्री जगपाल सिंह जी ने नए जिलों में गांवों की ऐडजस्टमेंट का जिक्र किया। हमने छोटे जिले इसलिए बनाए हैं ताकि प्रशासन ठीक चले और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा गांव हो जिसको डिस्ट्रिक्ट

हैडक्वार्टर तक जाने के लिए 5 किलोमीटर के फासले की बजाए 45 किलोमीटर वाले जिले में जाना पड़े। हम लोगों की सुविधा का ध्यान रखेंगे ओर जिन आम पंचायतों के रैजोल्यूशन आएंगे, उन पर बाकायदगी से हमदर्दना गौर किया जाएगा। श्री जगपाल सिंह जी ने गन्ने के भाव का भी जिक्र किया। आज जो भाव उन्होंने बताया, वह तो नहीं हैं। मेरी जानकारी के आधार पर क्रैशार्ज में भी गन्ने के अच्छे भाव मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार की एक सोच है। अगर केन्द्रीय सरकार ने हमारी बात को माना तो हम शूगर मिलक की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। हमने प्रोपोजल भेजने का मन बनाया हुआ है। अम्बाला में इरीगेशन की स्कीम का उन्होंने जिक्र किया जो हथिनी कुंड से निकलनी है। हमारे इंजीनियर्स उसको ऐगजामिन कर रहे हैं, अगर वह ठीक बैठेगी तो सरकार उस पर गौर करेगी।

डा० हरनाम सिंह जी ने दादूपुर नलवी नहर का जिक्र किया। यह केस सी०डब्ल्यू० सी० के पास भेजा हुआ है। वहां से जब केस क्लीयर हो जाएगा तभी हरियाणा सरकार उस पर कोई निर्णय ले सकेगी। संगरौली की बिजली की इन दिनों में कमी रही, उसका जिक्र आया। हमारे विद्युत और सिंचाई मन्त्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने प्रश्नोत्तर काल तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में इस बात को पूरी तरह से क्लीयर कर दिया था कि संगरौली ग्रिड स्टेशन में खराबी हो जाने की वजह से न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी दिक्कत पेश आई

थी। लेकिन मुझे हरियाणा सरकार के इंजीनियरिंग पर गर्व है, जिन्होंने दूसरी जगहों से बिजली की प्रोडक्शन बढ़ा करके खपत में कमी करके उन दिनों में भी बिजली पूरी मात्रा में दी। अब तो बिजली की पोजीशन में केवल सुधार ही नहीं हुआ बल्कि पिछले साल इन दिनों में जितनी बिजली थी, उससे भी ज्यादा बिजली मिल रही है। इनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इस पर ध्यान रखें, कहीं इन दिनों जो बिजली की सप्लाई हो रही है, उसमें कमी न आ जाए। अध्यक्ष महोदय, यह बिजली का मामला भी प्रकृति पर डिपेंड करता है। इस बार सर्दी ज्यादा पड़ी है। सर्दी ज्यादा पड़ने की वजह से लोगों ने हीटर ज्यादा खरीदे। सदन में सभी व्यवहारिक लोग बैठे हैं। आप सभी को पता है। यहां तक भी दिक्कत आ गई थी कि बाजारों में हीटर मिले ही नहीं थे। लोड ज्यादा पड़े तो आखिर मशीनरी की भी कोई सीमा होती है। यहां तो इन्सानियत की सीमाएं लांघी जाती हैं, मशीन बेचारी क्या करे?

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर हुई बहस के मामले में, मैं यही कहूंगा कि हमारी सरकार आदरणीय चौधरी देवी लाल जी की सभी नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प कर चुकी है। चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने, जिसमें बदकिस्मती से पुनिया साहब भी शामिल थे, हरियाणा प्रान्त में जो विकास के कार्य शुरू किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा प्रान्त में विकास के कार्य तेजी के साथ पूरे हों। हमारी यही कोशिश होगी कि सभी

साथियों के सहयोग से हरियाणा प्रदेश की जनता को स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन मिले। मैं चाहूंगा कि हरियाणा प्रान्त में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हो। उसके लिए जहां मेरे निजी हित मोर्चे के साथी कानून व्यवस्था के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं, वहां उनको अपने आप पर संयम रखना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में आ कर कोई गलत बात न करें। पुलिस को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और खास करके वी०आई०पी० का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कानून सभी के लिए बराबर है। इस देश में सभी नागरिकों पर बराबर का कानून लागू होता है। चौधरी देवी लाल जी ने जहां विकास के सभी कामों को पूरा करने का वायदा किया, उसके साथ ही हरियाणा की मौजूदा सरकार हरियाणा प्रान्त के एक-एक गांव को यानी हरियाणा के सभी 6745 गांवों और 81 कस्बों तथा शहरों में बसने वाले लोगों को इस साल के 31 दिसम्बर तक स्वच्छ पीने का पानी देने का वायदा कर चुकी है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सरकार के इंजीनियर, सरकार के इस वायदे को इस साल के 31 दिसम्बर से पहले-पहले सरअंजाम दे देंगे। हरिजनों की भलाई के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शहरों की गंदी बस्तियों में जो लोग बसते हैं, उन्हें भी अमीर बस्तियों में बसने वाले लोगों के समान, शहर के दूसरे वर्गों के लोगों के समान सुख-सुविधाएं मिलें और उन्हें अच्छे आवास मिलें। हरियाणा के अन्दर जहां और प्रकार के बोर्ड हैं, हम चाहते हैं कि स्लम डिवैल्पमेंट बोर्ड बना कर झुग्गी झोपड़ियों में बसने वाले लोगों को अच्छे पक्के मकान दें ताकि वे

भी अच्छा जीवन बसर कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की ट्रांसपोर्ट को इस बात का श्रेय जाता है कि अगर किसी बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज की बस खड़ी हो तो आज सारे प्रदेशों के पैसेन्जर्स की यही कोशिश होती है कि हरियाणा राज्य परिवहन की बस में बैठ कर सफर करें। हम चाहेंगे कि अगले साल के अंत तक प्रदेश के हर गांव में हरियाणा राज्य परिवहन की बसें पहुंच जायें ताकि हरियाणा के किसी भी वासी को किसी किस्म की असुविधा का सामना न करना पड़े।

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से हाउस के इन सभी साथियों को विशेष तौर से एक बात कहना चाहता हूँ कि यह हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम सब मिल करके इस प्रदेश के लोगों को एक स्वच्छ तथा सुदृढ़ प्रशासन दे ताकि इस प्रदेश में सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रख सकें। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के लोगों ने देश के दूसरे प्रदेश के लोगों को जो दिशा दी है और जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चल करके इस देश के लोगों ने हिन्दुस्तान की राजनीति में बदलाव लाने का काम किया है जिसकी वजह से मेहनतकश व कमेरे वर्ग के लोगों के हाथ में आज केन्द्र में सत्ता आई है। हम चाहते हैं कि जहां राजनीतिक स्तर पर हरियाणा प्रदेश को श्रेय मिला है, वैसा ही श्रेय विकास के मामले में हरियाणा प्रदेश को मिले और दूसरे प्रदेश के लोग हमारा अनुसरण करें। इस प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो, इस में मैं आपका व अपने सभी साथियों का आपके माध्यम से सहयोग

चाहता हूँ। मुझे यकीन, विश्वास और पूरा भरोसा है कि हम आदरणीय चौधरी देवी लाल जी के स्वप्न को साकार करेंगे। उनके सपने साकार होने पर इस प्रदेश का नाम देश के मानचित्र पर सर्वोपरि होगा। हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा विकसित हो, इसमें मैं पुनः आप सबका सहयोग चाहता हूँ और ऐसी उम्मीद रखते हुए और विशेष तौर पर आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे बोलने का पूरा समय दिया, धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर कोई विशेष बात मैंने विषय से बिछुड़ कर, वैसे कही तो नहीं है, कही हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं पुनिया साहब की तरह नहीं हूँ। मैं एक ओबिडियट स्टुडैन्ट की तरह हूँ और आपके हुक्म को मान करके चलने वालों में से हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अच्छे शिक्षक मिले हैं लेकिन ये बेचारे अभी नए-नए हैं। इन्हें अभी सीखने में समय लगेगा। स्पीकर साहब, अन्त में मैं आपका पुनः धन्यवाद करते हुए सदन से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राज्यपाल महोदय के ऐड्रेस के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में रखा गया है उसे सर्वसम्मति से पास किया जाए। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि गवर्नर साहब को एक ऐड्रेस फौलोइंग टर्मज में पेश किया जाए—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha

assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 15th January, 1990".

The motion was carried.

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमेंट एंड वैलिडेशन) बिल,
1990

श्री अध्यक्ष: अब ऐक्साईज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमेंट एण्ड वैलिडेशन) बिल, 1990 को इंट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

Agriculture Minister (Shri Ran Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1990.

Sir. I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

आवाजें: सारी क्लोजें इकट्ठी ही इट कर दी जाएं।

Clause 2 to 14

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 to 14 stand part of the Bill.

The motion was carried

Class 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Excise & Taxation Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Shri Ranjit Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed .

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried .

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव—

वर्ष 1989-90 के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वर्ष 1988-89 के लिए संशोधित अनुमान सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, there is a motion under Rule 84 from Shri Mangal Sein, M.L.A., for the discussion of the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1989-90 and revised Estimates for the year 1988-89 which was laid on the Table of the House on 15th January, 1990. He may please move his motion.

(Shri Mangal Sein was not present in the House.)

Mr. Speaker : As the Hon. Member is not present, the motion is not moved and discussed.

अब हाउस साइने-डाई ऐडजर्न किया जाता है ।

13.31 बजे ।

(तत्पश्चात् सदन साइने डाई ऐडजर्न हुआ ।)